

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र



बिहार सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-3

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या—3

विषय-सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	5
कर निर्धारण में बकाये	1.3	6
कर का अपवंचन	1.4	7
वापसी के लंबित मामले	1.5	7
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	8
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया-विधि का विश्लेषण	1.7	12
लेखापरीक्षा योजना	1.8	14
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	14
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.10	14
अध्याय-II: वाणिज्य-कर		
कर प्रशासन	2.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	15
'मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	17
'वाणिज्य-कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण' पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	2.4	43
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	2.5	65
बिक्री आवर्त का छिपाव	2.6	66
अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.7	66
कर का गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण	2.8	67
ट्रांजिट बिक्री के मद में अनियमित कटौती	2.9	67
स्वीकृत कर का कम भुगतान तथा ब्याज आरोपित नहीं किया जाना	2.10	68
कटौतियों की अनियमित अनुमति	2.11	69
मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन	2.12	69
केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	2.13	70
स्वीकृत प्रवेश कर का कम भुगतान	2.14	71
प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	2.15	71
निबंधन नहीं लिये जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	2.16	72
उर्जा की बिक्री के छिपाव पर विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना	2.17	72
विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना	2.18	73
मनोरंजन कर का कम आरोपण	2.19	74
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.20	74

अध्याय—III: राज्य उत्पाद		
कर प्रशासन	3.1	75
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	75
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	3.3	76
उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के बाद लाइसेंस फीस की कम वसूली	3.4	76
जमानत राशि के गलत समायोजन के कारण अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता	3.5	77
लाइसेंस फीस का विलम्ब से जमा किये जाने हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	3.6	77
अवमानक शराब की आपूर्ति	3.7	78
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.8	78
अध्याय—IV: वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	79
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	79
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	4.3	80
मोटर वाहनों पर करों की वसूली नहीं किया जाना	4.4	80
ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली	4.5	81
एकमुश्त कर	4.6	82
अस्थायी निबंधन के बगैर वाहनों की सुपुर्दगी के कारण राजस्व की हानि	4.7	85
मोटर वाहनों के व्यवसायियों से ट्रेड टैक्स तथा अर्थदण्ड की कम वसूली	4.8	86
अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं किया जाना	4.9	86
आंतरिक लेखापरीक्षा	4.10	87
अध्याय—V: अन्य कर प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	5.1	89
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	89
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	5.3	90
क: भू-राजस्व		
बिहार में सरकारी भूमि का लीज	5.4	91
स्थापना प्रभार का संग्रहण कम/नहीं किया जाना	5.5	97
पंचाट की घोषणा में विलम्ब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.6	97
आकस्मिक प्रभार की अधिक वसूली	5.7	98
ख: मुद्रांक एवं निबंधन फीस		
प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किये जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरुद्ध रहना	5.8	99
निष्पादित प्रेषित मामलों से सरकारी राजस्व की वसूली नहीं होना	5.9	99
मोबाईल कम्पनियों तथा भू-स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जाना	5.10	100
भूमि के प्रकार का गलत वर्गीकरण	5.11	100
आंतरिक लेखापरीक्षा	5.12	101

अध्याय-VI: कर भिन्न प्राप्तियाँ		
अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग		
कर प्रशासन	6.1	103
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	103
अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	6.3	104
कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	6.4	105
पत्थर के अधिक प्रेषण पर रॉयल्टी की कम वसूली	6.5	106
पत्थर खदानों के पट्टेधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली	6.6	107
बालू घाटों की बंदोवस्ती पर निबंधन फीस एवं मुद्रांक शुल्क की नहीं/कम वसूली	6.7	107
साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	6.8	108
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.9	109
परिशिष्ट		111
संकेताक्षरों की शब्दावली		165

प्रस्तावना

मार्च 2015 को समाप्त हुये वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन राजस्व प्रक्षेत्र के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों, जिसमें वाणिज्य-कर, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, राजस्व एवं भू-सुधार तथा खान एवं भूतत्व विभाग शामिल है, की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा/अथवा अनुपालन लेखापरीक्षा समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2014-15 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,235.07 करोड़ के कर, शुल्क, फीस, ब्याज, अर्थदण्ड इत्यादि का आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण किये जाने से संबंधित 39 कंडिकाएँ हैं, जिसमें 'मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 'वाणिज्य-कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण' पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के मामले भी शामिल हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2014-15 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 78,417.54 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 20,750.23 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 1,557.98 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 22,308.21 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 56,109.33 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा: ₹ 36,963.07 करोड़ और सहायता अनुदान: ₹ 19,146.26 करोड़) थी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों का मात्र 28 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2014 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2015 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 1,790 एवं 13,028 थी जिसमें ₹ 9,157.77 करोड़ सन्निहित थे। 1,166 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6)

हमने वाणिज्य-कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू-राजस्व एवं अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग के अभिलेखों की वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 3,537 मामलों में ₹ 2,808.25 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान संबंधित विभागों ने 373 मामलों में ₹ 688.10 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 596.43 करोड़ से सन्निहित 87 मामले वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्य-कर

'मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईं:

विभाग ने रिटर्न को अपलोड करते समय सभी फील्ड्स एवं बॉक्स को भरा जाना अनिवार्य नहीं बनाया था। इसके परिणामस्वरूप व्यवसायी अपूर्ण रिटर्न दाखिल करते थे, जिसे विभाग द्वारा स्व-कर निर्धारित मान लिया जाता था।

(कंडिका 2.3.10.1)

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान नमूना-जाँचित 18 अंचलों में से मात्र तीन से पाँच अंचलों में अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने तथा कर के दायरे को बढ़ाने हेतु सर्वे किया गया था, जिसके फलस्वरूप सर्वे के आधार पर मात्र 275 व्यवसायियों ने ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत निबंधन लिया था।

(कंडिका 2.3.10.2)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा की स्थिति काफी कम थी क्योंकि 10 अंचलों में वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान 99 प्रतिशत व्यवसायियों के रिटर्न असंवीक्षित पड़े थे जो विभाग में संवीक्षा हेतु आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली की कमी का भी सूचक है।

(कंडिका 2.3.10.3)

दस नमूना-जाँचित अंचलों में वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान 38.29 से 42.01 प्रतिशत निबंधित व्यवसायियों ने रिटर्न जमा नहीं किया था, इसके बावजूद बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 27 के तहत मात्र कुछ ही मामलों का कर-निर्धारण किया गया था।

(कंडिका 2.3.10.4)

व्यवसायियों के अन्य अभिलेखों के साथ-साथ दूसरे व्यवसायियों के रिटर्न से आवर्त का अनिवार्य तिर्यक जाँच हेतु प्रावधान के अभाव तथा संवीक्षा/कर-निर्धारण नहीं/त्रुटिपूर्ण किए जाने के फलस्वरूप 18 अंचलों के 2,590 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से 15 अंचलों के 63 व्यवसायियों के मामलों में आवर्त का छिपाव हुआ तथा आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 451.83 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

वैधानिक संकल्प के बावजूद सरकार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के साथ साक्ष्य अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत किया जाना विहित नहीं किया गया था तथा साथ ही साथ संवीक्षा/कर-निर्धारण नहीं/त्रुटिपूर्ण किए जाने के परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति/लाभ लिया गया तथा इसके फलस्वरूप 18 अंचलों के 2,590 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से 12 अंचलों के 51 व्यवसायियों के मामले में आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 43.50 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.12.1 एवं 2.3.12.2)

वैट ऑडिट हेतु व्यवसायियों की चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण थी क्योंकि योग्यता मानदंड को पूरा करने के बावजूद 55 व्यवसायियों का चयन नहीं हो सका था तथा ऑडिट मैनुअल के अभाव के कारण ऑडिट प्रक्रिया तथा उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही विहित नहीं थी, जिसके फलस्वरूप वैट ऑडिट का प्रभाव काफी कम था।

(कंडिका 2.3.24.2 से 2.3.24.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा/कर-निर्धारण तथा इससे संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट/रिटर्न को अंकित करने तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमित अवधि पर आवधिक अनुश्रवण हेतु पंजी विहित नहीं थी।

(कंडिका 2.3.24.8)

‘वाणिज्य-कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण’ पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईं:

लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2015) तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, (बी.एस.ई.डी.सी., राज्य नामित एजेन्सी) और मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड (वैटमीस कार्यान्वयन के लिए मनोनीत एजेन्सी) के सर्विस लेवल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था और यूजर रिक्वायरमेन्ट स्पेसीफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसीफिकेशन, सिस्टम डिजाईन डॉक्यूमेन्ट, डाटा फ्लो डाइग्राम एवं डाटा डिक्शनरी इत्यादि से संबंधित अभिलेख नहीं थे। इसके अलावे, वाणिज्य-कर विभाग के पास कम्प्यूटर प्रणाली के लिए एप्लीकेशन का सोर्स कोड, एक्जिट मैनेजमेन्ट और डिजास्टर रिकवरी केन्द्र नहीं था।

(कंडिका 2.4.6)

निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना की गतिविधियों के पूरा न होने के कारण वाणिज्य-कर विभाग के लिए मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.) के केन्द्रीय हिस्से में कटौती की गई थी। प्रणाली का डिजास्टर रिकवरी केन्द्र नई दिल्ली के स्थान पर पटना में स्थापित किया गया था।

(कंडिका 2.4.7 एवं 2.4.8)

कम्प्यूटर प्रणाली के एप्लीकेशन नियंत्रण में विभिन्न कमियाँ थी, जैसे करदाताओं की पहचान संख्या (टीन) और यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान संख्या (सुविधा) व्यवसायियों की अधूरी जानकारी के साथ तैयार की गई थी और कम्प्यूटर प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक नियमों और वैलिडेसन जाँच मैप नहीं किए गये थे। इसके परिणामस्वरूप अपलोडेड डाटा में बहुत सारी त्रुटियाँ थी जिसकी अब तक पहचान नहीं की जा सकी थी और व्यवसायी अपने पक्ष में तथ्यों को छुपाये जाने हेतु समर्थ थे।

(कंडिका 2.4.12 से 2.4.14)

चार वाणिज्य-कर अंचलों में चार व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 2.56 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.7)

भागलपुर वाणिज्य-कर अंचल में एक व्यवसायी द्वारा उर्जा की बिक्री के छिपाव के फलस्वरूप ₹ 60.87 करोड़ के न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 121.75 करोड़ का विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ था।

(कंडिका 2.17)

प्रवेश दर में अनियमित बदलाव का पता नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ का मनोरंजन कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.19)

III. राज्य उत्पाद

उत्पाद दुकानों के निरस्त लाइसेंस से संबंधित ₹ 9.47 करोड़ के सरकारी बकाये की वसूली हेतु उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गयी थी।

(कंडिका 3.4)

उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के मामले में जमानत राशि को जब्त किये जाने के बजाए देय बकायों के विरुद्ध जमानत राशि का समायोजन किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता दिया गया।

(कंडिका 3.5)

IV. मोटर वाहनों पर कर

इक्कीस जिला परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2011 एवं सितम्बर 2014 के अवधि के बीच 981 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 1.07 करोड़ के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 3.19 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकायों की वसूली हेतु कोई माँग निर्गत की गयी।

(कंडिका 4.4)

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा एकमुश्त कर का आरोपण नहीं/कम किये जाने के फलस्वरूप 19 जिला परिवहन कार्यालयों में ₹ 6.26 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.6.1)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

लीज के शर्तों एवं बंधेजों की अवहेलना के मामले में नई लीज का कार्यान्वयन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 72.19 करोड़ के सलामी एवं लगान की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.4.3.1)

उन्नीस माह के बीत जाने के बाद भी गाँधी मैदान, गया में अनाधिकृत निर्माण को नियमित नहीं किये जाने के फलस्वरूप सलामी तथा लगान के रूप में ₹ 44.97 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.4.3.4)

पेट्रोल पंप के 35 लीजों के कार्यान्वयन में भूमि के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप ₹ 2.17 करोड़ के सलामी तथा लगान की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.4.4.2)

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने अधियाची निकाय/विभागों के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु ₹ 97.15 करोड़ के स्थापना प्रभार की वसूली को सुनिश्चित नहीं किया।

(कंडिका 5.5)

सहायक महानिरीक्षक द्वारा प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 1.47 करोड़ का सरकारी राजस्व अवरुद्ध रहा।

(कंडिका 5.8)

VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

अंतर्विभागीय समन्वय की कमी के फलस्वरूप खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदको के विरुद्ध ₹ 40.76 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.4)

आवश्यक खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी के उत्खनन हेतु कार्य संवेदको पर ₹ 6.64 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.8)

अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014-15 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े तालिका 1.1 में दिए गए हैं।

तालिका- 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्योरे	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व					
	• कर राजस्व	9,869.85	12,612.10	16,253.08	19,960.68	20,750.23
	• कर भिन्न राजस्व	985.53	889.86	1,135.27	1,544.83	1,557.98
	कुल	10,855.38	13,501.96	17,388.35	21,505.51	22,308.21
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	23,978.38	27,935.23	31,900.39	34,829.11	36,963.07 ¹
	• सहायता अनुदान	9,698.56	9,882.98	10,277.92	12,584.03	19,146.26
	कुल	33,676.94	37,818.21	42,178.31	47,413.14	56,109.33
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	44,532.32	51,320.17	59,566.66	68,918.65	78,417.54
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	24	26	29	31	28

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

¹ पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या-14-लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष-0020 निगम कर (₹ 12,907.72 करोड़), 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 9,217.35 करोड़), 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 0.31 करोड़), 0032-सम्पत्ति पर कर (₹ 34.84 करोड़), 0037-सीमा शुल्क (₹ 5,977.99 करोड़), 0038-संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 3,375.58 करोड़) तथा 0044-सेवा पर कर (₹ 5,449.29 करोड़) तथा 0045 वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (- ₹ 1.00 लाख) लघु शीर्ष 901- निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क-कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 22,308.21 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 28 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्तियों का शेष 72 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

1.1.2 वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका- 1.2
सृजित कर राजस्व का विवरण

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)						
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	निम्न की तुलना में वर्ष 2014-15 की वास्तविक में वृद्धि (+) या हास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2014-15 का बजट अनुमान	2013-14 की वास्तविक
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,627.69 4,557.18	6,508.00 7,476.36	8,071.00 8,670.79	12,324.04 8,453.02	12,820.15 8,607.16	(-) 32.86	(+) 1.82
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,623.76 2,006.32	1,940.00 828.30	2,800.00 1,932.12	1,192.75 4,349.00	4,117.50 4,451.25	(+) 8.11	(+) 2.35
3.	राज्य उत्पाद	1,400.00 1,523.35	1,790.00 1,980.98	2,715.00 2,429.82	3,300.00 3,167.72	3,700.00 3,216.58	(-) 13.07	(+) 1.54
4.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1,215.00 1,098.68	1,600.00 1,480.07	1,906.00 2,173.02	3,200.00 2,712.41	3,600.00 2,699.49	(-) 25.01	(-) 0.48
5.	वाहनों पर कर	550.00 455.43	537.00 569.13	644.40 673.39	800.00 837.48	1,000.00 963.56	(-) 3.64	(+) 15.05
6.	भू-राजस्व	112.17 139.02	125.20 167.49	185.00 205.45	205.00 201.71	250.00 277.13	(+) 10.85	(+) 37.39
7.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	90.25 65.22	60.70 54.69	60.70 102.55	66.17 141.31	82.70 374.76	(+) 353.16	(+) 165.20
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	24.29 24.65	24.99 25.52	41.99 28.99	34.14 50.43	48.59 105.34	(+) 116.79	(+) 108.88
9.	आय एवं व्यय पर अन्य कर- पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	1.00 शून्य	23.30 29.56	31.00 36.95	32.59 47.60	44.00 54.96	(+) 24.91	(+) 15.46
कुल		10,644.16 9,869.85	12,609.19 12,612.10	16,455.09 16,253.08	21,154.69 19,960.68	25,662.94 20,750.23		(+) 3.96

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों) (विस्तृत)

तालिका 1.2 से यह देखा जा सकता है कि बजट आकलन एवं वास्तविक में वर्ष 2014-15 के दौरान (-) 32.86 से (+) 353.16 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः करों के विभिन्न शीर्षों के तहत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के वास्तविक में (-) 0.48 से (+) 165.20 प्रतिशत तक की भिन्नता थी।

संबंधित विभागों ने भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया था:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: वर्ष 2013-14 के वास्तविक की तुलना में यह वृद्धि (1.82 प्रतिशत) डीजल पर कर का दर 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, पेट्रोल एवं डीजल पर अधिभार का दर 10 से 20 प्रतिशत बढ़ाए जाने, पीने योग्य स्पिरिट, वाइन अथवा शराब पर सभी बिन्दुओं पर कर आरोपित किए जाने तथा चलन्त जाँच एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किए जाने के कारण हुई। बजट अनुमान की तुलना में यह कमी (32.86 प्रतिशत) मुख्यतः तम्बाकू पर कर का दर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किए जाने के कारण हुई।

मुद्रांक एवं निबंधन फीस: बजट अनुमान की तुलना में यह कमी (25.01 प्रतिशत) न्यूनतम मूल्य पंजी में मूल्यों की कमी तथा विलेखों की प्रस्तुति की संख्या में कमी के कारण हुई।

भू-राजस्व: वर्ष 2013-14 के वास्तविक की तुलना में यह वृद्धि (37.39 प्रतिशत) वर्ष के दौरान भू-अर्जन से संबंधित स्थापना प्रभार, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य कम्पनियों को हस्तांतरित सरकारी भूमि के मूल्य का संग्रहण के कारण हुई।

माँगे जाने (अप्रैल एवं अगस्त 2015 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (अगस्त 2015)।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार बजट आकलन तैयार करते समय वास्तविक इनपुट को ले सकती है क्योंकि बजट आकलन एवं वास्तविक में काफी भिन्नता पायी गई।

1.1.3 वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका- 1.3
सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	निम्न की तुलना में वर्ष 2014-15 की वास्तविक में वृद्धि (+) या हास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2014-15 का बजट अनुमान	2013-14 की वास्तविक
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	294.00 405.59	280.00 443.10	470.00 511.08	641.00 569.14	750.00 879.87	(+) 17.32	(+) 54.60
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	216.37 237.96	370.82 573.70	263.74 167.12	338.48 269.48	202.22 344.77	(+) 70.49	(+) 27.94
3.	सड़क एवं पुल	27.98 39.60	33.00 60.35	44.67 32.56	64.03 40.72	64.03 54.52	(-) 14.85	(+) 33.89
4.	चिकित्सा एवं लोक-स्वास्थ्य	17.60 15.33	14.94 23.91	13.41 41.02	25.40 29.93	43.24 30.22	(-) 30.11	(+) 0.97
5.	पुलिस	56.52 11.85	12.62 9.26	67.83 25.01	70.59 27.27	69.74 29.50	(-) 57.70	(+) 8.18
6.	वानिकी एवं वन्य जीव	6.55 7.64	8.00 11.04	7.05 16.60	13.20 19.58	17.61 25.24	(+) 43.33	(+) 28.91
7.	मध्यम सिंचाई	4.00 15.45	4.00 17.59	4.00 13.99	4.00 18.22	4.00 16.95	(+) 323.75	(-) 6.97
8.	मत्स्य पालन	7.32 7.28	15.89 10.16	9.14 11.79	10.78 10.72	12.50 10.71	(-) 14.32	(-) 0.09
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	39.37 19.98	59.64 11.49	46.56 10.01	65.01 10.18	251.60 21.77	(-) 91.35	(+) 113.85
10.	विविध सामान्य सेवाएँ	385.27 0.34	0.34 (-)383.78	1.20 22.03	0.86 0.28	0.91 1.99	(+) 118.68	(+) 610.71
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	224.51	113.04	284.06	549.31	142.44		(-) 74.07
कुल		985.53	889.86	1,135.27	1,544.83	1,557.98		(+) 0.85

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत))

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान बजट आकलन एवं वास्तविक में (-) 91.35 से (+) 323.75 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः, करों के विभिन्न शीर्षों के तहत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के वास्तविक में (-) 6.97 से (+) 610.71 प्रतिशत तक की भिन्नता था।

संबंधित विभाग ने भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया था :

खान एवं भूतत्व विभाग: वर्ष 2013-14 के वास्तविक की तुलना में यह वृद्धि (54.60 प्रतिशत) तथा वर्ष 2014-15 में बजट आकलन की तुलना में 17.32 प्रतिशत की वृद्धि कई बालू घाटों की बन्दोवस्ती के कारण हुई।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार बजट आकलन तैयार करते समय वास्तविक इनपुट को ले सकती है क्योंकि बजट आकलन एवं वास्तविक में काफी भिन्नता पायी गई।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2015 को बकाया राजस्व ₹ 3,440.55 करोड़ था, जिसमें से ₹ 444.27 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिनका ब्योरा तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका- 1.4
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया राशि	31 मार्च 2015 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,772.42	280.70	₹ 1,772.42 करोड़ में से ₹ 308.71 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 410.93 करोड़ एवं ₹ 16.60 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी एवं ₹ 12.73 करोड़ की वसूली सुधार/अपील की समीक्षा हेतु रोकी गई थी, ₹ 4.37 करोड़ की राशि कर-निर्धारिती/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी तथा ₹ 1,019.08 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	438.87	4.84	₹ 438.87 करोड़ में से ₹ 67.48 लाख की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 320.85 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 117.34 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	559.89	2.27	₹ 559.89 करोड़ में से ₹ 1.49 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 19.37 करोड़ तथा ₹ 8.22 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 538.94 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
4.	राज्य उत्पाद ²	55.66	8.73	₹ 55.66 करोड़ में से ₹ 34.13 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 4.51 करोड़ एवं ₹ 3.71 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 13.77 लाख व्यवसायी/पक्ष के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 35.74 लाख माफी के योग्य थे तथा ₹ 16.48 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	मोटर वाहनों पर कर	192.67	उपलब्ध नहीं कराया गया	मांगे जाने (अप्रैल एवं अगस्त 2015 के बीच) के बावजूद पाँच वर्षों से अधिक तक के लंबित बकायों तथा बकायों के संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किए गए थे।

² राज्य उत्पाद से संबंधित बकाये की राशि में औरंगाबाद, कैमुर एवं किशनगंज जिला कार्यालयों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

6.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10.83	9.51	₹ 10.83 करोड़ में से ₹ 9.67 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 4.52 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 1.11 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
7.	भू-राजस्व	188.03	उपलब्ध नहीं कराया गया	माँगें जाने (अप्रैल एवं अगस्त 2015 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लम्बित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।
8.	खान एवं भूतत्व	218.12	137.71	माँगें जाने (अप्रैल एवं अगस्त 2015 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लम्बित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।
9.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	4.06	0.51	माँगें जाने (अप्रैल एवं अगस्त 2015 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लम्बित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।
कुल		3,440.55	444.27	

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि ₹ 444.27 करोड़ की वसूली पाँच से अधिक वर्षों से लम्बित थे तथा इनकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। ₹ 1,692.95 करोड़ के बकाये विभागीय प्राधिकारियों के पास लम्बित थे। माफी हेतु प्रेषित मामले (₹ 35.74 लाख) का अनुसरण भी संबंधित पक्ष के साथ नहीं किया जा रहा था।

1.3 कर-निर्धारण में बकाये

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क से संबंधित उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार वर्ष के आरम्भ में लम्बित मामलों, निर्धारण योग्य मामलों, वर्ष के दौरान निष्पादित मामलों तथा वर्ष के अन्त में निष्पादन के लिए लम्बित मामलों की संख्या का विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका- 1.5

कर-निर्धारण में बकाये

राजस्व शीर्ष	आरम्भ शेष	वर्ष 2014-15 में निर्धारण योग्य नए मामलों	कुल बकाये निर्धारण	वर्ष 2014-15 के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निष्पादन का प्रतिशतता (स्तम्भ 5 का 4 से)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	38971	85289	124260	43271	80989	34.82
माल एवं यात्रियों पर कर	1234	7400	8634	3059	5575	35.43
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर	1847	1063	2910	744	2166	25.57
विद्युत पर कर तथा शुल्क	308	32	340	16	324	4.71

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वाणिज्य-कर विभाग में वर्ष के दौरान कर-निर्धारण के निष्पादन की प्रतिशतता 4.71 प्रतिशत से 35.43 प्रतिशत तक थी।

1.4 कर का अपवंचन

वाणिज्य-कर विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले तथा अतिरिक्त कर हेतु माँग का सृजन का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6

कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाये मामलों	वर्ष 2014-15 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	मामलों की संख्या जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2014-15 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग		31 मार्च 2015 तक लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की सं.	माँग की राशि (₹ लाख में)	
1	वाणिज्य-कर ³	292	476	768	449	3.15	319
2	राज्य उत्पाद	25	11	36	शून्य	शून्य	36
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	4	शून्य	4	शून्य	शून्य	4

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वाणिज्य-कर विभाग एवं निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग में वर्ष के आरंभ में लम्बित मामलों की तुलना में वर्ष के अंत में लम्बित मामलों की संख्या अधिक थी जिसे विभाग द्वारा देखे जाने की आवश्यकता थी।

1.5 वापसी के लम्बित मामले

वर्ष 2014-15 के आरम्भ में वापसी से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान दी गई वापसी की अनुमति तथा वर्ष 2014-15 के अंत में लम्बित मामले, जैसाकि विभाग द्वारा सूचित किए गए थे, तालिका 1.7 में दिया गया है।

³ वाणिज्य-कर विभाग के सकल संग्रहण में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर-पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

तालिका- 1.7

वापसी के लम्बित मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्योरे	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		प्रवेश कर		मनोरंजन कर		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1684	80.02	103	14.81	6	0.02	634	20.06
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	229	76.75	04	1.48	शून्य	शून्य	181	1.85
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	266	85.42	02	0.18	शून्य	शून्य	555	5.76
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1647	71.34	105	16.12	6	0.02	260	16.15

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 70 (1) के अनुसार अगर आधिक्य राशि को आदेश होने के 90 दिनों के अंदर व्यवसायी को नहीं वापस किया जाता है तो आधे प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।

वर्ष के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं प्रवेश कर के वापसी मामलों के निष्पादन की प्रगति काफी धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन-देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। उन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदनों को, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकनों का शीघ्र अनुपालन, त्रुटियों एवं चूको का सुधार तथा इसके प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। महत्वपूर्ण वित्तीय त्रुटियों को विभाग एवं सरकार के प्रमुख को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2014 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से स्पष्ट था कि जून 2015 के अंत तक 1,790 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 9,157.77 करोड़ से सन्निहित 13,028 कंडिकाएँ लंबित थीं, जैसाकि विगत दो वर्षों के तत्संबंधी आँकड़ों के साथ तालिका 1.8 में दी गई है:

तालिका- 1.8
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2013	जून 2014	जून 2015
निष्पादन के लिए लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4,165	4,806	1,790 ⁴
लम्बित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	23,327	27,764	13,028
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	10,847.46	17,825.55	9,157.77

1.6.1 30 जून 2015 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि तालिका 1.9 में दी गई है:

तालिका- 1.9
विभाग-वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य-कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर प्रवेश कर विद्युत शुल्क मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	274	4954	4772.58
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	245	1034	1028.63
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	446	2730	1129.66
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	294	1988	1177.95
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	248	706	180.23
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	283	1616	868.72
कुल			1790	13028	9157.77

यहाँ तक कि दिसम्बर 2014 तक निर्गत किए गए 1,166 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

⁴ लोक लेखा समिति एवं माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों को छोड़ वर्ष 2006-07 तक के लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को देखे जाने/समाधानित किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभागों पर छोड़ दिया गया है।

लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए विचार कर सकती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के त्वरित निष्पादन की प्रगति एवं अनुश्रवण के लिए सरकार लेखापरीक्षा समितियाँ गठित करती है। वर्ष के दौरान मात्र तीन लेखापरीक्षा समितियाँ गठित की गई थीं जिसमें ₹ 256.09 करोड़ से सन्निहित 88 कंडिकाएँ निष्पादित की गई, जैसा कि तालिका 1.10 में वर्णित है।

तालिका- 1.10

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि
वाणिज्य-कर	1	6	0.30
राज्य उत्पाद	1	69	255.66
मोटर वाहनों पर कर	1	13	0.13
कुल	3	88	256.09

पूरे वर्ष (2014-15) के दौरान सिर्फ तीन लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित किया जाना, सरकार को ज्यादा संख्या में बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के निष्पादन के अवसर से वंचित कर दिया था, जैसाकि पूर्ववर्ती कंडिका में वर्णित है।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.6.3 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

सामान्यतः लेखापरीक्षा के एक माह पूर्व ही स्थानीय लेखापरीक्षा के कार्यक्रम तैयार कर कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों को, जहाँ तक संभव हो, इसकी अग्रिम सूचना भी भेजी जाती है ताकि वे लेखापरीक्षा की संवीक्षा के लिए प्रासंगिक अभिलेखों को तैयार रख सकें।

वर्ष 2014-15 के दौरान 357 निर्धारण संचिकाएँ, रिटर्न, वापसी, पंजियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इनमें से किसी भी मामले में सन्निहित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। इन मामलों का विवरण तालिका 1.11 में दिया गया है:

तालिका 1.11
अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें लेखापरीक्षा किए गए	मामलों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई
राजस्व एवं भूमि सुधार	2014-15	226
परिवहन	2014-15	3
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	2014-15	14
खान एवं भूतत्व	2014-15	77
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	2014-15	37
कुल		357

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को, महालेखाकार संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों/सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं होने को निश्चित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं के अंत में संसूचित किया जाता है।

उत्तरचालीस प्रारूप कंडिकाओं, जिसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा तथा एक दीर्घ प्रारूप कंडिका शामिल है, को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को मई और जुलाई 2015 के बीच अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से भेजा गया था। खान एवं भूतत्व विभाग ने पाँच कंडिकाओं का तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव ने मुद्रांक एवं निबंधन फीस से संबंधित चार कंडिकाओं तथा राज्य उत्पाद से संबंधित दो कंडिकाओं का उत्तर भेजा। शेष विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने स्मार पत्र निर्गत किये जाने के बावजूद भी उत्तर नहीं भेजा (अक्टूबर 2015) एवं इसे सरकार के मंतव्य के बगैर ही प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग, बिहार सरकार के अनुदेशों का मैन्युअल (1998) उपबंधित करता है कि संबंधित विभागों के सरकार के सचिव लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने के दो माह के अंदर लेखापरीक्षा में जाँच के बाद बगैर कोई नोटिस अथवा लोक लेखा समिति द्वारा माँग किए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणी विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रावधानों के बावजूद विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने में अत्याधिक विलम्ब किए गए। मार्च 2006 से दिसम्बर 2014 के बीच वर्ष 2004-05 से 2013-14 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित बिहार सरकार के राजस्व प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जिसमें कुल 335 कंडिकाएँ (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थी, को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2004-05 से 2013-14 से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 117 कंडिकाओं पर संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्टूबर 2015)।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया-विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण से संबंधित क्रिया-विधि के विश्लेषण के क्रम में एक विभाग से संबंधित दस वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया तथा इसे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

विगत आठ वर्षों के दौरान राजस्व शीर्ष "0029 भू-राजस्व" के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया-विधि एवं वर्ष 2004-05 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.7.1 से 1.7.3 में उल्लिखित है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

31 मार्च 2015 तक विगत आठ वर्षों के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.12
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			अंत शेष		
		नि.प्र.	कंडिका	राशि	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	नि.प्र.	कंडिका	राशि	नि.प्र.	कंडिका	राशि
1	2007-08 ⁵	0	0	0	25	86	3.75	0	0	0	25	86	3.75
2	2008-09	25	86	3.75	59	246	58.35	0	0	0	84	332	62.10
3	2009-10	84	332	62.10	61	309	245.27	0	13	0.03	145	641	307.38
4	2010-11	145	641	307.38	46	216	80.06	6	35	1.47	185	822	385.96
5	2011-12	185	822	385.96	25	132	5.73	0	18	0.02	210	936	391.68
6	2012-13	210	936	391.68	83	652	216.89	0	4	0.04	293	1,584	608.52
7	2013-14	293	1,584	608.52	101	861	40.53	0	11	0.17	394	2,434	648.88
8	2014-15	394	2,434	648.88	73	425	536.53	0	22	0.77	467	2,837	1,184.65

सरकार पुराने कंडिकाओं के निष्पादन हेतु विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समितियों की तदर्थ बैठकें आयोजित करती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 के अन्त में संचयित होकर कुल 2,837 कंडिकाओं के साथ 467 निरीक्षण प्रतिवेदन हो गई। यह इंगित करता है कि इस संबंध में विभाग के द्वारा कोई प्रर्याप्त कदम नहीं उठाया गया था जिसके फलस्वरूप बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का भारी संचयन हुआ।

⁵ लोक लेखा समिति एवं माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों को छोड़ वर्ष 2006-07 तक के लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को देखे जाने/समाधानित किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभागों पर छोड़ दिया गया है।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामले एवं उनमें की गई वसूली की स्थिति तालिका 1.13 में वर्णित है।

तालिका-1.13

स्वीकृत मामलों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत मामलों के वसूली की संचयी स्थिति 31.03.2015 तक
2004-05	1	58.53	शून्य	शून्य	शून्य
2005-06	1 (समीक्षा)	161.11	1 (आंशिक)	154.78	शून्य
2006-07	1	1.18	1	1.18	1.50
2007-08	2	204.72	2	204.72	शून्य
2008-09	2	23.88	2	23.88	शून्य
2009-10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2010-11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2011-12	4	138.07	3 (2 आंशिक)	2.85	शून्य
2012-13	3	2.25	3	2.25	0.36
2013-14	1	0.11	1	0.11	शून्य

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की स्थिति काफी धीमी रही। स्वीकृत मामलों की वसूली संबंधित पक्षों से वसूलनीय बकाये के रूप में माँग की जानी थी। विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत मामलों के निराकरण से संबंधित कोई तंत्र नहीं बनाया गया था। उचित तंत्र के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों की वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका।

विभाग स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित बकायों की निराकरण तथा शीघ्र वसूली हेतु अनुश्रवण के लिए कदम उठा सकती है।

1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभाग/सरकार को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एक्जिट कन्फरेंस में भी विचार विमर्श किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने के समय विभाग/सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

राजस्व एवं भूमि सुधार की निम्न निष्पादन लेखापरीक्षा गत दस वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी। अनुशंसाओं का विवरण एवं उनकी स्थिति तालिका 1.14 में दिया गया है।

तालिका-1.14

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष/निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
2005-06 भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण	02	भू-लगान/सेस तथा लीज के नवीकरण इत्यादि हेतु अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभाग के निदेशों का पालन किया जाना चाहिये। राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण के अनुश्रवण हेतु एक आंतरिक नियंत्रण को विकसित किया जाना चाहिए।	उत्तर प्रतीक्षित है।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के इकाई कार्यालयों को उनके राजस्व की स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों के पूर्व के प्रवृत्ति तथा अन्य मानकों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम की श्रेणी में बांटा जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को, सरकारी राजस्व के महत्वपूर्ण मामलों एवं कर प्रशासन, जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर जारी श्वेत पत्र, वित्त आयोग (केन्द्र एवं राज्य) का प्रतिवेदन, करारोपण सुधार समिति की अनुशंसाओं, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व उगाही की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के तत्त्वों, पिछले पाँच वर्षों में लेखापरीक्षा आच्छादन एवं इसका प्रभाव आदि के जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 1,190 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ थी, जिसमें 296 इकाइयों को योजना में लिया गया तथा 287 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई, जो कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 24.12 प्रतिशत है। विवरण **परिशिष्ट-I** में दर्शाये गये हैं।

कर प्रशासन के प्रभावशीलता को जाँचने के लिए उपर वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावे एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा भी की गई।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्य-कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस, भू-राजस्व तथा खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ से संबंधित 287 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, जिनमें अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के कुल 3,537 मामलों, जिनमें कुल ₹ 2,808.25 करोड़ की राशि सन्निहित थी, परिलक्षित हुए। अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान विभागों ने 373 मामलों में ₹ 688.10 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें 87 मामलों में सन्निहित ₹ 596.43 करोड़ वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष विगत वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

1.10 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 'बिहार मूल्यवर्द्धित कर के तहत कर-निर्धारण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वाणिज्य-कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण पर एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा सहित कुल 39 कंडिकाएँ (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों, जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) शामिल हैं जिसमें ₹ 1,235.07 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 540.61 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 13.93 करोड़ की वसूली की गई। शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्टूबर 2015)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से VI में की गई है।

अध्याय-II

वाणिज्य-कर

अध्याय-II : वाणिज्य-कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

यह वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्य-कर आयुक्त होते हैं। उनके कार्य सम्पादन में मुख्यालय स्तर पर अन्वेषण ब्यूरो स्कंध सहित पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, 10 वाणिज्य-कर उपायुक्त/वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्य-कर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, सात³ अपीलीय प्रमंडलों एवं चार⁴ लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 49 अंचलों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रधान वाणिज्य-कर उपायुक्त/वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता वाणिज्य-कर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग के कार्यकलाप का मूलभूत केन्द्र है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्य-कर से संबंधित 63 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 41 इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से हमने ₹ 1,914.91 करोड़ से सन्निहित 1,939 मामलों में करों का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि तालिका 2.1 में वर्णित है।

¹ वाणिज्य-कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर - पेशा, व्यापार आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

² भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ, सारण एवं तिरहुत।

³ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णियाँ एवं तिरहुत।

⁴ भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	“मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	645.60
2	“वाणिज्य-कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण” पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	1	4.28
क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर			
1.	आवर्त का छिपाव	220	171.52
2.	कर का गलत दर लगाया जाना	92	30.67
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति	257	87.86
4.	मूल्यवर्द्धित कर/प्रवेश कर का गलत/अधिक प्रतिपूर्ति	129	59.24
5.	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	41	26.03
6.	कर का कम भुगतान तथा ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	186	27.48
7.	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	107	5.55
8.	क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	22	2.52
9.	अन्य मामले	546	154.23
कुल		1,600	565.10
ख : प्रवेश कर			
1.	आयातित मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	30	78.98
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	42	11.10
3.	निबंधन नहीं लिये जाने के कारण प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया जाना	63	9.18
4.	अन्य मामले	188	295.20
कुल		323	394.46
ग : विद्युत शुल्क			
1.	विद्युत शुल्क का नहीं/कम आरोपण	4	283.20
2.	अन्य मामले	2	0.21
कुल		6	283.41
घ : मनोरंजन/विलासिता कर			
1.	मनोरंजन कर का नहीं/कम आरोपण	4	3.16
2.	विलासिता कर का नहीं/कम आरोपण	2	0.08
3.	अन्य मामले	2	18.82
कुल		8	22.06
कुल योग		1,939	1,914.91

अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान विभाग ने 170 मामलों में ₹ 221.73 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 190.87 करोड़ से सन्निहित 17 मामले वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित

किए गए थे। 57 मामलों में ₹ 2.54 करोड़ की वसूली हुई थी, जो वर्ष 2009—10 तथा 2014—15 के बीच इंगित किए गए थे।

प्रारूप कंडिका निर्गत किये जाने के बाद लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर विभाग ने सासाराम अंचल के एक मामले में ₹ 16.69 लाख की वसूली की।

₹ 807.87 करोड़ से सन्निहित 'मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर—निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 'वाणिज्य—कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण' पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा एवं दृष्टांतस्वरूप कुछ अन्य लेखापरीक्षा अवलोकन अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

2.3 “मूल्यवर्द्धित कर के अन्तर्गत कर—निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य अंश

विभाग ने रिटर्न को अपलोड करते समय सभी फील्ड्स एवं बॉक्स को भरा जाना अनिवार्य नहीं बनाया था। इसके परिणामस्वरूप व्यवसायी अपूर्ण रिटर्न दाखिल करते थे, जिसे विभाग द्वारा स्व—कर निर्धारित मान लिया जाता था।

(कंडिका 2.3.10.1)

वर्ष 2010—11 से 2014—15 के दौरान नमूना—जाँचित 18 अंचलों में से मात्र तीन से पाँच अंचलों में अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने तथा कर के दायरे को बढ़ाने हेतु सर्वे किया गया था, जिसके फलस्वरूप सर्वे के आधार पर मात्र 275 व्यवसायियों ने ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत निबंधन लिया था।

(कंडिका 2.3.10.2)

कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा की स्थिति काफी कम थी क्योंकि 10 अंचलों में वर्ष 2010—11 से 2013—14 के दौरान 99 प्रतिशत व्यवसायियों के रिटर्न असंवीक्षित पड़े थे जो विभाग में संवीक्षा हेतु आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली की कमी का भी सूचक है।

(कंडिका 2.3.10.3)

दस नमूना—जाँचित अंचलों में वर्ष 2010—11 से 2013—14 के दौरान 38.29 से 42.01 प्रतिशत निबंधित व्यवसायियों ने रिटर्न जमा नहीं किया था, इसके बावजूद बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 27 के तहत मात्र कुछ ही मामलों का कर—निर्धारण किया गया था।

(कंडिका 2.3.10.4)

व्यवसायियों के अन्य अभिलेखों के साथ—साथ दूसरे व्यवसायियों के रिटर्न से आवर्त का अनिवार्य तिर्यक जाँच हेतु प्रावधान के अभाव तथा संवीक्षा/कर—निर्धारण नहीं/त्रुटिपूर्ण किए जाने के फलस्वरूप 18 अंचलों के 2,590 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से 15 अंचलों के 63 व्यवसायियों के मामलों में आवर्त का छिपाव हुआ तथा आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 451.83 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

वैधानिक संकल्प के बावजूद सरकार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के साथ साक्ष्य अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत किया जाना विहित नहीं किया गया था तथा साथ ही साथ संवीक्षा/कर—निर्धारण नहीं/त्रुटिपूर्ण किए जाने के परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति/लाभ लिया गया तथा इसके फलस्वरूप 18 अंचलों के 2,590

नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से 12 अंचलों के 51 व्यवसायियों के मामले में आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 43.50 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.12.1 एवं 2.3.12.2)

वैट ऑडिट हेतु व्यवसायियों की चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण थी क्योंकि योग्यता मानदंड को पूरा करने के बावजूद 55 व्यवसायियों का चयन नहीं हो सका था तथा ऑडिट मैनुअल के अभाव के कारण ऑडिट प्रक्रिया तथा उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही विहित नहीं थी, जिसके फलस्वरूप वैट ऑडिट का प्रभाव काफी कम था।

(कंडिका 2.3.24.2 से 2.3.24.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा/कर-निर्धारण तथा इससे संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट/रिटर्न को अंकित करने तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमित अवधि पर आवधिक अनुश्रवण हेतु पंजी विहित नहीं थी।

(कंडिका 2.3.24.8)

2.3.1 परिचय

मूल्यवर्द्धित कर, एक बहुस्तरीय कर है, जो मूल्यवर्द्धन कडी के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है तथा जिसमें पिछले स्तर पर भुगतान किये गये कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का प्रावधान है, जिसे अनुवर्ती बिक्री पर मूल्यवर्द्धित कर दायित्व से विनियोजित किया जा सकता है। राज्य के राजस्व में मूल्यवर्द्धित कर का प्रमुख अंश है। कर-निर्धारण का प्रत्यक्ष असर कर संग्रह तथा कर प्रशासन की गुणवत्ता पर पड़ता है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत स्व-कर निर्धारण के द्वारा व्यवसायी पर अत्यधिक विश्वास डाला गया है।

एक व्यवसायी (आयातक, कार्य संवेदक या वस्तुओं का उपयोग करने हेतु अधिकार हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति को छोड़कर) जिसका आवर्त किसी भी वर्ष में 5 लाख रुपये हो जाता है, मूल्यवर्द्धित कर के अन्तर्गत निबंधन हेतु उत्तरदायी हो जाता है। कार्य संवेदक तथा वस्तुओं का उपयोग करने हेतु अधिकार हस्तांतरण करने वाले व्यक्तियों के लिए आवर्त की मात्रा शून्य है, जबकि एक आयातक जब पहली बार आयात की गई वस्तु की बिक्री करता है, तब वह निबंधन लेने हेतु उत्तरदायी हो जाता है। मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत निबंधन के पश्चात् एक व्यवसायी (कम्पाउंडिंग कर देने का विकल्प देने वाले व्यवसायी को छोड़कर) को प्रपत्र आर.टी.-I में त्रैमासिक रिटर्न तथा प्रपत्र आर.टी.-III में वार्षिक रिटर्न के साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करना है। एक व्यवसायी जो कम्पाउंडिंग कर का विकल्प देते हैं, उन्हें प्रपत्र आर.टी.-IV में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना होगा। एक व्यवसायी (कम्पाउंडिंग कर का विकल्प देने वाले व्यवसायी को छोड़कर) को कर का भुगतान मासिक आधार पर अगले माह के पन्द्रहवें दिन अथवा उससे पहले करना है।

2.3.2 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण की मुख्य प्रणाली निम्नलिखित है:

स्व-कर निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 26(1) उपबंधित करता है कि एक वित्तीय वर्ष से संबंधित प्रत्येक निबंधित व्यवसायी जिन्होंने देय तिथि की समाप्ति के पहले रिटर्न दाखिल कर दिया है, उन्हें कर-निर्धारित माना जायेगा।

रिटर्न की संवीक्षा

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 उपबंधित करता है कि धारा 24 की उपधारा (1) तथा (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा, खण्ड (ए) से (एफ) तक में दिये गये जाँच सूची के अनुसार होगी।

रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यवसायियों का कर-निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 27 उपबंधित करता है कि यदि कोई निबंधित व्यवसायी निर्धारित देय तिथि के पहले वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में असफल रहता है, तब विहित प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक से उस व्यवसायी द्वारा देय कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का कर-निर्धारण करेगा।

निबंधन से अपवंचन करने वाले व्यवसायियों का कर-निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 उपबंधित करता है कि विहित प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि किसी व्यवसायी ने जानबूझ कर निबंधन के लिए आवेदन नहीं किया है, तब वह अपने सर्वोत्तम विवेक से व्यवसायी द्वारा देय कर का निर्धारण करेंगे।

छिपाये गये आवर्त के कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31(2), व्यवसायी द्वारा छिपाये गये आवर्त/गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण या पुनर्निर्धारण हेतु उपबंधित करता है।

कर-निर्धारण के समय या उसके पहले पता चलने पर छिपाये गये आवर्त का कर-निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 32(1) उपबंधित करता है कि यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी निबंधित व्यवसायी ने अपने क्रय या विक्रय को छिपाया है अथवा उससे संबंधित गलत ब्यौरा दिया है अथवा अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है, तब वे व्यवसायी को देय कर तथा ब्याज की राशि के अतिरिक्त देय कर के तीन गुणा के बराबर अर्थदंड का भुगतान करने का निर्देश देंगे।

लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर कर-निर्धारण


बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 प्रावधित करता है कि इस अधिनियम के तहत दाखिल किसी रिटर्न का कर-निर्धारण/पुनर्निर्धारण/संवीक्षा से संबंधित जहाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आपत्ति की जाती है, वहाँ विहित प्राधिकारी व्यवसायियों के कर का पुनर्निर्धारण हेतु कार्यवाही करेंगे।

विस्तृत लेखापरीक्षा

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 26(3) उपबंधित करता है कि वाणिज्य-कर आयुक्त अपने द्वारा निर्धारित एक चयन मॉडल/प्रक्रिया के अनुसार किसी निबंधित व्यवसायी के व्यवसाय का विस्तृत लेखापरीक्षा (अंकेक्षण) हेतु चुनाव कर सकते हैं। चयनित व्यवसायी का लेखापरीक्षा नियत तिथि से 36 महीने की अवधि के भीतर होगी तथा प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा किये जाने वाले व्यवसायियों की संख्या सामान्यतः कुल निबंधित व्यवसायियों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

2.3.3 संगठनात्मक ढांचा

राज्य में मूल्यवर्द्धित कर का आरोपण एवं संग्रहण, वाणिज्य-कर विभाग को सौंपा गया है। सर्वोच्च स्तर पर इस विभाग के प्रधान, वाणिज्य-कर आयुक्त होते हैं। विभाग का मूलभूत गतिविधि केन्द्र अंचल होता है, जहाँ कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर-निर्धारण/संवीक्षा की जाती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है:



2.3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई कि:

- कर-निर्धारण/संवीक्षा की प्रणाली विद्यमान है और जो राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और उसका उचित रूप से अनुपालन हो रहा है;
- व्यवसायियों द्वारा किये गये विभिन्न दावों के समर्थन में साक्ष्य और उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके विहित किये गये हैं तथा उनका उचित रूप से अनुपालन हो रहा है;
- कर-निर्धारण/संवीक्षा की कार्यवाही के पश्चात् निर्धारित कर की वसूली उचित रूप से की जा रही है और उन्हें सरकारी खाते में जमा किया गया है एवं कर-वापसी उचित रूप से की जाती है;
- विभाग में कर-निर्धारण/संवीक्षा और कर की वसूली से संबंधित प्रभावी तथा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र विद्यमान है; और
- अपीलीय न्यायालयों/अन्य न्यायालयों/लेखापरीक्षा (आंतरिक और बाह्य) के मामलों का उचित रूप से अनुसरण किया जाता है और अनुपालन कर-निर्धारण/पुनर्निर्धारण विहित तरीके से हो रहा है।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से ली गयी है:

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- उपरोक्त के अन्तर्गत बनाये गये नियमावली, समय-समय पर जारी कार्यकारी तथा विभागीय आदेश तथा निदेश; एवं
- कार्यपालिका नियमावली, 1979।

2.3.6 क्षेत्र एवं कार्य-पद्धति

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी से जुलाई 2015 के बीच संपन्न किया गया। वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार का कार्यालय और राज्य के 49 में से 18 अंचलों⁵ के अभिलेखों की जाँच की गई एवं प्रासंगिक सूचनाएँ प्राप्त की गई। अंचलों का चयन करते समय प्रतिस्थापन सहित समग्र अनुपात प्रतिचयन विधि के द्वारा रैंडम प्रतिचयन पद्धति से 17 अंचलों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल (जो उपरोक्त तरीके से चयनित नहीं हुआ), जो तिरहुत प्रमंडल का सबसे अधिक निबंधित व्यवसायियों एवं सबसे अधिक राजस्व उद्ग्रहण करने वाला अंचल था, का भी चयन किया गया, ताकि नमूना आकार में प्रत्येक प्रमंडल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

लेखापरीक्षा कार्य-पद्धति में दिशानिर्देश तैयार करना, लेखापरीक्षा परिणाम एवं निष्कर्ष हेतु लेखापरीक्षित इकाइयों में जाकर अभिलेखों की जाँच, जिसमें आवधिक रिटर्न की नमूना-जाँच, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट-I, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट-IV, प्रपत्र 'सी', 'एफ' में घोषणा का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, रोड परमिट/सुविधा, क्रय/विक्रय विवरणी, बैलेंस सीट/लाभ एवं हानि खाता इत्यादि शामिल है तथा व्यवसायी द्वारा अपने टैक्स आडिट रिपोर्ट/रिटर्न में दर्शायी गई विक्रय/क्रय के साथ दूसरे व्यवसायियों द्वारा दर्शायी गई क्रय/विक्रय के आँकड़ों के साथ तिर्यक जाँच के साथ-साथ विभाग से आँकड़े इकट्ठा करना, लेखापरीक्षा ज्ञापन निर्गत करना, प्रश्नावली और उसका जवाब लेखापरीक्षित इकाइयों से प्राप्त करना शामिल है।

2.3.7 स्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध करने में वाणिज्य-कर विभाग के सहयोग हेतु आभारी है। 13 मार्च 2015 को प्रधान सचिव-सह-वाणिज्य-कर आयुक्त के साथ एक आरंभिक सम्मेलन (इंट्री कन्फ्रेंस) की गई जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्य-पद्धति की चर्चा की गई और 18 सितम्बर 2015 को प्रधान सचिव-सह-वाणिज्य कर आयुक्त के साथ एक अंतिम सम्मेलन (एक्जिट कन्फ्रेंस) आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा अवलोकन, निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया गया। उनके उत्तर संबंधित कंडिकाओं में समुचित रूप से शामिल किये गये हैं।

⁵ बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष तथा पूर्णियाँ।

2.3.8 राजस्व की प्रवृत्ति

2.3.8.1 बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता

जून 2015 में हमलोगों ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान बजट अनुमान तथा बिहार सरकार के वित्त लेखे में मूल्यवर्द्धित कर के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में काफी अंतर था जो (-) 32.86 प्रतिशत से (+) 14.88 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका-2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वित्त लेखे के अनुसार प्राप्तियाँ	आधिक्य (+)/कमी(-)	भिन्नता की प्रतिशतता	बिहार की कुल कर प्राप्तियाँ	मूल्यवर्द्धित कर प्राप्ति बनाम कुल कर प्राप्तियाँ की प्रतिशतता
2010-11	5,627.69	4,557.18	(-)1,070.51	(-)19.02	9,869.85	46.17
2011-12	6,508.00	7,476.36	(+) 968.36	(+)14.88	12,612.10	59.27
2012-13	8,071.00	8,670.79	(+) 599.79	(+) 7.43	16,253.08	53.34
2013-14	12,324.04	8,453.02	(-) 3,871.02	(-) 31.41	19,960.68	42.34
2014-15	12,820.15	8,607.16	(-) 4,212.99	(-) 32.86	20,750.23	41.47

(स्रोत- राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति (विस्तृत): वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि मूल्यवर्द्धित कर से प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि में काफी तेजी से बढ़कर ₹ 4,557.18 करोड़ से ₹ 8,670.79 करोड़ हो गई, लेकिन वर्ष 2013-15 की अवधि में इसमें गिरावट हुई। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाता है कि वर्ष 2013-14 (₹ 12,324.04 करोड़) और वर्ष 2014-15 (₹ 12,820.15 करोड़) में बजट अनुमान पिछले वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में काफी अधिक था। यह इंगित करता है कि वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान तैयार करते समय विभाग द्वारा बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के प्रावधान के अनुसार पिछले वर्षों की मूल्यवर्द्धित कर प्राप्तियों पर विचार नहीं किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा एकिजट कन्फ्रेंस में कहा कि बजट अनुमान तैयार करते समय बिहार बजट प्रक्रिया के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.3.8.2 मूल्यवर्द्धित कर के विभागीय राजस्व आंकड़ों का मिलान वित्त लेखे के आंकड़ों से नहीं किया जाना

जून 2015 में हमलोगों ने पाया कि विभाग द्वारा प्रस्तुत मूल्यवर्द्धित कर के राजस्व आंकड़ों और वित्त लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों में काफी अंतर था जैसा कि तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वित्त लेखे के अनुसार प्राप्तियाँ	विभाग के अनुसार प्राप्तियाँ	वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा दिये गये प्राप्तियों के बीच भिन्नता
2010-11	5,627.69	4,557.18	4,532.19	(-) 24.99
2011-12	6,508.00	7,476.36	5,667.92	(-) 1,808.44
2012-13	8,071.00	8,670.79	7,390.66	(-)1,280.13
2013-14	12,324.04	8,453.02	8,546.43	(+) 93.41
2014-15	12,820.15	8,607.16	8,779.51	(+)172.34

(स्रोत-राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति (विस्तृत): वित्त लेखे, बिहार सरकार तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

जैसा कि तालिका में इंगित किया गया है वित्त लेखे में दर्शायी गई वास्तविक प्राप्तियों तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में (-) ₹ 1,808.44 करोड़ से लेकर (+) ₹ 172.34 करोड़ के बीच भिन्नता थी। यह इंगित करता है कि बिहार वित्त नियमावली के नियम 37 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित मूल्यवर्द्धित कर से प्राप्तियों के आँकड़ों का विभाग द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आँकड़ों से मिलान नहीं किया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में एकजट कन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसका मिलान कर लिया जाएगा।

2.3.9 राजस्व के बकाये

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजस्व के बकाये ₹ 585.44 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,238.26 करोड़ हो गये थे। इस प्रकार उक्त अवधि के दौरान बकाये के लम्बन में वृद्धि 100 प्रतिशत से अधिक थी।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 18 चयनित अंचलों में से 10 अंचलों⁶ में राजस्व के बकाये से संबंधित स्थिति नीचे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभ शेष		वर्ष के दौरान जोड़े गए राजस्व के बकाये		वसूल की गई राशि		अंत शेष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2010-11	3,354	595.26	3,152	78.41	2,629	109.48	3,877	564.19
2011-12	4,039 ⁷	585.44	1,997	508.91	3,040	248.29	2,996	846.06
2012-13	2,996	846.06	3,041	536.67	3,284	856.43	2,753	526.30
2013-14	2,753	526.30	4,753	1,476.48	5,110	398.42	2,396	1,604.36
2014-15	2,396	1,604.36	4,838	1,016.39	4,625	1,382.49	2,609	1,238.26

(स्रोत: अंचलों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना)

उपरोक्त आँकड़ों के विश्लेषण से हमने पाया कि 10 चयनित अंचलों में वर्ष 2011-12 के प्रारंभ में राजस्व का बकाया ₹ 585.44 करोड़ था जो वर्ष 2014-15 के अंत तक बढ़कर ₹ 1,238.26 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के दौरान लंबित बकाये में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। यह इंगित करता है कि राजस्व के बकाये में बढ़ने की तीव्रता वसूली से ज्यादा है। यह विभाग में नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी एवं अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

हमलोगों ने पुनः पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 46 के प्रावधान के तहत विभाग के अधिकारियों को निलामपत्रवाद अधिकारी की शक्ति प्रदत्त होने के बावजूद वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 14.09 करोड़ से सन्निहित केवल 28 निलामपत्रवाद ही दायर किया जा सका।

⁶ बाढ़, बेगुसराय, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष तथा पूर्णियाँ।

⁷ वर्ष 2011-12 का आरंभिक शेष वर्ष 2010-11 के अंतिम शेष से अधिक है क्योंकि बेगुसराय अंचल द्वारा मात्र वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक के आँकड़े मुहैया कराया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में एकजट कन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अंचलों से उत्तर प्राप्त होने के बाद भेज दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा परिणाम

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 1 अप्रैल 2005 के प्रभाव से आया। लेखापरीक्षा ने कर-निर्धारण की प्रणाली की समीक्षा की तथा काफी संख्या में त्रुटियाँ पायी, जो अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

2.3.10 संवीक्षा/कर-निर्धारण में त्रुटियाँ

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 एवं धारा 26 तथा उसके तहत बने नियमावली के तहत क्रमशः संवीक्षा एवं कर का स्व-कर निर्धारण का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने संवीक्षा, स्व-कर निर्धारण/कर-निर्धारण हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियाँ तथा कमियाँ पायी।

2.3.10.1 स्व-कर निर्धारण हेतु अधूरे रिटर्न की स्वीकृति

रिटर्न को अपलोड करते समय सभी फील्ड्स तथा बॉक्स को भरा जाना अनिवार्य नहीं बनाया गया था। इसके फलस्वरूप व्यवसायी अधूरे रिटर्न भरते थे, जिसे विभाग द्वारा स्व-कर निर्धारित मान लिया जाता था।

हमलोगों ने मार्च से जून 2015 की अवधि में मूल्यवर्द्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (वैटमीस) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायियों के रिटर्न की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि रिटर्न बिना पूरी सूचना/ऑकड़े/बॉक्स भरे अपलोड किये जा रहे थे, यद्यपि मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(1ए) यह प्रावधित करता है कि प्रत्येक निबंधित व्यवसायी एक सही एवं पूर्ण रिटर्न दाखिल करेंगे। पुनः धारा 26 उपबंधित करता है कि प्रत्येक निबंधित व्यवसायी जिन्होंने धारा 24 में वर्णित रिटर्न नियत तिथि की समाप्ति के पहले दाखिल कर दिये हैं, उससे संबंधित किसी वित्तीय वर्ष के देय कर को निर्धारित कर माना जायेगा। अतः व्यवसायियों के लिए स्व-कर निर्धारित होने के लिए पूरी तरह से संपूर्ण रिटर्न अपलोड करना आवश्यक है। लेकिन उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रिटर्न स्वीकृत एवं स्व-कर निर्धारित माने जा रहे हैं, जो इंगित करता है कि विभाग ने रिटर्न को ई-फाइलिंग करते समय सभी फील्ड्स अनिवार्य नहीं किये थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद सितम्बर 2015 में एकजट कन्फ्रेंस में विभाग ने कहा कि 1 अप्रैल 2015 से आर.टी.-III में आरंभिक स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक भरना तथा बॉक्स 'बी' तथा बॉक्स 'सी' में सूचना अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है तथा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते समय बाक्स 'जी' भरना आवश्यक होगा।

विभाग का जवाब यह स्पष्ट नहीं करता है कि रिटर्न के सभी फील्ड्स एवं अन्य बॉक्स, जैसे, बॉक्स 'ए', बॉक्स 'डी', बॉक्स 'ई', बॉक्स 'एफ' तथा बॉक्स 'एच' में सूचना अपलोड करना अनिवार्य क्यों नहीं किया गया। रिटर्न के सभी फील्ड्स/बॉक्स में सूचनाओं के अभाव में इन मामलों में स्व-कर निर्धारण से राजस्व का रिसाव हो सकता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार/विभाग सभी फील्ड्स तथा बॉक्स भरे जाने को अनिवार्य किये जाने पर विचार कर सकती है तथा केवल स्वतः पूर्ण, सही एवं सम्पूर्ण रिटर्न ही स्वीकार किया जाए तथा स्व-कर निर्धारित माना जाए।

2.3.10.2 अनिबंधित व्यवसायियों का सर्वे एवं उनका कर-निर्धारण

मात्र तीन से पाँच अंचलों में अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान हेतु वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान सर्वे किया जा सका तथा कर-निर्धारण प्राधिकारी अनिबंधन के 181 मामलों में कर-निर्धारण तथा अर्थदण्ड का आरोपण करने में विफल रहे।

वर्ष 2010-11 और 2014-15 की अवधि के दौरान नमूना-जाँचित 18 अंचलों में सर्वे और व्यवसायियों के निबंधन तथा कर-निर्धारण की स्थिति तालिका-2.5 में निम्नवत् है:

तालिका 2.5

वर्ष	किये गये सर्वे की कुल संख्या	निबंधन योग्य पाये गये व्यवसायियों की संख्या	सर्वे के पश्चात निबंधित व्यवसायियों की संख्या	धारा 28 के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ किये गये मामलों की संख्या
2010-11	289	158	66	85
2011-12	99	78	42	0
2012-13	61	128	32	0
2013-14	94	73	40	14
2014-15	336	309	95	191
कुल	879	746	275	290

(स्रोत: अंचलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त वर्णित तालिका इंगित करता है कि कर के दायरे को बढ़ाने हेतु वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान नमूना-जाँचित 18 अंचलों में से तीन से पाँच अंचलों में केवल 879 सर्वे संचालित किये गये थे और 13 से 15 अंचलों में कोई भी सर्वे संचालित नहीं किया गया था, यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 58 अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने हेतु सर्वे करने के लिए उपबंधित करता है। पुनः 879 संचालित सर्वे में 746 व्यवसायी निबंधन हेतु योग्य पाये गये लेकिन मात्र 275 व्यवसायियों ने निबंधन लिया और बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत मात्र 290 व्यवसायियों का कर-निर्धारण किया गया। अतः कर-निर्धारण प्राधिकारी शेष 181 मामलों में करों एवं अर्थदण्ड का निर्धारण एवं आरोपण नहीं किये।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अबतक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.10.3 संवीक्षा की कम संख्या

नमूना-जाँचित अंचलों में वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न असंवीक्षित रह गये।

अठारह चयनित अंचलों में से 10 अंचलों⁸ में निबंधित व्यवसायियों, रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायियों तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत की गई संवीक्षा की संख्या की स्थिति निम्न तालिका-2.6 में दी गई है:

⁸ बाढ़, बेगुसराय, दरभंगा, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, पटना सिटी पश्चिम और पटना विशेष।

तालिका 2.6

वर्ष	निबंधित व्यवसायियों की संख्या	रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायियों की संख्या	धारा 25 के अंतर्गत संवीक्षा किये गये व्यवसायियों की संख्या	संवीक्षित व्यवसायियों की प्रतिशतता	संवीक्षा में कमी (प्रतिशत में)
2010-11	38,996	22,612	248	1.09	98.91
2011-12	47,699	29,294	271	0.92	99.08
2012-13	51,895	32,023	228	0.71	99.29
2013-14	57,216	33,909	134	0.39	99.61

(स्रोत: अंचलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न असंवीक्षित रह गये, यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, कर-निर्धारण प्राधिकारी धारा 24 की उपधारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा संबंधित वर्ष के अनुसरित वर्ष की समाप्ति के पहले तक करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, कर-निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न की संवीक्षा करने की अपनी मूल तथा प्राथमिक कर्तव्य पूरा करने में असफल रहे। वृहत् संख्या में रिटर्नों की संवीक्षा का लंबित होना भी विभाग में आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र की कमी का सूचक है, जो इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि संवीक्षा से संबंधित कोई प्रतिवेदन/विवरणी विहित नहीं है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशांसा करते हैं कि सरकार/विभाग रिपोर्ट/रिटर्न विहित करने पर विचार कर सकती हैं ताकि उच्च प्राधिकारियों द्वारा मामलों की संवीक्षा/कर-निर्धारण का अनुश्रवण प्रभावी तरीके से किया जा सके।

2.3.10.4 रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यवसायियों का कर-निर्धारण

10 नमूना-जाँचित अंचलों में वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान 38.29 से 42.01 प्रतिशत निबंधित व्यवसायियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया था तथा वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान मात्र 0.01 से 0.09 प्रतिशत मामलों में ही धारा 27 के तहत कर-निर्धारण किया गया था।

हमने नमूना-जाँचित 18 अंचलों में से 10 अंचलों⁹ में पाया कि वर्ष 2010-11 और 2013-14 के बीच 38.29 से 42.01 प्रतिशत निबंधित व्यवसायियों ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया जो तालिका-2.7 में वर्णित है:

तालिका 2.7

वर्ष	निबंधित व्यवसायियों की संख्या	व्यवसायियों की संख्या जिन्होंने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया	रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यवसायियों की प्रतिशतता	धारा 27 के अंतर्गत कर-निर्धारित व्यवसायियों की संख्या	धारा 27 के अंतर्गत कर-निर्धारित व्यवसायियों की प्रतिशतता
2010-11	38,996	16,384	42.01	14	0.09
2011-12	47,699	18,405	38.58	05	0.02
2012-13	51,895	19,872	38.29	05	0.02
2013-14	57,216	23,307	40.74	03	0.01

(स्रोत: चयनित अंचलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

⁹ बाढ़, बेगुसराय, दरभंगा, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, पटना सिटी पश्चिमी और पटना विशेष।

इतनी बड़ी संख्या में निबंधित व्यवसायियों द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किया जाना विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं अनुश्रवण में कमी को दर्शाता था। कर-निर्धारण प्राधिकारी वर्ष 2010-11 से 2013-14 के बीच मात्र 0.01 से 0.09 प्रतिशत मामलों का ही कर-निर्धारण कर सके और शेष मामले छोड़ दिये गये, जबकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत उनसे ऐसे सभी मामलों में कर-निर्धारण करना अपेक्षित था।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.11 आवर्त का छिपाव

हमने पाया कि संवीक्षा के चेकलिस्ट में रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त का व्यवसायी के अन्य अभिलेखों, जैसे रोड परमिट/सुविधा की उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों के साथ-साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त विक्रय एवं क्रय की सूचनाओं के साथ जाँच करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था। हमने पुनः पाया कि किसी व्यवसायी के क्रय एवं बिक्री आंकड़ों का दूसरे व्यवसायी द्वारा रिटर्न में दर्शाये गये बिक्री एवं क्रय आंकड़ों के साथ तिर्यक जाँच किये जाने हेतु कोई प्रणाली विहित नहीं थी। इसके फलस्वरूप कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है:

2.3.11.1 व्यवसायियों के अभिलेखों से अभिज्ञान में आये आवर्त का छिपाव

व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं/कम किये जाने के परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 39.23 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमलोगों ने जनवरी और जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 13 अंचलों¹⁰ में 33 व्यवसायियों ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 644.51 करोड़ का माल क्रय/विक्रय किया, जैसाकि उनके रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी (डी-IX¹¹), घोषणा प्रपत्र 'सी'¹² की विवरणी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट¹³ एवं सुविधा विवरणी में दर्शाया गया था। हालाँकि उनलोगों ने अपने वार्षिक रिटर्न में मात्र ₹ 538.80 करोड़ ही लेखापित किए, इस प्रकार ₹ 105.71 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय/विक्रय का छिपाव किया। व्यवसायी के रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त का व्यवसायी के अन्य अभिलेखों से जाँच करने का प्रावधान के अभाव के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगा सके, यहाँ तक की एक मामले में, जो कि उनके द्वारा कर-निर्धारित/संवीक्षित था एवं संवीक्षा की निर्धारित समय-सीमा के बीत जाने के बाद भी शेष मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के तहत आरोप्य ₹ 26.85 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 3.43 करोड़ के ब्याज

¹⁰ बाढ़, भागलपुर, दरभंगा, गया, फारबिसगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

¹¹ डी0-IX - राज्य के बाहर से ₹ 10,000 अथवा अधिक के मूल्य के वस्तुओं के आयात/क्रय हेतु उपयोग में लाए गए रोड परमिट घोषणा। यह वस्तुओं के परिवहन के साथ रहता है।

¹² प्रपत्र सी- अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में रियायती दर पर वस्तुओं के क्रय हेतु उपयोग में लाया जाता है।

¹³ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट- प्रत्येक व्यवसायी जिनका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक है, उन्हें नियत तिथि तक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सहित ₹ 39.23 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-II में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष) के दो व्यवसायियों के संबंध में ₹ 6.49 करोड़ का माँग पत्र सृजित किया गया है, जबकि दरभंगा अंचल के एक व्यवसायी के संबंध में कर-निर्धारण प्राधिकारी ने इस याचना के साथ लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार किया कि 31 मार्च 2011 को ₹ 70.90 लाख के माल का निर्गमन किया गया था जो कि अगले वित्तीय वर्ष में लेखापित हुआ, यद्यपि वर्ष 2011-12 में व्यवसायी ने न ही स्टॉक ट्रांसफर प्राप्ति ही स्वीकार किया न ही किसी कर की राशि का भुगतान किया था। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.11.2 क्रय एवं विक्रय आँकड़ों की तिर्यक जाँच के दौरान अभिज्ञान में आये आवर्त का छिपाव

व्यवसायी के क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण आवर्त का छिपाव हुआ, परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 411.04 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच 18 नमूना-जाँचित अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 11 अंचलों¹⁴ में 26 व्यवसायियों ने क्रय/विक्रय की वास्तविक राशि ₹ 4,066.64 करोड़ के बदले ₹ 432.46 करोड़ का क्रय/विक्रय ही लेखापित किया था एवं इस प्रकार ₹ 3,634.18 करोड़ के क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाव किया। व्यवसायी द्वारा रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये विक्रय/क्रय की सूचनाओं का क्रेता/विक्रेता व्यवसायियों के रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये क्रय/विक्रय की सूचनाओं की तिर्यक जाँच से यह प्रकटित हुआ। ऐसी तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 411.04 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-III में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना विशेष) के चार व्यवसायियों के संबंध में ₹ 28.39 करोड़ का माँग पत्र सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.11.3 अन्तर्राज्यीय क्रय के आँकड़ों की जाँच नहीं किया जाना

वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा अंचलों को दिए गए अन्तर्राज्यीय क्रय के आँकड़ों की जाँच नहीं किए जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 1.56 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों ने 18 नमूना-जाँचित अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जनवरी एवं जून 2015 के बीच जाँच में पाया कि चार अंचलों¹⁵ के चार व्यवसायियों ने वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान अपने रिटर्न में ₹ 11.39 करोड़ के वस्तुओं का क्रय दर्शाया था। इन आँकड़ों को जाँचने हेतु निर्देश के साथ वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा अंचलों को परिचारित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय क्रय के

¹⁴ बाढ़, बेगुसराय, दरभंगा, फारबिसगंज, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

¹⁵ दरभंगा, गया, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर पश्चिमी।

आँकड़ों की तिर्यक जाँच से हमने पाया कि इन व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 17.84 करोड़ के वस्तुओं का क्रय किया था। इस प्रकार इन व्यवसायियों ने ₹ 6.45 करोड़ मूल्य के आयात का छिपाव किया, जिसका पता कर-निर्धारण पदाधिकारियों द्वारा क्रय की जाँच नहीं किए जाने के कारण नहीं लगा। इसके फलस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड तथा ₹ 14.21 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.56 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-IV** में वर्णित है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.12 इनपुट टैक्स क्रेडिट

हमने मई 2015 में पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25(1) की उपधारा (एफ) को बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 के द्वारा 27 मई 2011 के प्रभाव से विलोपित कर दिया गया था। उपरोक्त उपधारा के विलोपन के बाद व्यवसायियों द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के सही एवं उचित दावे को सुनिश्चित करने हेतु कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य जाँच समाप्त हो गया था। उपरोक्त उपधारा (एफ), 1 अप्रैल 2012 के प्रभाव से पुनः शामिल कर लिया गया था तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 1 (ए), वर्ष 2012 के अधिनियम 14 के द्वारा सम्मिलित किया गया था लेकिन सरकार ने वैधानिक संकल्प के बावजूद भी कोई प्रक्रिया अथवा रिटर्न में दर्शाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य अथवा सूचनाएँ अब तक विहित नहीं की है। इस प्रकार इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता/अनुमान्यता को जाँचने हेतु कर-निर्धारण प्राधिकारियों के पास धारा 25(1) के तहत कोई अनिवार्य जाँच विहित नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/गलत लाभ लिया गया/अनुमति दिया गया, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है:

2.3.12.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/गलत लाभ लिया जाना

आठ अंचलों में 12 व्यवसायियों द्वारा ₹ 1.60 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लिया गया जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका। इसके फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.87 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच 18 नमूना-जाँचित अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि आठ अंचलों¹⁶ में 12 व्यवसायियों ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 19.18 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार ₹ 1.60 करोड़ का दावा उपभोज्य वस्तुओं, व्यापारियों के मामले में पूँजीगत सामग्री, बिना दर्शाये हुये पिछले वर्ष से आगे लाये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट, अनुसूची-IV की वस्तुओं के विनिर्माण में खपत की गई इनपुट इत्यादि के कारण अनुमान्य नहीं थे। इस प्रकार व्यवसायी सिर्फ ₹ 17.59 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के ही हकदार थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता/अनुमान्यता को जाँचने हेतु अनिवार्य जाँच के अभाव के कारण व्यवसायियों ने ₹ 1.60 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया/लाभ उठाया, जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारी नहीं लगा सके। इस अधिक दावे के लिए मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के तहत ₹ 4.80 करोड़ का आरोप्य अर्थदण्ड

¹⁶ बेगुसराय, दरभंगा, गया, मधुबनी, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

तथा ₹ 46.85 लाख का ब्याज संगणित किया गया है। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 6.87 करोड़ का था, जैसा कि परिशिष्ट—V में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (दरभंगा एवं पटना विशेष) के तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 57.33 लाख का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.12.2 क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच के दौरान अभिज्ञान में आये गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट

व्यवसायियों के क्रय एवं विक्रय के आँकड़ों की राशि की तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 36.63 करोड़ के गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच 18 नमूना-जाँचित अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 12 अंचलों¹⁷ में 39 व्यवसायियों ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 153.18 करोड़ के माल का अधिक क्रय दर्शाया और उस पर ₹ 8.47 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया, जबकि विक्रय करने वाले व्यवसायियों ने या तो कोई रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं किया था या उन व्यवसायी को ऐसा विक्रय नहीं दिखलाया था। यह विक्रय/क्रय करने वाले व्यवसायियों के रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के तिर्यक जाँच से पता चला था। ऐसे तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 36.63 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ जैसाकि परिशिष्ट—VI में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना विशेष) के पाँच व्यवसायियों के मामले में ₹ 7.14 करोड़ की माँग सृजित की गयी है। स्वीकृत मामलों में वसूली और शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.12.3 नियम 10 ए के अन्तर्गत समायोजन के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

छः अंचलों में निबंधित 10 व्यवसायियों द्वारा नियम 10ए के प्रावधान के अनुसार पूर्ववर्ती क्रम पर भुगतान किये गये कर के समायोजन के बदले ₹ 40.93 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित समायोजन का दावा किया गया था, जिसे कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

हमलोगों ने जनवरी से जून 2015 के बीच 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि छः अंचलों¹⁸ के 10 व्यवसायियों ने तम्बाकू उत्पाद, जो दिनांक 26 जून 2012 के प्रभाव से अधिसूचित, अनुसूची-IV की वस्तु है तथा जिस पर प्रत्येक बिन्दु की बिक्री पर कर देय है, के क्रय पर ₹ 40.93 करोड़ के समायोजन का लाभ/दावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया था। यह कर का अनियमित सामंजन था, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के

¹⁷ बाढ़, बेगुसराय, दरभंगा, फारबिसगंज, गया, मधुबनी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

¹⁸ बेगुसराय, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर पश्चिमी।

नियम 10(ए) के तहत इन वस्तुओं के क्रय पर अनुमान्य नहीं था, जो यह उपबंधित करता है कि ऐसे अनुसूची-IV वस्तुओं पर पूर्ववर्ती क्रम पर भुगतान किये गये कर का समायोजन उपरोक्त अधिनियम के तहत विहित फॉर्मूला के अनुसार किया जाएगा। दस में से दो मामलों में ₹ 1.39 लाख के ब्याज सहित ₹ 6.86 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में कर का अधिक समायोजन का पता लगा था। अन्य आठ मामलों में वार्षिक रिटर्न में पर्याप्त सूचनाओं की अनुपलब्धता के कारण वास्तविक कर के अधिक समायोजन की संगणना नहीं की जा सकी थी जैसाकि **परिशिष्ट-VII** में वर्णित हैं।

- हमने बाढ़ अंचल में पाया (जून 2015) कि एक भारत निर्मित विदेशी शराब के व्यवसायी ने वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान नियम 10(ए) के अनुसार अपने कर दायित्व की गणना करते समय पूर्ववर्ती क्रम पर भुगतान किये गये ₹ 45.84 लाख के कर का समायोजन का लाभ अनियमित रूप से लिया था। नियम 10(ए) के तहत अनुसूची-IV के वस्तुओं के विनिर्माता को कर का सामंजन अनुमान्य नहीं था। अतः व्यवसायी ₹ 45.84 लाख के कर के अलावे ₹ 12.44 लाख के ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अब तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.13 रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम/नहीं किया जाना

रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम/नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 16.36 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिया गया।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि आठ अंचलों¹⁹ में आठ व्यवसायियों ने अन्तर्राज्यीय एवं राज्यान्तर्गत वस्तुओं का भंडार अंतरण/क्रय वापसी/अनुसूची-I वस्तुओं का विक्रय किया, जैसाकि उनके द्वारा वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया था। इन वस्तुओं के इनपुट का क्रय राज्य के अन्दर कर का भुगतान करने के पश्चात् किया गया था, जिसके लिए व्यवसायी द्वारा ₹ 55.37 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। यद्यपि व्यवसायी को बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 15 और 16 के तहत रिवर्स क्रेडिट की गणना करना चाहिए था, किन्तु व्यवसायी द्वारा लाभ उठाये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया गया था, क्योंकि व्यवसायी द्वारा ₹ 3.69 करोड़ के रिवर्स क्रेडिट की गणना या तो नहीं की गई थी अथवा कम संगणित की गई थी, जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के तहत ₹ 11.07 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 1.59 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 16.36 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई, जैसाकि **परिशिष्ट-VIII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने पाटलीपुत्र अंचल के एक मामले को स्वीकार किया तथा रिवर्स क्रेडिट की राशि को वसूलने का निर्देश दिया। हम स्वीकृत मामले में वसूली और शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

¹⁹ बेगुसराय, गया, हाजीपुर, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

2.3.14 कार्य संवेदकों द्वारा कटौतियों का गलत लाभ लिया जाना/अनुमति दिया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 165.98 करोड़ की कटौतियों के गलत दावों का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप ₹ 10.16 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25(1) का अनुच्छेद (ई) उपबंधित करता है कि कर-निर्धारण प्राधिकारी धारा 24 की उपधारा (1) एवं (3) के तहत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि कटौतियों के सभी दावे अधिनियम के तहत विहित तरीके तथा प्रपत्र से समर्थित हैं। लेकिन कार्य संवेदकों के मामले में मजदूरी एवं अन्य प्रभारों के मद में की गई कटौती हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम अथवा नियमावली के तहत कोई प्रपत्र अथवा तरीका विहित नहीं किया गया था। अतः संवीक्षा करते समय इन मदों पर दावा किये गये कटौती के सत्यापन हेतु अनिवार्य जाँच का अभाव था। इसके फलस्वरूप अधिक कटौतियों का लाभ लिया गया तथा इसके उपरांत कर एवं ब्याज का अवनिर्धारण हुआ, जैसाकि नीचे वर्णित है:

हमलोगों ने नमूना-जाँचित 18 अंचलों में जनवरी एवं जून 2015 के बीच 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 10 अंचलों²⁰ में 24 कार्य संवेदकों ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 795.95 करोड़ के अनुमान्य कटौती के विरुद्ध ₹ 961.94 करोड़ की कटौती का लाभ लिया था। इन कार्य संवेदकों द्वारा दाखिल रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, लाभ एवं हानि खाता तथा अन्य संबंधित कागजातों से हमने पाया कि उन्होंने ₹ 165.98 करोड़ की कटौती का लाभ उन मदों, जैसे सामग्री से संबंधित सकल लाभ तथा स्थापना व्यय, कल-पुर्जे तथा प्लांट एवं मशीनरी के रखरखाव, कमीशन इत्यादि पर लिया था, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमान्य नहीं थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, हालाँकि अमान्य कटौतियों के दावे का पता लगाने में उन मामलों में भी विफल रहे, जो उनके द्वारा संवीक्षित या कर-निर्धारित थे, इसके फलस्वरूप ₹ 10.16 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जैसाकि परिशिष्ट-IX में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा कि छः अंचलों (भागलपुर, फारबिसगंज, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी एवं पटना विशेष) में नौ व्यवसायियों के संबंध में ₹ 1.75 करोड़ की माँग सुजित की गयी है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.15 कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर के गलत दर लगाए जाने का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 7.41 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 14

²⁰ भागलपुर, फारबिसगंज, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

अंचलों²¹ में 29 व्यवसायियों ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 96.58 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर पाँच से 30 प्रतिशत की सही दर के बदले शून्य से 20 प्रतिशत की कम दर पर अपने कर का निर्धारण किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर का गलत दर लगाये जाने का पता नहीं लगाया जा सका यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25(1)(सी) के अनुसार उन्हें करों की दर सही रूप से लगाये जाने को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक रिटर्न की जाँच करना अपेक्षित था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 7.41 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-X** में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि पाँच अंचलों (मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं पटना दक्षिणी) के 10 व्यवसायियों के मामले में ₹ 2.86 करोड़ के माँग का सृजन किया गया एवं ₹ 2.68 लाख की वसूली की गई। कर-निर्धारण प्राधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल ने लेखापरीक्षा के दावे का खंडन किया और कहा कि अधिसूचना संख्या 289 दिनांक 17 दिसम्बर 2009 के अंग्रेजी संस्करण के अनुसार इसबगोल 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य था। कर-निर्धारण प्राधिकारी का जबाव तथ्य के अनुरूप नहीं है क्योंकि विभाग ने फरवरी 2014 में शुद्धिपत्र निर्गत किया था, जिसके द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से उपरोक्त अधिसूचना से 'and including Isabgul' हटा दिया गया था और कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा शुद्धिपत्र के निर्गत की तिथि के बाद आदेश पारित किया गया था। हम स्वीकृत मामले के वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.16 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

छः अंचलों के आठ व्यवसायियों के मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 13.16 करोड़ के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया था।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों के 375 संविक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान छः अंचलों²² में आठ व्यवसायियों ने राज्य के अंदर के अनिबंधित व्यवसायियों से ₹ 259.56 करोड़ की कर योग्य वस्तुओं की खरीद की, जैसाकि उनके रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट/खरीद विवरणियों में दर्शाया गया था और वस्तुओं के विनिर्माण में उनकी खपत की। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान के तहत यह क्रय कर आकर्षित करता था। लेकिन व्यवसायियों ने क्रय कर को अपने रिटर्न में स्वीकृत नहीं किया था जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारी को नहीं लगा, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.36 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 13.16 करोड़ के क्रय कर का आरोपण नहीं हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-XI** में वर्णित है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.17 कर का कम आरोपण

चार अंचलों के पाँच व्यवसायियों के मामले में ब्याज सहित ₹ 3.34 करोड़ के कर का कम आरोपण का पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका।

हमलोगों ने जनवरी और जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों के 375 संविक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि वर्ष

²¹ बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गाँधी मैदान, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

²² दरभंगा, गया, हाजीपुर, पाटलीपुत्र, पटना मध्य एवं पटना सिटी पूर्वी।

2011-12 एवं 2012-13 की अवधि के दौरान चार अंचलों (मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य एवं पटना सिटी पश्चिमी) के पाँच व्यवसायियों ने अपने दाखिल रिटर्न में सही कर दायित्व ₹ 7.25 करोड़ के बदले अपना कर दायित्व ₹ 4.68 करोड़ संगणित किया था। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने अपना कर दायित्व ₹ 2.57 करोड़ कम स्वीकृत किया। इसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 76.26 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.34 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-XII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (अक्टूबर 2015) कि पटना सिटी पश्चिमी अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 4.18 लाख का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.18 अतिरिक्त कर का कम आरोपण

पाटलीपुत्र अंचल में कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर-निर्धारण करते समय ₹ 19.26 करोड़ के अतिरिक्त कर का कम आरोपण किया गया था।

हमने फरवरी 2015 में पाटलीपुत्र अंचल में पाया कि कर-निर्धारण प्राधिकारी ने दिसम्बर 2013 में कर-निर्धारण करते समय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 648.55 करोड़ के खाद्यान्न की सही बिक्री राशि के बदले मात्र ₹ 6.49 करोड़ की कर राशि पर गलत रूप से अतिरिक्त कर तीन प्रतिशत की दर से ₹ 19.46 लाख आरोपित किया। यह बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3 ए ए के प्रावधानों के विपरीत है जो यह प्रावधित करता है कि राज्य के अन्तर्गत प्रथम बिन्दु पर किये गये समस्त बिक्री पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देय होगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.26 करोड़ का अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ, जिसपर व्यवसायी ₹ 9.82 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने हेतु भी उत्तरदायी है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.19 अधिभार का आरोपण नहीं किया जाना

तीन अंचलों के छः व्यवसायियों द्वारा अपने रिटर्न में ₹ 29.10 लाख का अधिभार स्वीकृत नहीं किया गया था, जिसका कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

हमलोगों ने जनवरी और जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संविक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान तीन अंचलों (बेगुसराय, हाजीपुर एवं पूर्णियाँ) के छः व्यवसायियों ने ₹ 9.55 करोड़ मूल्य के तंबाकू उत्पाद एवं पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री की, जिसपर ₹ 2.05 करोड़ का कर स्वीकृत किया गया था। लेकिन बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3 ए के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित अधिभार उनके द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान नहीं किया था, जबकि तंबाकू उत्पाद एवं पेट्रोलियम उत्पाद के बिक्री पर क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत अधिभार आरोप्य था। कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसे पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 लाख के ब्याज सहित ₹ 29.10 लाख के अधिभार का आरोपण नहीं हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-XIII में वर्णित है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर हमें अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.20 मूल्यवर्द्धित कर दायित्व का भुगतान/समायोजन एवं उस पर ब्याज

2.3.20.1 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

मूल्यवर्द्धित कर दायित्व के विरुद्ध प्रवेश कर के गलत समायोजन का पता नहीं लगाये जाने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 40.14 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों ने नमूना-जाँचित 18 अंचलों में जनवरी और जून 2015 के बीच 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान नौ अंचलों²³ में 36 व्यवसायियों ने मूल्यवर्द्धित कर दायित्व के विरुद्ध ₹ 194.20 करोड़ के प्रवेश कर का समायोजन का लाभ लिया। हालाँकि हमलोगों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि प्रवेश कर के समायोजन का लाभ लेने हेतु विहित मानदण्ड²⁴ के अनुसार व्यवसायी केवल ₹ 164.22 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन के हकदार थे, जैसाकि बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) के तहत उपबंधित है। कर-निर्धारण प्राधिकारी इसका पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.98 करोड़ के प्रवेश कर का मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध गलत समायोजन लिया गया तथा व्यवसायी ₹ 10.16 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 40.14 करोड़ के कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे, जैसा कि परिशिष्ट-XIV में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा कि तीन अंचलों (मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र एवं पटना विशेष) के छः व्यवसायियों के मामले में ₹ 2.95 करोड़ का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.2 स्वीकृत कर का कम भुगतान

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ब्याज सहित ₹ 14.87 करोड़ के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं लगाया गया।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 15 अंचलों²⁵ में 48 व्यवसायियों ने ₹ 296.39 करोड़ के स्वीकृत कर के विरुद्ध ₹ 285.10 करोड़ के कर का भुगतान किया था। इस प्रकार व्यवसायियों ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 11.29 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान किया। हालाँकि

²³ भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

²⁴ (i) आयात किए गए वस्तुओं का पुनः विक्रय नहीं किया गया था,
(ii) मूल्यवर्द्धित कर की दर प्रवेश कर की दर से कम था,
(iii) आयातित अनुसूचित वस्तुएँ उपभोग में नहीं लाये गये थे अथवा वस्तुओं के विनिर्माण में खपत नहीं किये गये।

²⁵ बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों को बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार कर भुगतान के साक्ष्य को देखने हेतु रिटर्न की संवीक्षा करनी थी तथा तदनुसार व्यवसायी को नोटिस निर्गत करना था, लेकिन कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा रिटर्न की संवीक्षा में विफलता के कारण ₹ 11.29 करोड़ के स्वीकृत कर के कम भुगतान, यहाँ तक कि एक कर-निर्धारित मामले में भी, का पता नहीं लगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.58 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 14.87 करोड़ के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं चल पाया, जैसा कि **परिशिष्ट-XV** में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना सिटी पूर्वी) के तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 81.96 लाख का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.3 विलंब से कर के भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने आठ अंचलों में 26 व्यवसायियों के मामले में वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान मूल्यवर्द्धित कर विलम्ब से जमा किये जाने हेतु ₹ 5.49 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व कर-निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि आठ अंचलों²⁶ के 26 व्यवसायियों ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान ₹ 195.97 करोड़ का स्वीकृत कर/निर्धारित कर एक दिन से 43 माह 20 दिनों तक के विलम्ब से जमा किया था। व्यवसायी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(10) के अन्तर्गत डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से न तो ब्याज जमा किया गया और न ही उक्त अधिनियम की धारा 39(4) के अन्तर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर अथवा निर्धारित कर के विलम्ब से भुगतान किये जाने हेतु ब्याज आरोपित किया गया। यहाँ तक कि व्यवसायी का कर-निर्धारण करते समय भी वे ब्याज आरोपित करने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-XVI** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा कि चार अंचलों (पटना सिटी पूर्वी, पाटलीपुत्र, पटना दक्षिणी तथा पटना विशेष) में 12 व्यवसायियों के मामले में ₹ 2.37 करोड़ का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा अन्य मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.21 स्रोत पर कर की कटौती

हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (डी) के अनुसार कर-निर्धारण प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि कर एवं ब्याज के भुगतान के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। भुगतान के दावों को समर्थित करने हेतु वैटमीस पर भुगतान के साक्ष्य (सी-II की प्रति)²⁷ को अपलोड तथा जाँचने की कोई प्रणाली नहीं थी। अतः स्रोत पर की गयी कर की कटौती को नही/कम/विलम्ब से जमा किये जाने का पता लगाने हेतु रिटर्न की संवीक्षा के लिए विहित प्रावधान अपर्याप्त था। इसके फलस्वरूप व्यवसायियों द्वारा स्रोत

²⁶ गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष तथा पूर्णियाँ।

²⁷ कार्य संवेदकों से कर कटौती का प्रमाण-पत्र।

पर की गयी कर की कटौती के समायोजन का अनियमित लाभ लिया गया, जैसाकि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

2.3.21.1 माँग पत्र का अनियमित निर्गमन

उप संवेदक के भुगतान विपत्र से ₹ 48.29 लाख की स्रोत पर की गई कर की कटौती के गलत समायोजन के फलस्वरूप माँग पत्र अनियमित रूप से निर्गत किया गया।

हमने अप्रैल 2015 में पटना विशेष अंचल में पाया कि एक व्यवसायी को कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा (नवम्बर 2014 में) कर-निर्धारण के दौरान ₹ 64.08 लाख के मूल्यवर्द्धित कर का अधिक माँग पत्र निर्गत किया गया था। संवेदक द्वारा, कार्य पर लगाये गए अन्य संवेदक के भुगतान विपत्र से स्रोत पर की गई कर की कटौती की राशि ₹ 48.29 लाख के भुगतान को समायोजित कर माँग पत्र निर्गत किया गया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 29 के प्रावधान के अनुसार जिस संवेदक के विपत्र से स्रोत पर कर की कटौती की जाती है, समायोजन का दावा उसी के लिए अनुमान्य होगा। इस प्रकार, स्रोत पर की गई कर की कटौती का अनियमित समायोजन के फलस्वरूप ₹ 48.29 लाख का माँग पत्र अनियमित रूप से निर्गत हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2015) कि ₹ 48.29 लाख का माँग पत्र निर्गत किया गया है। स्वीकृत मामले में वसूली हेतु हम प्रतिक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.21.2 कर भुगतान का अनियमित दावा

एक व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी को निर्गत कर भुगतान प्रमाण पत्र 'सी-II' के आधार पर ₹ 1.80 करोड़ का कर भुगतान का दावा किया, जिसे कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

हमने मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल में पाया (मार्च 2015) कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 2.92 करोड़ के अग्रिम कर की कटौती के रूप में कर भुगतान का दावा किया। इस में से व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी के पक्ष में निर्गत 'सी-II' के आधार पर अनियमित रूप से ₹ 1.80 करोड़ के कर दायित्व के समायोजन का दावा किया, जो कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29(4) के प्रावधान का उल्लंघन था। इसे कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.02 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.22 अधिक कर संग्रहण हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

तीन अंचलों के तीन व्यवसायियों के मामले में अधिक कर के संग्रहण हेतु ₹ 35.23 लाख का अर्थदण्ड कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों में पाया कि वर्ष 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान तीन अंचलों (भागलपुर, पाटलीपुत्र एवं पटना विशेष) के तीन व्यवसायियों ने ₹ 19.10 करोड़ का कर संग्रहण एवं जमा किया, जबकि इस

अवधि के दौरान उनके द्वारा बिक्री किये गये वस्तुओं के अनुसार उनका कर दायित्व मात्र ₹ 18.92 करोड़ का था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 43(2) के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 17.61 लाख का अधिक कर संग्रहण किया था। पुनः अधिनियम की धारा 43(3) उपबंधित करता है कि अवहेलना के मामले में प्रावधानों के विरुद्ध जाकर संग्रहित राशि के दुगुने के बराबर राशि अर्थदण्ड के रूप में आरोप्य है। लेकिन कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अधिक कर संग्रहण का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.23 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट—XVII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा कि पाटलीपुत्र अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 6.50 लाख का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.23 कर-वापसी के मामले

2.3.23.1 कर-वापसी का अनियमित समायोजन

कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनियमित रूप से एक व्यवसायी को कर-वापसी ₹ 6.45 करोड़ का समायोजन का अनुचित लाभ दिया गया, जो दूसरे व्यवसायी को वापस किये जाने योग्य था।

हमने पाटलीपुत्र अंचल में पाया (फरवरी 2015) कि एक व्यवसायी को दूसरे व्यवसायी के देय कर-वापसी की राशि ₹ 6.45 करोड़ का समायोजन दिया गया था, जिसमें से अगस्त 2014 में कर-निर्धारण करते समय ₹ 2.69 करोड़ मूल्यवर्द्धित कर के विरुद्ध तथा ₹ 3.76 करोड़ प्रवेश कर के विरुद्ध समायोजित किया गया था। किसी एक व्यवसायी के कर-वापसी से किसी दूसरे व्यवसायी के दायित्व का समायोजन करने का प्रावधान न तो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 68 में और न ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 43 में किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यवसायी को कर दायित्व का अनियमित सामंजन देकर ₹ 6.45 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.23.2 कर के भुगतान को सुनिश्चित किये बगैर कर-वापसी का अनियमित भुगतान

सरकारी खाते में कर के भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाणपत्र को सुनिश्चित किये बगैर ₹ 4.39 करोड़ का कर-वापसी किया गया था।

हम लोगों ने जून 2015 में बेगुसराय अंचल में पाया कि छः व्यवसायियों को वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 4.39 करोड़ का कर-वापसी, वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि हेतु असमायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट के सम्बन्ध में दिया गया था, जबकि कर-वापसी आदेश देने से पहले कर-वापसी देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई भुगतान प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया था। इस प्रकार, सरकारी खाते में कर के भुगतान को सुनिश्चित किये बगैर कर-वापसी की गई थी, जबकि वाणिज्य-कर विभाग द्वारा अधिसूचित (जून 2010) किया गया था कि अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में कर-वापसी आदेश के समय कर-वापसी भुगतान आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा कोषागार में कर, अर्थदण्ड एवं ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रमाण-पत्र को सुनिश्चित कर लिया जाना है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

हमने जून 2015 में पाया कि विभाग के उच्च प्रबंधन द्वारा कुशल अनुश्रवण हेतु अपीलीय न्यायालय द्वारा वापस किए गए मामले, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के उपरान्त कर-निर्धारण तथा संयुक्त आयुक्त लेखापरीक्षा के कारण किए गए अनुपालन कर-निर्धारणों से संबंधित कोई रिपोर्ट/रिटर्न विहित नहीं था। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में पायी गई त्रुटियाँ नीचे वर्णित है।

2.3.24.1 कमिशनरी स्तर पर मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु कम संख्या में व्यवसायियों का चयन

वर्ष 2012-13 को छोड़कर वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान राज्य में विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों के चयन की प्रतिशतता (0.55 से 1.71) कम थी।

वाणिज्य कर आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान मूल्यवर्द्धित कर की लेखापरीक्षा के लिए 0.55 प्रतिशत से 11.07 प्रतिशत व्यवसायियों का चयन किया गया था। मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के लिए चयनित व्यवसायियों का विस्तृत विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है:

तालिका 2.8

वर्ष	निबंधित व्यवसायियों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु चयनित व्यवसायियों की संख्या (प्रतिशतता कोष्ठक में)	18 चयनित अंचलों में निबंधित व्यवसायियों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु चयनित व्यवसायियों की संख्या (प्रतिशतता कोष्ठक में)
2010-11	2,04,573	2,682 (1.31)	74,476	1,451 (1.95)
2011-12	1,92,645	3,296 (1.71)	89,183	1,844 (2.06)
2012-13	2,32,897	25,788 (11.07)	99,149	10,211 (10.29)
2013-14	2,76,010	1,513 (0.55)	1,09,924	797 (0.72)

(स्रोत: विभाग/अंचलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012-13 (11.07 प्रतिशत), जहाँ व्यवसायियों का चयन 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को पार कर गई थी, को छोड़कर अन्य वर्षों के दौरान व्यवसायियों की काफी कम प्रतिशतता (0.55 से 1.71) का चयन किया गया था, यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमवावली की क्रमशः धारा 26(3) एवं नियम 22 के प्रावधानों के तहत व्यवसायियों के 10 प्रतिशत तक का चयन किया जा सकता है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.2 मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु योग्य व्यवसायियों का चयन नहीं किया जाना

आठ अंचलों में वर्ष 2013-14 के दौरान मानदंड पूरा करने के बावजूद 55 व्यवसायियों का चयन मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु नहीं किया गया था।

वैटमीस साफ्टवेयर में संधारित विभाग के डाटाबेस की जाँच के दौरान हमने पाया कि आठ अंचलों²⁸ में मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों के चयन हेतु विनिर्दिष्ट मानदंड-VI²⁹ पूरा करने के बावजूद निबंधित 55 व्यवसायियों का चयन वर्ष 2013-14 में मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु नहीं किया गया था, जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.3 मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा मैनुअल विहित नहीं किया जाना

हमने पाया कि लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुप्रवाही तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए लेखापरीक्षा के विभिन्न प्रक्रियागत एवं कार्यपद्धति पहलुओं, जैसे कि लेखापरीक्षा योजना की तैयारी, लेखापरीक्षा अवलोकन की कार्यालय प्रति और प्रासंगिक कागजातों की संचिका का संधारण, आपत्ति पुस्तिका तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष का अनुसरण आदि को समाविष्ट करते हुए नियंत्रण तंत्र को विनिर्दिष्ट करने हेतु विभाग द्वारा कोई लेखापरीक्षा मैनुअल सात वर्ष बीत जाने के बाद भी तैयार नहीं किया गया था।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.4 संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा) स्तर पर नियंत्रण प्रणाली का अभाव

लेखापरीक्षा योजना, की गई लेखापरीक्षा, आपत्ति की गई/वसूली की गई राशि इत्यादि की सूचनाएँ अभिलेखित करने हेतु संयुक्त आयुक्त, लेखापरीक्षा में कोई पंजी/अभिलेख संधारित नहीं था तथा यहाँ तक कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/निरीक्षण प्रतिवेदन की कार्यालय प्रति भी उपलब्ध नहीं थे।

दो लेखापरीक्षा प्रमंडलों (पटना एवं केन्द्रीय) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्रीय प्रमंडल तथा पटना प्रमंडल द्वारा क्रमशः 336 और 978 व्यवसायियों के रिटर्न/अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई थी। लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान आपत्ति की गई राशि से संबंधित कोई सूचना हमें प्रस्तुत नहीं की गई। हमने पाया कि ऐसी कोई भी पंजी/अभिलेख, जिसमें व्यवसायी-वार की गई लेखापरीक्षा संबंधी सूचना, आपत्ति की गई राशि तथा की गई वसूली की जाँच हो सके, संधारित नहीं की गई थी। यहाँ तक कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/निरीक्षण प्रतिवेदन की कार्यालय प्रति भी इन लेखापरीक्षा प्रमंडलों में नहीं पाया गया।

यह भी पाया गया कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित व्यवसायियों की संख्या तथा उपलब्ध मानव बल/मानव कार्यदिवस के संबंध में कोई लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप चयनित व्यवसायियों की लेखापरीक्षा की प्रगति धीमी थी, जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि वर्ष 2011-12 में केन्द्रीय प्रमंडल तथा पटना प्रमंडल के

²⁸ बेगुसराय, दरभंगा, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य एवं पटना दक्षिणी।

²⁹ ₹ 20 करोड़ के सकल आवर्त वाले कार्य संवेदकों।

क्रमशः 426 एवं 1,249 चयनित व्यवसायियों में से मात्र आठ (1.87 प्रतिशत) तथा 69 (5.52 प्रतिशत) व्यवसायियों की लेखापरीक्षा अब तक हुई थी। पुनः वर्ष 2012-13 के मामलों की लेखापरीक्षा प्रारंभ नहीं की गई थी अतः इस गति से निर्धारित तिथि के अंदर लेखापरीक्षा के पूर्ण होने की संभावना क्षीण प्रतीत होती है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.5 अंचल स्तर पर मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा का काफी कम प्रभाव

नमूना-जाँचित 18 अंचलों में हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से संबंधित कुल 1,195 चयनित व्यवसायियों, जिनका कर-निर्धारण, कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया था, में से 609 व्यवसायियों के मामले में मात्र ₹ 2.88 करोड़ की माँग सृजित की गई थी तथा ₹ 7.39 लाख की मामूली राशि की वसूली की जा सकी थी, जो मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के काफी कम प्रभाव की ओर इंगित करता है। 586 मामलों में कर संबंधी कोई अनियमितता नहीं पाई गई, जिसका अर्थ था कि मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के लिए व्यवसायियों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड उचित जोखिम विश्लेषण पर आधारित नहीं था।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

सरकार/विभाग मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों की चयन/मानदंड/प्रक्रिया को अधिक समावेशी एवं पारदर्शी बनाने तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही एवं प्रभावी बनाने के लिए एक ऑडिट मैनुअल विहित किए जाने पर विचार कर सकती है।

2.3.24.6 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा से संबंधित कर निर्धारणों का लंबित रहना

सतरह चयनित अंचलों में 536 लेखापरीक्षा अवलोकन अनुपालन कर-निर्धारण हेतु एक माह के विहित समय की समाप्ति के बावजूद लंबित थे।

अठारह चयनित अंचलों में से 17 अंचलों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान तथा दिसम्बर 2006 में वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा कार्यवाही शुरू करने के एक महीने के अंदर लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुपालन हेतु निर्गत अनुदेश के बावजूद वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान 1,865 लेखापरीक्षा अवलोकनों में से मात्र 1,329 मामलों में अंचलों द्वारा अनुपालन कर-निर्धारण किया गया था तथा शेष 536 मामले कर-निर्धारण हेतु लंबित थे। हमने पुनः पाया कि कर-निर्धारित मामलों में विभाग द्वारा ₹ 753.54 करोड़ का माँग सृजित किया गया था, जिसमें से मात्र ₹ 228.81 करोड़ की ही वसूली की जा सकी थी। एक माह की विहित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर कर-निर्धारण नहीं किया जाना, जैसाकि वाणिज्य-कर आयुक्त का निदेश था, विभाग में कमजोर नियंत्रण प्रणाली का सूचक था।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.7 अपीलीय न्यायालयों द्वारा वापस किए गए मामलों में कर-निर्धारण कालातीत हो जाना

14 अंचलों में वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान अपीलीय न्यायालयों द्वारा वापस किए गए 71 मामले विहित समय सीमा के बीत जाने के बाद भी कर-निर्धारण हेतु लंबित पड़े थे तथा कालातीत हो गए थे।

नमूना-जांचित 18 अंचलों में से 14 अंचलों³⁰ द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान अपीलीय न्यायालयों द्वारा 473 मामले वापस किए गए थे, जिनमें सिर्फ 402 मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर-निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2010-11 से 2013-14 से संबंधित 71 मामले वापसी हेतु लंबित रह गए, जो 31 मार्च 2015 को कालातीत हो गए थे, जबकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 37 के नीचे प्रथम परन्तुक में प्रावधान है कि कर-पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया, जो कि अपील के आदेश, पुनरीक्षण या समीक्षा के परिणामस्वरूप हो, कर-निर्धारण प्राधिकारी को संसूचन वर्ष की समाप्ति के बाद के एक वर्ष के अंदर प्रारंभ व पूर्ण करना होगा। पुनः यह देखा गया कि ₹ 389.11 करोड़ के माँग के विरुद्ध मात्र ₹ 316.62 करोड़ की वसूली की गई थी।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.8 कर-निर्धारण/संवीक्षा के मामलों का अनुश्रवण

- हमने मई 2015 में पाया कि बेहतर आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किए गए कर-निर्धारण/संवीक्षा से संबंधित मामलों को लेखापित करने हेतु कोई पंजी विहित नहीं थी।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

- हमने जून 2015 में पाया कि उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के तहत अंचलों के अधिकारियों द्वारा की गई कर-निर्धारण/संवीक्षा से संबंधित कोई प्रतिवेदन/रिटर्न विहित नहीं थी, जिससे कि कर-निर्धारण/संवीक्षा के कार्य का दक्षतापूर्वक अनुश्रवण हो तथा तत्पश्चात कार्रवाई किया जा सके।

- हमने जून 2015 में पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत अंचलों के कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गयी कर-निर्धारण/संवीक्षा के मामलों की कुछ प्रतिशतता उच्च प्रबंधन द्वारा अनिवार्य रूप से जाँचने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

इसे जून 2015 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में एक्जिट कन्फ्रेंस में कहा कि यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में कर-निर्धारण/संवीक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रतिवेदन/रिटर्न का प्रावधान नहीं किया गया था, तथापि मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक बैठकों में कर-निर्धारण/संवीक्षा के मामले का अनुश्रवण किया जाता है। कर-निर्धारण/संवीक्षा की कमजोर नियंत्रण प्रणाली, इस प्रतिवेदन की कंडिका 2.3.10.3 पर हमारी लेखापरीक्षा अवलोकन से भी स्पष्ट था।

³⁰ बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, फरबिसगंज, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष तथा पूर्णियाँ।

2.3.24.9 डी.सी.बी. पंजी विहित नहीं किया जाना

हमने मई 2015 में पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत माँग, संग्रहण तथा शेष (डी.सी.बी.) पंजी के संधारण का प्रावधान नहीं था। इस नियंत्रण तंत्र के अभाव में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर-निर्धारित/संवीक्षित मामलों में माँग, राजस्व के बकायों का संग्रहण तथा जमा की जाने वाली शेष राशि को दर्ज करने का कोई तंत्र विहित नहीं था, ताकि इनका प्रभावशाली रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

इसे जून 2015 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में एक्जिट कन्फ्रेन्स के दौरान कहा कि इस संबंध में उक्त पंजी के संधारण हेतु परिपत्र निर्गत किया जा चुका है।

2.3.25 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकटित हुआ:

- रिटर्न को अपलोड करते समय सभी क्षेत्रों एवं बाक्स को भरा जाना विभाग ने अनिवार्य नहीं किया था। इसके फलस्वरूप व्यवसायी अधूरे रिटर्न दाखिल करते थे, जिसे विभाग द्वारा स्व-कर निर्धारित मान लिया जाता था।
- नमूना-जाँचित 18 अंचलों में से मात्र तीन से पाँच अंचलों में अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने तथा कर-आधार को बढ़ाने हेतु सर्वे किया गया था, जिसके फलस्वरूप सर्वे के आधार पर बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत मात्र 275 व्यवसायियों ने निबंधन कराया था।
- काफी संख्या में निबंधित व्यवसायियों ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया था तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा काफी कम संख्या में रिटर्न/अभिलेखों की संवीक्षा/कर-निर्धारण की गई थी।
- क्रय/विक्रय आवर्त के छिपाव, कटौतियों का गलत/अधिक लाभ लिये जाने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लिये जाने/अनुमति दिये जाने, अतिरिक्त कर एवं सरचार्ज का आरोपण नहीं किये जाने, क्रय कर का आरोपण नहीं किये जाने, स्वीकृत कर/निर्धारित कर का भुगतान नहीं/कम किये जाने, ब्याज का आरोपण नहीं किये जाने तथा कम कर आरोपित किये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व का रिसाव हुआ।
- आंतरिक तंत्र संरचना त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों का अपर्याप्त चयन किया गया, योग्य व्यवसायियों का चयन नहीं किया गया तथा मूल्यवर्द्धित कर मैनुअल विहित नहीं किये गये थे। संवीक्षित/कर-निर्धारित मामलों को अभिलेखित/अनुश्रवण हेतु कोई पंजी/रिपोर्ट/रिटर्न विहित नहीं थे।

2.4 "वाणिज्य-कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण" पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

मुख्य अंश

परिचय

व्यवसायियों को सेवा देने में सुधार और कुशल मूल्यवर्द्धित कर प्रशासन के लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा नवम्बर 2006 में वाणिज्य-कर विभाग में मूल्यवर्द्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (वैटमीस) का काम मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टी.सी.एस.)

को नामांकन के आधार पर आबंटित किया गया था। वैटमीस, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के अंतर्गत बिहार राजस्व प्रशासन इन्टरनेट (ब्रेन) डाटा सेन्टर (डी.सी.) में स्थापित सर्वर पर संचालित होता है।

(कंडिका 2.4.1)

परियोजना प्रबंधन और गवर्नेंस

लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2015) तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, (बी.एस.ई.डी.सी., राज्य नामित एजेन्सी) और मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड (वैटमीस कार्यान्वयन के लिए मनोनीत एजेन्सी) के सर्विस लेवल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था और यूजर रिक्वायरमेन्ट स्पेसीफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसीफिकेशन, सिस्टम डिजाईन डॉक्यूमेन्ट, डाटा फ्लो डाइग्राम एवं डाटा डिक्शनरी इत्यादि से संबंधित अभिलेख नहीं थे। इसके अलावे, वाणिज्य-कर विभाग के पास कम्प्यूटर प्रणाली के लिए एप्लीकेशन का सोर्स कोड, एक्जिट मैनेजमेन्ट और डिजास्टर रिकवरी केन्द्र नहीं था।

(कंडिका 2.4.6)

निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना की गतिविधियों के पूरा न होने के कारण वाणिज्य-कर विभाग के लिए मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.) के केन्द्रीय हिस्से में कटौती की गई थी। प्रणाली का डिजास्टर रिकवरी केन्द्र नई दिल्ली के स्थान पर पटना में स्थापित किया गया था।

(कंडिका 2.4.7 एवं 2.4.8)

सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण

कम्प्यूटर प्रणाली के एप्लीकेशन नियंत्रण में विभिन्न कमियाँ थी, जैसे करदाताओं की पहचान संख्या (टीन) और यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान संख्या (सुविधा) व्यवसायियों की अधूरी जानकारी के साथ तैयार की गई थी और कम्प्यूटर प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक नियमों और वैलिडेशन जाँच मैप नहीं किए गये थे। इसके परिणामस्वरूप अपलोडेड डाटा में बहुत सारी त्रुटियाँ थी जिसकी अब तक पहचान नहीं की जा सकी थी और व्यवसायी अपने पक्ष में तथ्यों को छुपाये जाने हेतु समर्थ थे।

(कंडिका 2.4.12 से 2.4.14)

2.4.1 परिचय

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार में कम्प्यूटरीकरण का कार्य, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) को सौंपते हुए वर्ष 1999-2000 में शुरू किया गया था। बाद में, बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने नवंबर 2006 में मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड को नामांकन के आधार पर मूल्यवर्द्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (वैटमीस) का कार्य आबंटित किया था। कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों को नीचे दर्शाया गया है:

- व्यवसायियों को बेहतर सेवा प्रदान करना;
- कुशल मूल्यवर्द्धित कर प्रशासन;
- कम प्रतिक्रिया समय में अधिकारियों और व्यवसायियों के बीच कम से कम इन्टरफेस;
- विभिन्न प्राधिकारियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान; तथा
- जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना।

वैटमीस, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के अंतर्गत बिहार राजस्व प्रशासन इन्टरनेट (ब्रेन) डाटा सेन्टर (डी.सी.) में स्थापित सर्वर पर संचालित होता है। वाणिज्य-कर विभाग मुख्यालय के साथ-साथ सभी अंचल भारत संचार निगम लिमिटेड के लीज्ड लाइन्स/सेक्रेटेरिएल लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से ब्रेन डी.सी. से जुड़े हुए थे। बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (एन.ई.जी.पी. के अधीन बीस्वान) ब्रेन डी.सी. एवं स्थानों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मुख्य आधार प्रदान करता है। वैटमीस की स्थापना के फलस्वरूप वाणिज्य-कर विभाग के हितधारक अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल एवं 40 से अधिक प्रमुख बैंकों के पेमेंट गेटवे के द्वारा अपने ई-भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, इस एप्लीकेशन के कारण, वाणिज्य-कर विभाग टैक्स रिटर्न की प्राप्ति, व्यवसायियों द्वारा किये गए भुगतान की निगरानी, वैधानिक नियम के अधीन वसूली प्रक्रिया द्वारा बकायदारों का पता लगाने के लिए आधार तैयार, देय कर का कर-निर्धारण/पुनर्करनिर्धारण, तिर्यक जाँच के लिए डाटा तैयार एवं उसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वैटमीस के एप्लीकेशन कार्यक्षमता के अंतर्गत मूल्यवर्द्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर, विलासिता कर, विज्ञापन कर और पेशाकर शामिल हैं।

2.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

स्टेट डेजिग्नेटेड एजेन्सी (एस.डी.ए.) होने के कारण बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.एस.ई.डी.सी.) बिहार सरकार के विभागों में सभी तरह के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की खरीद के साथ साथ वाणिज्य-कर विभाग में वैटमीस के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार था। जबकि वाणिज्य-कर विभाग में वाणिज्य-कर आयुक्त अधिनियमों एवं नियमावली के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं।

2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए की गई कि:

- प्रणाली ने नियत उद्देश्य प्राप्त किया, व्यापार प्रक्रियाओं का समर्थन किया, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया तथा डाटा की अखंडता को बनाए रखा;
- प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक संगठनात्मक नियंत्रण प्रणाली में मौजूद थे;
- सूचना प्रणाली की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण मौजूद थे; तथा
- व्यापार की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण मौजूद थे।

2.4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से ली गई थी:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- उपभोग, उपयोग एवं बिक्री हेतु बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005;
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005; तथा
- समय समय पर सरकार द्वारा जारी राजपत्र/अधिसूचनाएँ।

2.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य—पद्धति

वाणिज्य-कर विभाग की कम्प्यूटरीकरण पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा कम्प्यूटर असिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीक की सहायता से फरवरी और जून 2015 के बीच किया गया और तकनीकी भवन, पटना में अवस्थित ब्रेन डी.सी. से डाटा संग्रहित किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान, वैटमीस एप्लीकेशन में मौजूद विभिन्न मॉड्यूल³¹ से संबंधित अप्रैल 2009 से जनवरी 2015 तक के डाटा को निकाला गया और इसका विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान वाणिज्य-कर विभाग एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को प्रश्नावली एवं लेखापरीक्षा आपत्ति जारी किये गये थे। 13 मार्च 2015 को एक इंटी कन्फ्रेंस में प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग के साथ लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्य-पद्धति के संबंध में चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशों की चर्चा 18 सितम्बर 2015 को आयोजित एकिजट कन्फ्रेंस में की गई। एकिजट कन्फ्रेंस के दौरान एवं अन्य समयों पर प्राप्त उत्तरों को प्रासंगिक कंडिकाओं में समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष को विस्तृत रूप से मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्णित की गई हैं – 'परियोजना प्रबंधन और गवर्नेंस' (कंडिका संख्या 2.4.6 से 2.4.11) एवं 'सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण' (कंडिका संख्या 2.4.12 से 2.4.14)।

परियोजना प्रबंधन और गवर्नेंस

बिहार सरकार, राज्य मंत्रीमंडल के निर्णयानुसार, उद्योग विभाग ने मेसर्स टी.सी.एस. को नामांकन के आधार पर वैटमीस का कार्य आबंटित (नवंबर 2006) किया। आबंटन आदेश के अनुसार, इस काम को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था। तदनुसार, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वैटमीस के कार्यान्वयन के लिए टी.सी.एस. को क्रय आदेश (नवंबर 2006) जारी किया। क्रय आदेश में मूल्यवर्द्धित कर सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर ढांचे की स्थापना और कार्यान्वयन प्रभार (कोर प्रभार), तीन वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी.) और प्रशिक्षण सम्मिलित था। अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्यों का पता लगा।

2.4.6 सर्विस लेवल एग्रीमेंट का हस्ताक्षर नहीं होना और अप्रयाप्त प्रलेखन

सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन (यू.आर.एस.) और सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट (एस.डी.डी.), जो कि विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित प्रणाली का पूर्ण विवरण देता है, उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए जिससे कि भेन्डर उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझ सके। इसके अलावा, उचित दस्तावेज जैसे कि यू.आर.एस., सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन (एस.आर.एस.), एस.डी.डी., डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा डिक्शनरी इत्यादि, इस परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि टी.सी.एस. को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सौंपे गये क्रय आदेश (नवम्बर 2006) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि क्रय आदेश को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं टी.सी.एस. के बीच एक विस्तृत समझौते के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था, परन्तु न

³¹ निबंधन, चेक पोस्ट (वैधानिक प्रपत्र), रिटर्न एवं पेमेन्ट।

तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया (जून 2015 तक) और न ही वार्षिक रखरखाव के शर्तों के अंतर्गत कार्य के ब्योरे को समाहित किया गया था। सिस्टम डेवलपर द्वारा तैयार किये गये प्रासंगिक दस्तावेज (यू.आर.एस., एस.डी.डी.) वाणिज्य-कर विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। फलस्वरूप, वाणिज्य-कर विभाग प्रत्येक कदम पर कार्यान्वयन एजेन्सी पर निर्भर था क्योंकि इनके पास एप्लीकेशन का सोर्स कोड और एक्जिट मैनेजमेन्ट नहीं था। विभाग ने टी.सी.एस. के परिवर्तन अनुरोध प्रस्ताव (परिवर्धन/परिवर्तन) को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा की तिथि तक टी.सी.एस. को ₹ 2.21 करोड़ में से ₹ 88.00 लाख का भुगतान किया। ए.एम.सी. का क्षेत्र अपरिभाषित रहने के कारण, वाणिज्य-कर विभाग, टी.सी.एस. पर निम्न/गैर प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह का तरलता क्षति/जुर्माना लगाने की स्थिति में नहीं था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं टी.सी.एस. के बीच एक्जिट मैनेजमेन्ट एवं सोर्स कोड के प्रावधानों के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट जुलाई 2015 में हस्ताक्षर किया गया था। परिवर्तन प्रस्ताव के भुगतान के संबंध में, विभाग ने कहा कि विभाग की आवश्यकता परिवर्तित होती रहती है एवं इसे पूर्वनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे, यह बताया गया कि टी.सी.एस. द्वारा विकसित सभी मॉड्यूल्स विभाग के पास उपलब्ध हैं और भुगतान मॉड्यूल्स से संबंधित यू.आर.एस. की एक सैम्पल कॉपी लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया गया है।

परिवर्तन प्रस्ताव के भुगतान से संबंधित विभाग का जबाब मान्य नहीं है, क्योंकि टी.सी.एस. को क्रय आदेश देने से पहले विभाग/एस.डी.ए. द्वारा यूजर रिक्वायरमेन्ट पूर्व चिन्हित नहीं किया गया था और ए.एम.सी. के कार्य क्षेत्र पूर्व परिभाषित नहीं होने के कारण टी.सी.एस. द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्ताव को विभाग द्वारा स्वीकार करना पड़ा और जिसके लिए भुगतान भी किया गया। इसके अतिरिक्त, अगर विभाग की आवश्यकता बदलती रहती है तो इससे संबंधित शर्तों को भी समझौते में तदनुसार समाहित किया जाना चाहिए था। पुनः यू.आर.एस./एस.डी.डी. से संबंधित विभाग के उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा के साथ केवल मॉड्यूल-वार डाटाबेस टेबल लिस्ट को ही साझा किया गया।

2.4.7 प्रणाली की वित्तीय स्थिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत वाणिज्य-कर प्रशासन (एम.एम.पी.सी.टी.) के कम्प्यूटरीकरण हेतु कुल परियोजना लागत ₹ 51.21 करोड़ स्वीकृत किया था (26 मार्च 2010), जिसमें क्रमशः केन्द्रीय हिस्सा ₹ 35.05 करोड़ एवं राज्य का हिस्सा ₹ 16.16 करोड़ था। निधियों के केन्द्रीय हिस्से की विमुक्ति, परियोजना के विभिन्न माईलस्टोन की उपलब्धि से जुड़ी हुई थी। प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2014 (एक वर्ष के विस्तारीकरण के उपरांत) तक पूरा कर लिया जाना था। इस परियोजना के अंतर्गत वास्तविक विमुक्ति एवं व्यय की विवरणी नीचे तालिका 2.9 में दी गयी है:

तालिका 2.9

एम.एम.पी.सी.टी. के अंतर्गत विमुक्तिकरण और व्यय

(₹ लाख में)

वर्ष	आरंभिक शेष	निधि की वास्तविक विमुक्ती		कुल उपलब्ध निधि	व्यय			अंतिम शेष
		भारत सरकार	बिहार सरकार		बी.एस.ई.डी.सी.	वाणिज्य-कर विभाग	कुल	
2009-10	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2010-11	500.00	0.00	250.00	750.00	6.72	0.00	6.72	743.28
2011-12	743.28	1000.00	647.00	2390.28	443.26	171.47	614.73	1775.55
2012-13	1775.55	1654.00	345.00	3774.55	685.41	8.79	694.20	3080.35
2013-14	3080.35	0.00	374.00	3454.35	961.56	0.00	961.56	2492.79
2014-15	2492.79	0.00	0.00	2492.79	6.55	190.41	196.96	2295.83
कुल		3154.00	1616.00		2103.50	370.67	2474.17	

(स्रोत:—बी.एस.ई.डी.सी. और वाणिज्य-कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट था कि अनुमोदित परियोजना लागत ₹ 51.21 करोड़ के परियोजना के विरुद्ध केवल ₹ 47.70 करोड़ निर्गत किया गया था और निर्गत राशि के विरुद्ध केवल ₹ 24.74 करोड़ व्यय हुए जो कि एम.एम.पी.सी.टी. के माइलस्टोन³² का अपूर्ण रहना इंगित करता था।

आगे, यह पाया गया कि निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना की गतिविधि/माइलस्टोन पूरा नहीं होने के कारण केन्द्रीय हिस्से की राशि ₹ 3.51 करोड़ (प्रस्तावित केन्द्रीय हिस्से की राशि ₹ 35.05 करोड़ के विरुद्ध ₹ 31.54 करोड़ की विमुक्ति) प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे, यह भी पाया गया कि मुख्यालय में साइट तैयार करने (एम.एम.पी.सी.टी. का एक अंगभूत भाग) में दो वर्ष से अधिक विलम्ब के कारण राज्य को केन्द्रीय हिस्से से वंचित होना पड़ा और ₹ 38.46 लाख का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, त्रैमासिक, भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा संधारित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि ऑनलाईन रिफिन्ड प्रकार्य का समापन कार्य प्रगति पर है। जैसे ही मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.क्यू.सी.) लेखापरीक्षा आयोजित हो जाती है, विभाग भारत सरकार से शेष राशि विमुक्त करने हेतु आग्रह करने की स्थिति में होगा।

2.4.8 नई दिल्ली में डिजास्टर रिकवरी केन्द्र को स्थापित नहीं किया जाना

डिजास्टर रिकवरी केन्द्र के लिए चिन्हित उपकरणों की स्थापना नई दिल्ली (अलग भूकंपीय क्षेत्र) में नहीं किया गया था।

एम.एम.पी.सी.टी. की शर्तों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में अपना कार्य करने वाले किसी भी संस्था के लिए डिजास्टर रिकवरी केन्द्र (डी.आर.सी.) की स्थापना अनिवार्य थी, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि की स्थिति में डिजास्टर रिकवरी केन्द्र से डाटा पुनः प्राप्त किया जा सके एवं संस्था सूचारू रूप से

³² डिजास्टर रिकवरी केन्द्र, राज्य डाटा सेन्टर का उपयोग, कॉमन सेवा केन्द्र का उपयोग, ई-रिफिन्ड।

कार्य कर सके। तदनुसार, सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने नई दिल्ली में डिजास्टर रिकवरी केन्द्र की स्थापना के लिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मंजूरी (मार्च 2012) दी थी। आगे, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वाणिज्य-कर विभाग के पक्ष में ₹ 1.60 करोड़ की हार्डवेयर (आई.टी. उपकरण) का क्रय (मार्च 2013) किया।

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि डिजास्टर रिकवरी केन्द्र, नई दिल्ली में इन उपकरणों को स्थापित नहीं किया गया था और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भवन, पटना में बेकार पड़े हुए थे। फलस्वरूप, डिजास्टर रिकवरी केन्द्र की स्थापना (एम.एम.पी.सी.टी. का माइलस्टोन) लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2015) तक पूरा नहीं किया जा सका। आगे, यह भी देखा गया कि विभाग से बैकअप डाटा का परीक्षण कभी भी नहीं किया था।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि डिजास्टर रिकवरी केन्द्र की स्थापना हो चुकी है एवं राज्य डाटा सेन्टर में कार्यशील है। अतः यह अधिप्राप्त हार्डवेयर की अनुपयोगिता का मामला नहीं था।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि डाटा रिकवरी केन्द्र हेतु चिन्हित उपकरणों को पटना के स्थान पर नई दिल्ली (अलग भूकंपीय क्षेत्र) में स्थापित किया जाना था।

2.4.9 सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति पर अधिक व्यय

बिना आवश्यकता के ₹ 8.29 लाख के एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस की अधिक अधिप्राप्ति की गई।

विभागीय पत्र (मई 2012) के अनुसार मिशन मोड परियोजना के तहत वाणिज्य-कर कार्यालयों के लिए 274 डेस्कटॉप³³, 389 लैपटॉप³⁴ और 663 एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस³⁵ की अधिप्राप्ति की जानी थी।

अधिप्राप्ति से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने यह पाया कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 274 डेस्कटॉप और 300 लैपटॉप (389 में से) अधिप्राप्त किया जबकि आवश्यक 574 (274+300) लाइसेंस के विरुद्ध 663 एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अधिप्राप्त किया गया। इस प्रकार, बिना आवश्यकता के ₹ 8.29 लाख³⁶ के 89 एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस की अधिक अधिप्राप्ति की गयी। आगे, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 300 लैपटॉप में से मात्र 209 लैपटॉप का ही विवरण प्रस्तुत किया।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग/स्टेट डेजिग्नेटेड एजेन्सी ने तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2015) किया एवं कहा कि 19 लाइसेंस पुराने डेस्कटॉप में स्थापित किए गए थे और शेष 70 लाइसेंस भविष्य में की जाने वाली अधिप्राप्तियों पर उपयोग में लायी जायेगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टेक्नालॉजी में त्वरित बदलाव होती रहती है एवं विभाग भविष्य में कम कीमत पर उन्नत संस्करण प्राप्त कर सकता है।

³³ प्रति डेस्कटॉप ₹ 55569 की दर से।

³⁴ प्रति लैपटॉप ₹ 53077 की दर से।

³⁵ प्रत्येक एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस ₹ 9317 की दर से।

³⁶ 89 x ₹ 9317 = ₹ 829213

2.4.10 डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (डी.बी.ए.) को अधिक भुगतान

अलग से डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (डी.बी.ए.) को सेवा पर लगाये जाने के कारण विभाग ने ₹ 16.18 लाख का अधिक भुगतान किया।

बिहार सरकार के लिए ब्रेन परियोजना के तहत बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा वेटमीस के कार्यान्वयन का कार्य तीन वर्ष (जिसे 22 अगस्त 2015 तक विस्तारित किया गया था) के लिए ₹ 1.26 करोड़ वार्षिक रखरखाव खर्च सहित टी.सी.एस. को आबंटित (28 नवंबर 2006) किया गया था। उपर उल्लेखित कार्य के अलावा, टी.सी.एस. ने डाटा सेंटर में सर्वर की बेहतर निगरानी के लिए एक डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (डी.बी.ए.) का प्रस्ताव प्रस्तुत (27 जनवरी 2012) किया।

नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि टी.सी.एस. द्वारा वार्षिक रखरखाव खर्च के अंतर्गत किये जाने वाले विस्तृत कार्यों का ब्यौरा अभिलेख पर नहीं था। एम.एम.पी.सी.टी. के वरिष्ठ सलाहकार भी टी.सी.एस. द्वारा अतिरिक्त डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर के प्रस्ताव के विरुद्ध थे और वाणिज्य-कर विभाग को सलाह दिया (जुलाई 2012) कि वार्षिक रखरखाव खर्च में सभी प्रकार के सपोर्ट को शामिल किया जाना चाहिए और मानव संसाधन के लिए अलग से भुगतान की माँग नहीं की जानी चाहिए। जबकि वाणिज्य-कर विभाग एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की सेवा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और डी.बी.ए. की सेवा लेने के लिए टी.सी.एस. को अलग से ₹ 16.18 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि डी.बी.ए. का कार्य टी.सी.एस. के आरंभिक कार्य क्षेत्र का भाग नहीं था। जब ऑनलाईन सेवा की शुरुआत की गयी तब डी.बी.ए. की आवश्यकता प्रतीत हुई एवं टी.सी.एस. को एक वर्ष के लिए यह कार्य दिया गया था। विभाग के उत्तर से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि किये जाने वाले कार्य का क्षेत्र वार्षिक रखरखाव खर्च के अंतर्गत उल्लेखित होना चाहिए था।

2.4.11 चेक पोस्ट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर निष्फल व्यय

एक अन्य चेकपोस्ट सिस्टम विकसित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप ₹ 12.24 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

वेटमीस के कार्यान्वयन हेतु क्रय आदेश के अनुसार, टी.सी.एस. द्वारा चेकपोस्ट प्रणाली मॉड्यूल (गुड्स इन्फार्मेशन सिस्टम) कार्यान्वित किया जाना था। तदनुसार, टी.सी.एस. ने आवश्यक चेकपोस्ट प्रणाली हेतु आवश्यक एप्लीकेशन विकसित किया।

वाणिज्य-कर विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि टी.सी.एस. द्वारा चेक पोस्ट के लिए www.biharcommercialtax.gov.in एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के बावजूद, वाणिज्य-कर विभाग ने मेसर्स बेस्ट को एक अन्य चेक पोस्ट सिस्टम मॉड्यूल यथा, ऑनलाईन डी-VII (आउट टू आउट), डी-VIII (राज्य के भीतर) साफ्टवेयर विकसित करने का आदेश (मई 2013) दिया। तदनुसार, मेसर्स बेस्ट ने एक दूसरा सॉफ्टवेयर www.ctdbihar.gov.in विकसित किया और उस कार्य

के लिए ₹ 12.24 लाख की राशि प्राप्त किया (जून 2014)। बाद में मेसर्स बेस्ट द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के उपयोग को त्याग दिया गया (मई 2015)। इसके अलावा, बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 (I) के प्रावधान का उल्लंघन कर बगैर निविदा आमंत्रित किये एवं उपरोक्त नियमावली के नियम 30 (V) के विपरीत बिना समझौते को क्रियान्वित किये ही बेस्ट को कार्य आबंटित कर दिया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर वाणिज्य-कर विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2015) और कहा कि मूल रूप से अधिप्राप्त सर्वर में अतिरिक्त कार्य जोड़े (ई-सुविधा) जाने के कारण बोझ अधिक बढ़ गई थी। सर्वर की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए हार्डवेयर का क्रय किया गया था लेकिन ओरेकल लाइसेंस की अनुपलब्धता के कारण उसे स्थापित नहीं किया जा सका। सर्वर की क्षमता में रुकावटों को देखते हुए, विभाग ने एक अन्य वेबसाइट पर ई-सुविधा के भार को हटाकर दूसरे वेबसाइट पर डालने का फैसला किया और वाणिज्य-कर विभाग ने ई-सुविधा जनित करने हेतु विशेष रूप से एक वेबसाइट विकसित करने के लिए बेस्ट के साथ पहल की। लेकिन मेसर्स बेस्ट द्वारा प्रदत्त सेवा स्तरीय नहीं था एवं सेवा प्रदाता मेसर्स बेस्ट ने लिखित रूप में यह दिया कि तार्किक समस्याओं के कारण प्रदान की जाने वाली सेवा को जारी रखने में वह असमर्थ है और यह निर्णय लिया गया कि यह वेबसाइट अप्रैल 2015 से बंद कर दिया जाएगा।

जबाब यह दर्शाता है कि टी.सी.एस. को क्रय आदेश जारी करने से पहले विभाग/एस.डी.ए. द्वारा विभाग की आवश्यकताओं को पूर्वचिन्हित नहीं किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एक विशिष्ट नियंत्रण है जो लेन-देन, रख-रखाव एवं अन्य प्रकार के इनपुट डाटा के उचित प्राधिकार, पूर्णता, शुद्धता एवं वैधता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इस नियंत्रण का उपयोग (मुख्य रूप से प्रबंधन करने के लिए) यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है की सभी लेनदेन मान्य, अधिकृत और अभिलेखित हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के दौरान वैटमीस एप्लीकेशन के निबंधन मॉड्यूल, चेकपोस्ट मॉड्यूल एवं रिटर्न और पेमेन्ट मॉड्यूल का विश्लेषण सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण के अंतर्गत किया गया।

2.4.12 निबंधन मॉड्यूल

कम्प्यूटर प्रणाली में त्रुटिपूर्ण इनपुट कंट्रोल एवं वैलिडेशन जाँच के कारण कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा अमान्य प्रविष्टियों को स्वीकार किया गया था।

वैटमीस का निबंधन मॉड्यूल, निबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं अर्थात्, प्रारम्भिक निबंधन, करों का संग्रहण, निबंधन का निरस्तीकरण इत्यादि, के प्रबंधन में कर-निर्धारण पदाधिकारी की मदद करता है। किसी व्यवसायी की पहचान और उसके सभी लेन-देनों की जाँच के लिए एक विशिष्ट निबंधन संख्या³⁷, मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली का नींव है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 19 (2) के साथ पठित मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रपत्र 'ए-1' में एक आवेदन दिया जाना है जिसमें कुछ सूचनाएँ जैसे, पैन, बैंक विवरण इत्यादि, दिया जाना है। पुनः प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र-सी-1 में व्यवसायी को निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र में वह तिथि,

³⁷ टीन (करदाता पहचान संख्या)।

जिस दिन से व्यवसायी इस अधिनियम के अंतर्गत कर के भुगतान हेतु दायी है, अंकित होता है। निबंधित व्यवसायियों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं, जैसे कम्पाउंडिंग³⁸, नॉर्मल इत्यादि तथा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर इन व्यवसायियों को विशिष्ट कोड, यथा, वाई.बी., वाई.सी., एस.डी. एवं नॉर्म आबंटित करते हुए विशिष्ट श्रेणी अंकित कर अलग पहचान करता है।

डाटाबेस की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि वाणिज्य-कर विभाग में जनवरी 2015 तक कुल 3,37,318 व्यवसायी निबंधित थे तथा उपरोक्त वर्णित विवरण कई व्यवसायियों के मामलों में या तो प्रविष्ट नहीं थे अथवा अमान्य डाटा के साथ प्रविष्ट किये गये थे, जिसका विवरण निम्न तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10

डाटा में त्रुटियाँ

त्रुटियाँ के विवरण	व्यवसायियों की संख्या
पैन अनुपलब्ध या अमान्य पैन	64,405
निबंधन का प्रकार-रिक्त	1,910
बैंक विवरण-अनुपलब्ध	99,765

(स्रोत - बी.एस.ई.डी.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कम्प्यूटर प्रणाली ने अमान्य प्रविष्टियों को भी स्वीकार किया था। यह कम्प्यूटर प्रणाली में त्रुटिपूर्ण इनपुट कंट्रोल का सूचक था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि प्रारंभिक चरण में पैन की प्रविष्टि अनिवार्य नहीं थी, परन्तु मई 2015 से इसे नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड के साथ रियल टाईम आधार पर विधिमान्य कर दिया गया था। बहुत सारे अभिलेख प्रत्यावर्तित डाटा के थे। पुनः मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत मात्र 1,910 प्रविष्टि ही अनुपलब्ध थे तथा विभाग इसके सुधार हेतु कार्य कर रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सभी विवरण अनिवार्य थे, अतः उपरोक्त वर्णित सभी अभिलेखों को अनिवार्य रूप से अभिग्रहित किया जाना आवश्यक होना चाहिए था।

2.4.13 चेकपोस्ट मॉड्यूल

विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना (सितम्बर 2010) के अनुसार वाणिज्य-कर विभाग को राज्य में प्रवेश करने वाले तथा राज्य से बाहर जाने वाले मालों के परिवहन के अनुश्रवण हेतु कुल छः जाँच चौकी³⁹ (चेकपोस्ट) की स्थापना राज्य की सीमाओं पर करनी थी। हालाँकि, राज्य के भीतर प्रवेश करने, राज्य से बाहर जाने वाले अथवा बिहार राज्य से होकर पार करने वाले मालों के क्रय/विक्रय अथवा भंडार अंतरण से संबंधित विवरणों को अभिग्रहित करने हेतु पाँच चेकपोस्ट⁴⁰ पर जुलाई 2012 से कम्प्यूटरीकृत चेकपोस्ट प्रबंधन मॉड्यूल (सुविधा)⁴¹ प्रारंभ किया गया था।

चेकपोस्ट मॉड्यूल में पाई गई त्रुटियाँ अनुवर्ती कांडिकाओं में वर्णित है।

³⁸ बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन निबंधित एवं व्यवसायी द्वारा अधिनियम के अधीन देय कर के बदले एक नियत राशि का भुगतान।

³⁹ दालकोला (पूणियाँ), डोभी (गया), जलालपुर (गोपालगंज), कर्मनाशा (कैमूर), रजौली (नवादा) एवं सोहनपटी (बक्सर)।

⁴⁰ दालकोला (पूणियाँ), डोभी (गया), जलालपुर (गोपालगंज), कर्मनाशा (कैमूर) एवं रजौली (नवादा)।

⁴¹ सिम्पलीफाइड यूजेज ऑफ वेहीकल्स इनफॉर्मेशन डाटा हार्मोनाईज्ड एप्लीकेशन।

2.4.13.1 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 को मैप करने का प्रावधान नहीं किया जाना

कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के प्रावधान के साथ समुचित रूप से मैप नहीं किया गया था, जिसके कारण विभाग ट्रांजिट पासों के उपयोग करने वाले वाहनों के निर्गमन का अनुश्रवण नहीं कर सका।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के अंतर्गत यदि कोई माल का खेप (कन्साईमेंट) सड़क मार्ग द्वारा बिहार राज्य के बाहर से राज्य के बाहर ही किसी अन्य स्थान के लिए परिवहित किया जाना है तथा उसे बिहार राज्य से होकर गुजरना है, तब वाहन का चालक या वाहन का कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में प्रवेश के बाद मार्ग में पड़ने वाले राज्य के प्रथम चेकपोस्ट से एक ट्रांजिट परमिशन प्राप्त करेगा तथा उसे मार्ग में पड़ने वाले राज्य के अंतिम चेकपोस्ट पर राज्य की सीमा छोड़ने के पूर्व ही संबंधित प्राधिकारी को समर्पित करेगा और यदि वह मार्ग के प्रथम चेकपोस्ट को छोड़ने के बहत्तर घंटे के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तब यह माना जाएगा कि उक्त परिवहित माल को वाहन के मालिक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर ही बेच दिया गया है। पुनः अर्थदण्ड का दर चूक के प्रत्येक दिवस के लिए पाँच सौ रुपये या मालों के मूल्य पर संगणित कर के दुगुने की राशि, जो भी अधिक हो, होगा।

वैटमीस प्रणाली में डी-VII प्राधिकार वाले वाहनों, जो राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं या सीमा से बाहर जाते हैं, के डाटा की प्रविष्टि की जाती है। कम्प्यूटर प्रणाली में ऐसे वाहनों के राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एक स्वतः एलर्ट जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विभाग उन वाहनों के राज्य से बाहर जाने पर अनुश्रवण रख सके।

जुलाई 2012 से जनवरी 2015 की अवधि के चेकपोस्टों के डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया (जून 2015) कि कम्प्यूटर प्रणाली में मालों के राज्य की सीमा से बाहर जाने पर नियंत्रण के लिए कोई भी अन्तर्निहित प्रक्रिया नहीं थी। हालाँकि डाटा विश्लेषण में यह पाया गया कि कुल 40,89,500 में से कुल 5,43,341⁴² माल सहित वाहनों, जिन्हें जुलाई 2012 से जनवरी 2015 के बीच "आऊट टू आऊट सुविधा" का प्राधिकार प्राप्त था तथा वे अपने ट्रांजिट पासों को 72 घंटे के भीतर समर्पित नहीं किये थे, परन्तु कम्प्यूटर प्रणाली में दोष के कारण (अर्थात् बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के मैपिंग के अभाव में) वाणिज्य-कर विभाग कन्साइन्मेंट के राज्य में ही रुके रहने का अनुश्रवण नहीं कर पाया। अतः कम्प्यूटर प्रणाली डाटा के अनुसार उन मालों पर राजस्व⁴³ के रिसाव की संभावना हो सकती है। पुनः हमने पाया कि कुल 5,43,341 चूककर्ता वाहनों में से 88,447 ऐसे वाहन थे, जो 'आऊट-टू-आऊट सुविधा' प्राप्त करने के बाद बार-बार (दो से 227 बार तक) राज्य में प्रवेश किए किन्तु उन्होंने अपने ट्रांजिट पास पूर्व में प्रत्येक अवसर पर जमा नहीं किया था। हमने यह भी पाया कि कुल 587 'आऊट-टू-आऊट सुविधा' बिना उपयुक्त वाहन संख्या के ही जनित किए गए थे, परन्तु कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा इन्हें रोका/एलर्ट जारी नहीं किया गया था। पुनः 5,43,341 वाहनों में से 2,98,411 वाहनों, जिन पर ₹ 86,188.65 करोड़ के कन्साइनमेंट थे जिनमें ₹ 10,560.06 करोड़ की कर की राशि सन्निहित थी, को उन पाँच चेकपोस्ट से बाहर निकलना था, जहाँ कम्प्यूटराइज्ड चेकपोस्ट प्रबंधन प्रणाली कार्यरत थे।

⁴² ₹ 5,615.50 करोड़ की राशि के कन्साईमेंट मूल्य के साथ कुल 14,532 गाड़ियों के बारे में पूर्व में ही वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) में प्रतिवेदित किया गया।

⁴³ 5,43,341 वाहनों के कन्साइन्मेंट मूल्य = ₹ 1,19,383.98 करोड़ मूल्यवर्द्धित कर की राशि ₹ 13,950.15 करोड़।

उन निकास बिन्दुओं, जिसके लिए सुविधा जनित किये गये थे, पर चेकपोस्ट की स्थापना के द्वारा बिहार के रास्ते से होकर गुजरने वाले वाहनों हेतु त्रुटिरहित प्रक्रिया विकसित करने के लिए मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) में की गई अनुशंसा पर विभाग द्वारा अब तक विचार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् वाणिज्य-कर विभाग के अपर आयुक्त ने यह स्वीकार किया (जुलाई 2015) कि पाँच लाख से अधिक वाहनों ने ट्रांजिट पास समर्पित नहीं किया था परन्तु उनके राज्य में ही रुके रहने से इंकार किया। पुनः उन्होंने बताया कि राज्य में प्रवेश करने और राज्य से बाहर जाने के कई ऐसे रास्ते थे, जहाँ कोई कार्यशील चेकपोस्ट नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में वाहन चालक बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के प्रभावों को नहीं समझ सके, अतः उन्होंने ट्रांजिट पासों को जमा नहीं किया। विभाग ने पुनः बताया (सितम्बर 2015) कि उन्होंने चूककर्ता वाहनों की पहचान एवं उनपर दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु इस प्रणाली में काफी बदलाव किए हैं तथा चूककर्ता सूची से उनके नाम हटाने की व्यवस्था भी विकसित कर ली गई है।

यह इस बात का सूचक है कि वाणिज्य-कर विभाग ने कार्यशील चेकपोस्ट पर जरूरी जाँच तथा साथ ही वैटमीस में लेनदेनों की प्रविष्टि के पूर्व सभी प्रवेश अथवा निकास बिन्दुओं पर ऑन-लाईन चेकपोस्ट की स्थापना सुनिश्चित नहीं की।

2.4.13.2 कम्प्यूटर प्रणाली के इनपुट कंट्रोल में त्रुटि

वैटमीस एप्लीकेशन में अनाधिकृत व्यक्ति/व्यवसायी द्वारा माल के आयात को रोकने संबंधी अन्तर्निर्मित नियंत्रण प्रणाली नहीं था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत राज्य के अंतर्गत मालों के आयात के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध अनिवार्य बनाए गए हैं, जिन्हें कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में भी मैप किया जाना चाहिए।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 सह पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत वैसे व्यवसायी, जो बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधित नहीं है, प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित वस्तुओं के आयात के लिए प्रतिबंधित है।

डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि 77 ईट भट्टे के कम्पाउंडिंग व्यवसायियों ने प्रवेश कर अधिनियम के तहत निबंधन लिये बगैर 1,386 अद्द सुविधा का उपयोग कर कुल ₹ 13.28 करोड़ की राशि के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया जिसपर कुल ₹ 69.80 लाख के प्रवेश कर का प्रभाव था।

पुनः हमने यह भी पाया कि कुल 932 अनिबंधित नार्मल व्यवसायी (प्रवेश कर के अधीन) ने 4,381 सुविधा का उपयोग कर कुल ₹ 84.34 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया जिसपर ₹ 4.76 करोड़ के प्रवेश कर का प्रभाव था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (जून 2015) कि 932 में से 53 नार्मल व्यवसायी प्रवेश कर अधिनियम के तहत निबंधित थे तथा 53 में से 27 व्यवसायियों ने ₹ 79.50 लाख के प्रवेश कर का भुगतान किया था। पुनः, विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा आपत्ति में फरवरी 2015 तक के ही प्रवेश कर भुगतान एवं ई-सुविधा के डाटा लिये गये हैं, जबकि फरवरी 2015 तक के सुविधा से संबंधित प्रवेश कर का भुगतान फरवरी 2015 के बाद किया जाना था। शेष मामलों में विभाग का स्पष्ट उत्तर प्रतिक्षित है।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15(1) एवं 15 (1ए) के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पाउंडिंग के रूप में वर्गीकृत व्यवसायी राज्य के बाहर से माल आयात करने के लिए योग्य नहीं है।

डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि डाटाबेस में कम्पाउंडिंग व्यवसायियों के रूप में वर्गीकृत 110 व्यवसायियों ने कुल ₹ 286.88 करोड़ के मालों का आयात किया। पुनः हमने यह भी पाया कि 14 कम्पाउंडिंग व्यवसायियों ने 3,664 अदद सुविधा का उपयोग कर कुल ₹ 111.42 करोड़ के अनुसूचित मालों का आयात किया था जिसपर उन्होंने ₹ 4.73 करोड़ के प्रवेश कर का कम भुगतान किया था तथा तीन कम्पाउंडिंग व्यवसायियों ने 54 अदद सुविधा का उपयोग कर ₹ 61.46 लाख की प्रवेश कर अधिनियम के तहत अनुसूचित वस्तुएँ मंगाई जिस पर ₹ 3.07 लाख के प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।

उत्तर में विभाग ने कहा (जून 2015) कि उपरोक्त 110 में से 11 व्यवसायी बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अनुसूची- IV की वस्तुओं के व्यवसायी थे, परन्तु इन्हें डाटाबेस में भूलवश कम्पाउंडिंग व्यवसायी के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। पुनः उन्होंने एक्जिट कन्फ्रेन्स (सितम्बर 2015) के दौरान बताया कि कई और व्यवसायियों को इस श्रेणी में गलत वर्गीकरण किया गया है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी अनिबंधित व्यवसायी इस अधिनियम की धारा 3 या 4, जो भी मामला हो, के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। पुनः वैटमीस एप्लीकेशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति (बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम अथवा प्रवेश कर अधिनियम के तहत व्यवसायी के अलावे) द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं का आयात करने के लिए सीटैन (एक अस्थायी यूजर आई.डी.) जनित किया जाता है, जबकि व्यवसायी यूजर आई.डी. के रूप में अपने टीन का उपयोग सुविधा जनित करने के लिए करते हैं।

डाटा विश्लेषण से प्रकटित हुआ कि 104 व्यवसायियों द्वारा कुल 275 अदद सुविधा ₹ 7.34 करोड़ की वस्तुओं के आयात के लिए जनित किए गए जबकि वे बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम या प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यवसायी के रूप में निबंधित नहीं थे।

उत्तर में विभाग ने कहा (जून 2015) कि इनमें से 214 सुविधा 83 ट्रांसपोर्टर्स द्वारा डी-VII के स्थान पर डी-IX के लिए भूलवश जनित कर लिए गए थे तथा शेष मामलों के बारे में उन्होंने एक-एक कर जाँच करने का आश्वासन दिया।

पुनः, हमने यह भी पाया कि सीटैन के आधार पर 165 व्यक्तियों ने 279 सुविधा जनित कर कुल ₹ 10.62 करोड़ की राशि के वस्तुओं का आयात किया जिसका उद्देश्य पुनर्बिक्री करना अथवा बिक्री/पुनर्बिक्री के लिए पैकिंग करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि इनमें से अधिकतर आयातक व्यक्ति विशेष थे। यह आयात के प्रयोजनों की गलत प्रविष्टि के कारण हो सकता है। हालाँकि प्रत्येक मामलों की विस्तृत जाँच के बाद संबंधित अंचलों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

विभाग ने एक्जिट कन्फ्रेन्स (सितम्बर 2015) में न केवल कम्प्यूटर प्रणाली में त्रुटियों से संबंधी लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सराहा बल्कि यह भी कहा कि वर्ष 2015-16 से वैटमीस एप्लीकेशन में कई सुधारात्मक उपाय किये गये हैं।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम्प्यूटर प्रणाली को अनाधिकृत व्यवसायियों अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा प्रतिबंधित उद्देश्यों हेतु मालों के आयात के लिए सुविधा जनित करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

2.4.13.3 कम्पाउंडिंग ईट भट्टे के व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर का भुगतान कम/नहीं किया जाना

वैटमीस एप्लीकेशन को प्रवेश कर के कम अथवा भुगतान नहीं किए जाने के मामलों में एलर्ट जारी करने हेतु मैप नहीं किया गया था।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत यदि कोई अनुसूचित वस्तु राज्य के अंदर बिक्री, उपयोग या उपभोग के लिए आयात की जाती है तो उस पर नियत दर से प्रवेश कर देय होगा।

डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि 126 ईट भट्टे के कम्पाउंडिंग व्यवसायियों ने 4,180 सुविधा जनित कर कुल ₹ 40.78 करोड़ की राशि की अनुसूचित वस्तुओं के आयात पर ₹ 58.72 लाख के प्रवेश कर का कम भुगतान किया जबकि 13 व्यवसायियों ने 188 सुविधा जनित कर कुल ₹ 1.98 करोड़ की राशि की अनुसूचित वस्तुओं के आयात पर ₹ 10.05 लाख के प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2015)।

2.4.14 रिटर्न एवं पेमेन्ट मॉड्यूल

एक निबंधित व्यवसायी मालों की सभी खरीद, बिक्री, प्राप्ति एवं प्रेषण से संबंधित अपने सभी लेन-देनों तथा कोई विहित रूप से विशिष्ट लेन-देनों का सम्पूर्ण एवं सही रिटर्न विहित तरीके से विहित प्राधिकारी को समर्पित करेगा।

वैटमीस के रिटर्न एवं पेमेन्ट मॉड्यूल की सहायता से कोई भी मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत निबंधित व्यवसायी किसी भी स्थान से किसी भी समय इंटरनेट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है और भुगतान कर सकता है। हालाँकि अक्टूबर 2012 से वैसे सभी निबंधित व्यवसायियों, जिनका किसी वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में कुल सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक हो या उसका आऊटपूट कर दायित्व किसी तिमाही में एक लाख रुपये से अधिक हो, के लिए मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत सभी रिटर्न दाखिल करना एवं विभागीय वेवसाईट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाना अनिवार्य बना दिया गया।

कम्प्यूटर प्रणाली में स्वतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि प्रत्येक विलम्ब से दाखिल रिटर्न या रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने, कम भुगतान या भुगतान नहीं किए जाने, स्वीकृत कर के कम भुगतान, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 (12) के तहत अधिक छूट लिये जाने के मामलों में, संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी को एलर्ट जारी हो तथा दोषी व्यवसायियों के विरुद्ध स्वतः मांग-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था हो, ताकि कर-निर्धारण प्राधिकारी मामलों का अनुश्रवण कर सकें।

वैटमीस के रिटर्न एवं पेमेन्ट मॉड्यूल में पायी गई त्रुटियाँ निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.4.14.1 रिटर्न दाखिल नहीं करने या विलम्ब से दाखिल करने संबंधी एलर्ट का अभाव

वैटमीस एप्लीकेशन को रिटर्न विलम्ब से दाखिल या दाखिल नहीं किए जाने संबंधी एलर्ट जारी करने हेतु मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 (3) के अनुसार प्रत्येक निबंधित व्यवसायी नियत तिथि तक या उसके पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष का एक सही एवं पूर्ण रिटर्न, विहित प्रक्रिया के अंतर्गत, विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

पुनः मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 (8) के प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यवसायी अपना वार्षिक रिटर्न (आर.टी.-III) समय पर दाखिल करने में विफल रहता है, तब वे विलम्ब हेतु, दण्ड⁴⁴ के लिए उत्तरदायी होंगे।

वैसे व्यवसायी, जिनके वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि में एक भी तिमाही के रिटर्न कम्प्यूटर प्रणाली में उपलब्ध थे, के डाटा विश्लेषण में हमने पाया कि कुल 53,845 व्यवसायियों ने अपना आरटी -III दाखिल नहीं किया जबकि 30,718 व्यवसायियों ने विलम्ब से दाखिल किया। हालाँकि कम्प्यूटर प्रणाली में त्रुटि के कारण रिटर्न दाखिल नहीं किये जाने/विलम्ब से किये जाने हेतु दण्ड⁴⁵ का माँग-पत्र स्वतः जारी नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, वाणिज्य-कर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि वैसे व्यवसायियों, जिन्होंने अपना रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया, के विरुद्ध कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दण्ड आरोपित किए गए होंगे। चूंकि सृजित माँगों की प्रविष्टि कम्प्यूटर प्रणाली में नहीं किए गए थे, अतः ये परिलक्षित नहीं हुए।

उत्तर स्वतः ही कम्प्यूटर प्रणाली के त्रुटियों की स्वीकारोक्ति थी। हालाँकि सृजित माँग एवं इसके पूर्ण होने की वास्तविक स्थिति प्रतिक्षित थे।

कम्प्यूटर प्रणाली के द्वारा बिना दण्ड के भुगतान के नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल किए जाने को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा वैसे व्यवसायियों के संबंध में, जिन्होंने नियत तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, एक एलर्ट जारी की जानी चाहिए थी।

2.4.14.2 मूल्यवर्द्धित कर के कम भुगतान किए जाने संबंधी एलर्ट का अभाव

वैटमीस एप्लीकेशन ईट भट्टे के व्यवसायियों, जिन्होंने कम्पाउंडिंग योजना का विकल्प लिया था, द्वारा कर के कम भुगतान पर एलर्ट जारी करने हेतु मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 4 के प्रावधान के अंतर्गत वाणिज्य-कर विभाग ने अधिसूचना निर्गत (मई 2006) किया, जिसके तहत ईट भट्टे के व्यवसायी, जिन्होंने कम्पाउंडिंग कर देने का विकल्प दिया हो, को वर्ष 2011-12 तक प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम ₹ 60,000 का भुगतान करना है तथा अधिसूचना (जुलाई 2012) के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए इसे बढ़ाकर ₹ 75,000 एवं बाद में वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 83,000 निर्धारित (ईट भट्टे की न्यूनतम श्रेणी के लिए कर्णांकित) किया गया।

डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 4,102 में से 1,405 ईट भट्टे के मालिकों, जिन्होंने कम्पाउंडिंग कर का विकल्प दिया था, ने ₹ 4.54 करोड़ की कम्पाउंडिंग कर की राशि का कम भुगतान किया था (प्रतिवर्ष न्यूनतम मूल्यवर्द्धित कर के आधार पर संगणित)।

इसे इंगित किए जाने (मई 2015) के बाद विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जून 2015) कि वास्तव में 1,234 'वाई.वी.' व्यवसायियों⁴⁶ ने वास्तव में कुल

⁴⁴ पहले छः माह के विलम्ब पर प्रतिमाह अथवा उसके अंश के लिए ₹ 750 तथा तत्पश्चात् प्रतिमाह या उसके अंश के लिए ₹ 1000।

⁴⁵ आर.टी. -III दाखिल नहीं करने के लिए ₹ 86.43 करोड़ (2011-13 की अवधि के लिए दिसम्बर 2014 तक की गणना के अनुसार) तथा विलम्ब से दाखिल करने के लिए ₹ 9.35 करोड़ (2011-14 की अवधि के लिए जनवरी 2015 तक की गणना के अनुसार)।

⁴⁶ ईट भट्टे के कम्पाउंडिंग व्यवसायी।

₹ 3.51 करोड़ का मूल्यवर्द्धित कर कम भुगतान किया था, जबकि 171 व्यवसायी कम्प्यूटर प्रणाली में वाई.वी. व्यवसायी के रूप में गलती से वर्गीकृत हो गये थे। पुनः विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि यदि कोई ईट भट्टे का व्यवसायी बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 4 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना में दिए गए शर्तों एवं बंधेजो को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें कम्पाउंडिंग व्यवसायी नहीं माना जाएगा। परन्तु तथ्य यथावत थे क्योंकि कम्प्यूटर प्रणाली उन्हें कम्पाउंडिंग व्यवसायी के रूप में ही प्रदर्शित कर रहा था।

2.4.14.3 स्वीकृत कर का नहीं अथवा कम भुगतान करने के संबंध में एलर्ट जारी करने का अभाव

वैटमीस एप्लीकेशन को स्वीकृत कर के कम अथवा भुगतान नहीं करने के संबंध में एलर्ट जारी करने के लिए मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी को प्रत्येक माह के देय करों का भुगतान अगले माह के 15 वीं तारीख तक करना है जिसमें विफल रहने पर उसे भुगतेय होने की वास्तविक तिथि से भुगतेय राशि पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

- लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए व्यवसायियों के रिटर्न एवं पेमेन्ट से संबंधित डाटा के विश्लेषण से हमने पाया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में कुल 22,588 व्यवसायियों ने मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत अपने स्वीकृत कर के दायित्व के विरुद्ध ₹ 694.31 करोड़ का कम भुगतान किया था, जिसे कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः संकेत नहीं दिया गया।
- यह भी देखा गया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 14,034 व्यवसायियों ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत अपने स्वीकृत कर ₹ 180.25 करोड़ का भुगतान ही नहीं किया था जिसे भी कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः संकेत नहीं दिया गया। वैसे व्यवसायी मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तत्समय प्रावधानों के तहत ब्याज के भुगतान हेतु दायी थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वाणिज्य-कर विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि कुछ मामलों में व्यवसायियों द्वारा गलत प्रविष्टि के कारण ऐसा हुआ। पुनः विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई कर के कम भुगतान की गणना स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रत्येक मानकों यथा, रिटर्न अवधि के लिए कर का भुगतान, सी-II का दावा, पिछले वर्ष के असामंजित प्रवेश कर का सामंजन, आऊटपुट कर, इनपुट कर, धारा 24 के अंतर्गत छूट इत्यादि को लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था। स्वीकृत कर के भुगतान नहीं करने के संबंध में विभाग ने पुनः कहा कि प्रत्येक मामलों की अलग-अलग जाँच अंचल स्तर पर की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि ई-फाईलिंग के मामले में डाटा प्रविष्टि की जिम्मेवारी संबंधित व्यवसायी की है तथा मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए, जो कम्प्यूटराइजेशन का एक उद्देश्य है, इस संबंध में कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः एलर्ट जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए थी तथा पुनः यह उल्लेखनीय है कि लेखापरीक्षा ने स्वीकृत कर के कम भुगतान/भुगतान नहीं किए जाने की गणना में वार्षिक रिटर्न (आर.टी.-III) के कर्णांकित स्तम्भों में दर्शाए गए भुगतेय कर की राशि में से मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर का वास्तविक भुगतान, प्रवेश कर के सामंजन का दावा तथा रिटर्न में स्रोत पर की गयी कर की कटौती स्तंभ में दर्शायी गई राशि को पहले ही घटाकर किया गया था।

2.4.14.4 मूल्यवर्द्धित कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किये जाने संबंधी एलर्ट जारी करने का अभाव

वैटमीस एप्लीकेशन को मूल्यवर्द्धित कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज के भुगतान नहीं किए जाने पर एलर्ट जारी किए जाने के लिए मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(9) के प्रावधानों के तहत धारा 15(1) एवं 15(4) के अंतर्गत कर भुगतान को अनुमत्य व्यवसायियों को छोड़कर अन्य प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह के अपने देय कर का भुगतान अगले माह के 15 वीं तारीख तक या उससे पहले करेंगे। पुनः धारा 24(10) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि कोई व्यवसायी, जिसे धारा 24 (1ए) एवं 24(4) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करना है, ने धारा 24(9) के प्रावधान के अनुसार देय कर का भुगतान करने में विफल रहा है, तब उसे डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन में एक अन्तर्निर्मित नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए जिससे कम्प्यूटर प्रणाली के द्वारा दोषी व्यवसायियों के विरुद्ध देय ब्याज का स्वतः एलर्ट जारी हो सके।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के अवधि के डाटा विश्लेषण में यह पाया गया कि मूल्यवर्द्धित कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 70.83 करोड़ के ब्याज का आरोपण 1,33,704 व्यवसायियों पर नहीं किया गया था। इसकी गणना व्यवसायियों द्वारा किए गए ब्याज के भुगतान, यदि कोई हो, को घटा कर किया गया था।

इस प्रकार कम्प्यूटर प्रणाली में अन्तर्निर्मित नियंत्रण की कमी के कारण कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा कोई एलर्ट जारी नहीं किया जा सका। विभाग ने इस संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

हम अनुशंसा करते हैं कि व्यवसायियों को बगैर आरोप्य ब्याज के कर के भुगतान करने से रोकने हेतु कदम उठाने चाहिए।

2.4.14.5 व्यवसायियों द्वारा अधिक छूट का लाभ लेने से संबंधित एलर्ट का अभाव

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इनपुट एवं वैलिडेशन जाँच की कमी के कारण व्यवसायियों को अधिक छूट के दावे की अनुमति दी गई थी।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(12) के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवसायियों को, धारा 24 के अंतर्गत दाखिल रिटर्न में, स्वीकृत कर की राशि का आधा प्रतिशत या एक वर्ष में अधिकतम ₹ 50,000 का छूट अनुमान्य है।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के वैटमीस के अंतर्गत व्यवसायियों के रिटर्न के विश्लेषण में हमने पाया कि 1,680 व्यवसायियों ने अधिक छूट का दावा किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने स्वीकार किया (जून 2015) कि अब तक उपलब्ध रिटर्न टेम्पलेट मैक्रो आधारित नहीं थे जिससे कोई व्यवसायी गलती से किसी कॉलम में असंगत डाटा की प्रविष्टि करने के लिए स्वतंत्र था। पुनः यह बताया गया कि वर्ष 2015-16 के प्रथम तिमाही से कम्प्यूटर प्रणाली में मैक्रो आधारित एक्सेल टेम्पलेट का प्रावधान किया गया है जिससे स्वतः गणना एवं तदनुसार सुधारों से इस तरह की गलतियों को दूर किया जा सकता है।

पुनः विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि आर.टी.-III अपलोड करते समय व्यवसायी/ डाटा इन्ट्री आपरेटर ने भूल किया है तथा "धारा 24(12) के तहत रिबेट" कॉलम में गलत राशि अंकित कर दिया है।

2.4.14.6 त्रैमासिक रिटर्न के संशोधन के प्रावधान का मैपिंग नहीं किया जाना

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तत्समय प्रावधानों के साथ मैप नहीं किया गया था जिससे व्यवसायियों को अपने त्रैमासिक रिटर्न को अनियमित तरीके से संशोधन करने के लिए अनुमत्य किया गया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के प्रावधानों में संशोधन किया जिससे धारा 24(1ए) के तहत दाखिल त्रैमासिक रिटर्न को संशोधित करने की सुविधा व्यवसायियों से स्वतः समाप्त हो गई। तदनु रूप कम्प्यूटर प्रणाली को भी अधिनियम के तत्समय प्रावधानों के अनुसार मैप किया जाना चाहिए था।

डाटा के विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि धारा 24 की उपधारा 1ए के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में दाखिल क्रमशः 63,127 एवं 72,618 त्रैमासिक रिटर्नों को संशोधित किया गया था जिसे कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के साथ-साथ विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम (संशोधन एवं विधिमान्यीकरण) अधिनियम, 2015 पारित किया जिससे त्रैमासिक रिटर्न को संशोधित करने के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 1 अप्रिल 2012 से पुनर्स्थापित किया गया।

2.4.14.7 राज्य के बाहर बिक्री/भंडार अंतरण तथा राज्य के बाहर से खरीद/भंडार अंतरण का छिपाव

स्वीकृत बिक्री/खरीद के ऑकड़ों को चेकपोस्ट के वास्तविक बिक्री/खरीद के डाटा के साथ किसी मिस-मैच हेतु एलर्ट जारी करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली समर्थ नहीं था। पुनः व्यवसायी द्वारा पिछले वर्ष के स्वीकृत अंतशेष के अनुसार आरंभ शेष की गलत प्रविष्टि को स्वतः रोकने में भी यह विफल रहा।

मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यवसायी अपने आवर्त या उससे संबंधित कोई सूचना का छिपाव करता है तब वह छिपाव के मूल्य पर देय कर के अलावे ब्याज के साथ अर्थदण्ड का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

• वर्ष 2012-13 (चेकपोस्ट के डाटा जुलाई 2012 से ही उपलब्ध थे) एवं 2013-14 के चेकपोस्ट के डाटा (अनुमोदित एवं कालातीत सुविधा हेतु) एवं व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न के डाटा की तिर्यक जाँच से हमने पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमशः 1,632 में से 515 एवं 3,138 में से 2,158 व्यवसायियों ने क्रमशः ₹ 118.18 करोड़ तथा ₹ 1,249.31 करोड़ के राज्य के बाहर का बिक्री अथवा भंडार अन्तरण कम दर्शाया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2015) कि मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न (आर.टी.-III) में दर्शाए गए राज्य के बाहर की बिक्री में केन्द्रीय बिक्री कर को अलग रखा जाता है जबकि ई-सुविधा में केन्द्रीय बिक्री कर की राशि शामिल रहता है, जो शायद इस अंतर का कारण है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 2 (ओ) तथा धारा 2 (जेड.डी.) (VI) के प्रावधानों के तहत आर.टी.-III के अंतर्गत बिक्री मूल्य में से मात्र बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर को अलग रखा जाता है न कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर को। पुनः विभाग के उत्तर के आलोक में डाटा का पुनः विश्लेषण किया गया तथा अनुमोदित ई-सुविधा (डी-IX) हेतु मात्र बिक्री/पुनर्बिक्री तथा

भंडार अंतरण को विचार में रखा गया तथा पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 179 एवं 524 व्यवसायियों ने क्रमशः ₹ 19.64 करोड़ एवं ₹ 166.47 करोड़ का केन्द्रीय बिक्री कर के तहत बिक्री या राज्य के बाहर भंडार अंतरण की राशि का छिपाव किया था।

- वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के लिए व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न एवं चेकपोस्ट के डाटा (अनुमोदित एवं कालातीत सुविधा हेतु) की तुलनात्मक जाँच से यह पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 3,005 एवं 5,666 व्यवसायियों ने अपने राज्य के बाहर के खरीद एवं भंडार प्राप्ति को क्रमशः ₹ 9,775.88 करोड़ एवं ₹ 6,068.46 करोड़ कम दर्शाया था। पुनः हमने यह भी पाया कि वर्ष 2012-13 में 2,320 एवं 2013-14 में 3,733 व्यवसायियों ने अपने रिटर्न में दर-वार खरीद को नहीं दर्शाया था तथा मात्र सकल खरीद ही दर्शाये थे क्योंकि कम्प्यूटर एप्लीकेशन में संबंधित फील्ड्स को अनिवार्य नहीं बनाया गया था, अतः कर की गणना वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए क्रमशः मात्र 685 एवं 1,933 व्यवसायियों के विरुद्ध की जा सकी जो क्रमशः ₹ 365.00 करोड़ एवं ₹ 1,466.13 करोड़ (सुविधा में दर्शाए गए दर के आधार पर) थे। उक्त छिपाव अर्थदण्ड एवं ब्याज का आरोपण भी आकर्षित करता है।

पुनः विभाग के उत्तर (जुलाई 2015) के आधार पर लेखापरीक्षा ने कैपिटल गूड्स एवं परचेज रिटर्न को छोड़ते हुए केवल अनुमोदित ई-सुविधा (डी-IX) का पुनर्विश्लेषण किया एवं पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 1,029 एवं 1,576 व्यवसायियों ने क्रमशः ₹ 587.16 करोड़ एवं ₹ 902.87 करोड़ के क्रय (अपने राज्य के बाहर के खरीद एवं भंडार प्राप्ति) का छिपाव किया था (चूँकि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 17,849 एवं 21,870 ई-सुविधा उपयोग करने वाले व्यवसायियों में मात्र 13,746 एवं 14,851 व्यवसायियों के ही आर.टी.-III डाटाबेस में अपलोड थे)।

पुनः आर.टी. -III में दर-वार खरीद के आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, जो कि एक कम्प्यूटर प्रणाली दोष है एवं जिसे विभाग द्वारा भी स्वीकार किया गया था, लेखापरीक्षा द्वारा कर की गणना वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए क्रमशः 117 एवं 272 व्यवसायियों के विरुद्ध ₹ 10.42 करोड़ एवं ₹ 29.01 करोड़ की गई थी। ₹ 118.29 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 6.61 करोड़ का ब्याज भी आरोप्य है। उक्त राशि में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई उन 54 मामलों की राशि को हटा दिया गया था जिसमें डी-IX में बीजक मूल्य का गलत अंकन के कारण छिपाव किया गया था।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम्प्यूटर प्रणाली को रिटर्न में दर्शाए गए स्वीकृत बिक्री/खरीद की राशि एवं संबंधित सुविधा के आँकड़ों में पाए गए अंतर के संबंध में एलर्ट जारी करना चाहिए।

- यह पाया गया कि 11,426 व्यवसायियों ने वार्षिक रिटर्न में या तो अपने पिछले वर्ष के अंतशेष की अपेक्षा अगले वर्ष में कम आरंभ शेष स्वीकार किये थे अथवा 'शून्य' आरंभ शेष स्वीकार किये थे जबकि पिछले वर्ष के वार्षिक रिटर्न में अंतशेष दर्शाए गए थे। एप्लीकेशन ने गलत आरम्भ शेष की प्रविष्टि को न तो अस्वीकार किया और न ही इस संबंध कोई एलर्ट ही जारी किया। इसके फलस्वरूप व्यवसायियों के पास शेष पडे ₹ 3,459.79 करोड़ के भंडार का छिपाव किया गया जिसपर कर का प्रभाव ₹ 219.76 करोड़ था (कर की गणना पिछले वर्ष के सकल आवर्त एवं स्वीकृत कर के समानुपात में की गई थी)। चूँकि ये खरीद के छिपाव के मामले थे, अतः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के तहत व्यवसायी अर्थदण्ड एवं ब्याज का भुगतान करने हेतु भी दायी थे।

इसे इंगित किए जाने (जुलाई 2015) के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि एक-एक मामलों की जाँच अंचल स्तर पर की जा रही है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार एक स्वतः प्रणाली व्यवस्था लागू करने पर विचार कर सकती है, ताकि पिछले वर्ष के अंतशेष से भिन्न वर्तमान वर्ष के वार्षिक रिटर्न में आरंभ शेष की प्रविष्टि नहीं हो।

2.4.14.8 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक रिटर्न की प्रविष्टियों में अंतर

वैलिडेशन नियंत्रण के अभाव में कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक रिटर्न की प्रविष्टियों के अंतर के संबंध में कोई एलर्ट जारी नहीं किया जा सका।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(3) एवं धारा 54 के प्रावधानों के अंतर्गत योग्य व्यवसायियों को वार्षिक रिटर्न एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समर्पित करना होता है जिसमें उन्हें कुछ समान आँकड़े जैसे, सकल आवर्त, करदेय आवर्त, खरीद, आऊटपुट कर दायित्व इत्यादि प्रदर्शित करने होते हैं। एप्लीकेशन में वैलिडेशन नियंत्रण होना चाहिए ताकि एक ही व्यवसायी द्वारा समर्पित दो विभिन्न अभिलेखों में एक समान आँकड़े अलग-अलग नहीं होनी चाहिए और यदि इस तरह की भिन्न सूचनाओं की प्रविष्टि की जाती है तब इस संबंध में कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः एलर्ट जारी होनी चाहिए।

व्यवसायियों द्वारा उनके वार्षिक रिटर्न में स्वीकार किए गए खरीद के आँकड़ों के साथ उनके संबंधित टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लेखापित आँकड़ों के विश्लेषण से हमने यह पाया कि कुल 9,625 व्यवसायियों ने इन दोनों अभिलेखों में खरीद के भिन्न-भिन्न आँकड़े दर्शाए थे।

पुनः, यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच 1,783 व्यवसायियों ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तुलना में वार्षिक रिटर्न में ₹ 11,182.34 करोड़ का कम आऊट-पुट कर दायित्व दर्शाया था।

कम्प्यूटर प्रणाली में आर.टी.-III एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उपरोक्त वर्णित एक समान आँकड़ों में मिलान हेतु कोई इनपुट वैलिडेशन नियंत्रण की व्यवस्था नहीं थी। खरीद संबंधी अंतर के संबंध में व्यवसायियों द्वारा स्थानीय खरीद पर अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने हेतु अपने खरीद को बढ़ाये जाने तथा बिक्री के छिपाव हेतु लेखे में कम खरीद प्रतिवेदित करने का खतरा था जबकि आऊटपुट टैक्स दायित्व के कम स्वीकृति के मामले में सरकारी राजस्व के प्रत्यक्ष हानि का जोखिम था।

इसे इंगित किए जाने (जुलाई 2015) के बाद विभाग के ने कहा (सितम्बर 2015) कि प्रत्येक मामलों की अंचल स्तर पर जाँच की जा रही है।

2.4.14.9 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

कम्प्यूटर प्रणाली में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अमान्य करदाता पहचान संख्या की प्रविष्टि से संबंधित कोई वैलिडेशन नियंत्रण नहीं था, जिसके फलस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा किया गया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के तहत किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है यदि उसने मालों (इनपुट) की खरीद बिहार राज्य के किसी निबंधित व्यवसायी से किया हो।

व्यवसायियों द्वारा लिये गये इनपुट टैक्स के अनियमित दावों पर संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी को एलर्ट जारी करने हेतु कम्प्यूटर प्रणाली में एक अतर्निर्मित इनपुट कन्ट्रोल व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि कर-निर्धारण प्राधिकारी मामले का अनुश्रवण कर सकें।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के अवधि के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के डाटा विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि 7,415 अमान्य करदाता पहचान संख्या वाले व्यवसायियों ने इनपुट की खरीद पर ₹ 266.61 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था तथा 1,129 व्यवसायियों द्वारा बिना उनके करदाता पहचान संख्या अंकित किए इनपुट की खरीद पर ₹ 40.45 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया था।

अतः उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा अनियमित था, जो कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा पता नहीं लगाया जा सका एवं एप्लीकेशन प्रणाली इस संबंध में कोई एलर्ट जारी करने में विफल रहा।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कम्प्यूटर प्रणाली में कमियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) और कहा कि प्रत्येक मामले की जाँच आवश्यक है।

2.4.14.10 बंद पड़े व्यापार के अंतशेष पर कर का भुगतान नहीं किया जाना

बंद पड़े व्यापार के अंतशेष पर कर का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी एलर्ट जारी करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली को मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 (5) के प्रावधानों के तहत एक निबंधित व्यवसायी को अपने व्यापार बंद किए जाने अथवा छोड़ने के तिथि के बारह माह के भीतर शेष बचे हुए भंडार पर कर का भुगतान करना होगा।

जब एक व्यवसायी अपना अंतशेष दर्शाया हो और अगले 12 लगातार माह में कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया हो, तब एप्लीकेशन में एक स्वतः एलर्ट जारी करने हेतु व्यवस्था होनी चाहिये।

वर्ष 2009-10 से जनवरी 2015 की बीच की अवधि के डाटा विश्लेषण से हमने पाया कि कुल 1,008 व्यवसायियों ने संबंधित वर्षों के अपने वार्षिक रिटर्न में अंतशेष स्वीकार किया था, किन्तु बाद के वर्षों में न तो कोई रिटर्न दाखिल किया था और न ही कोई कर (मूल्यवर्द्धित कर या केन्द्रीय बिक्री कर) का भुगतान ही किया था। चूंकि कुछ व्यवसायियों ने अपना सकल आवर्त 'शून्य' दर्शाया था इसलिए मात्र 298 व्यवसायियों के मामलों में कुल ₹ 2.24 करोड़ के कर प्रभाव की गणना की गई थी जिसे संबंधित वर्ष हेतु उनके सकल आवर्त पर स्वीकृत कर के अनुपात में संगणित किया गया था।

इसे इंगित किए जाने (जुलाई 2015) के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि प्रत्येक मामलों की अंचल स्तर पर जाँच की जा रही थी।

2.4.14.11 व्यवसायियों द्वारा स्रोत पर किए गए कर की कटौती के दावों का जाँच नहीं किया जाना

कर की कटौती करने वाले प्राधिकारी को वैटमीस एप्लीकेशन पर एक यूनिक पहचान आवंटित करने हेतु प्रावधान के अभाव में स्रोत पर किये गये कर की कटौती की राशि को जमा किये जाने की जाँच के लिए आर.टी.-VI में विवरणी तथा आर.टी.-VII में रिटर्न दाखिल करना अपर्याप्त था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 40 एवं 41 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक प्राधिकारी विक्रेता, आपूर्तिकर्ता अथवा कार्य संवेदकों, जैसा भी मामला हो, के विपत्रों से भुगतान के समय स्रोत पर कर की कटौती करेंगे तथा सरकारी खजाने में जमा करेंगे। पुनः कटौती करने वाला व्यक्ति आर.टी.-VI में विवरणी एवं आर.टी.-VII में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करेगा और साथ ही वह भुगतान प्राप्त करने वाले व्यवसायी को प्रपत्र सी-II में एक प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जो रिटर्न में इसके द्वारा दावा किये गये स्रोत पर किये गये कर की कटौती के विरुद्ध प्रमाण है।

कम्प्यूटर प्रणाली में विवरणी (आर.टी.-VI) या रिटर्न (आर.टी.-VII) के साथ व्यवसायियों द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती के दावों की स्वतः जाँच/मिलान करने की सुविधा होनी चाहिए।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के अवधि के डाटा विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि 16,052 व्यवसायियों ने कुल ₹ 1,794.77 करोड़ की राशि का स्रोत पर कर की कटौती के रूप में दावा किया था। विश्लेषण से यह पता चला कि मात्र 84 प्राधिकारियों का ही डाटा था जिन्होंने आर.टी.-VII दाखिल किया था और जिसमें कम्प्यूटर प्रणाली में विद्यमान 16,052 में से 98 व्यवसायियों के विरुद्ध स्रोत पर कर की कटौती दर्शायी गयी थी। यह संसूचित करता था कि आर.टी.-VII समुचित रूप से डाटाबेस में अपलोड नहीं किए जा रहे थे। परिणामस्वरूप स्रोत पर करों की कटौती के दावों की जाँच डाटा से नहीं हो सकी। पुनः स्रोत पर करों की कटौती करने वाले प्राधिकारियों को वैटमीस एप्लीकेशन पर एक यूनिक पहचान आबटित नहीं किये जाने के कारण आर.टी.-VII के दाखिल करने तथा वैटमीस डाटाबेस पर स्रोत पर कर की कटौती को जमा किये जाने की जाँच का अनुश्रवण किया जाना संभव नहीं था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर वाणिज्य-कर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) और कहा कि विभाग आर.टी.-VII को दाखिल कराने एवं इसे डाटाबेस में अपलोड कराने को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

2.4.14.12 कर योग्य आवर्त का स्वतः गणना नहीं किया जाना

कम्प्यूटर प्रणाली में सामान्य गणितीय गणना का भी स्वचलन (ऑटोमेशन) नहीं था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19(2) के प्रावधानों के तहत अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निबंधित व्यवसायी को छोड़ अन्य सभी निबंधित व्यवसायी अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करेंगे जिसमें उन्हें बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत सकल आवर्त तथा कटौतियों के दावों को भी दर्शाना है। रिटर्न में कुल कटौती सभी कटौतियों के दावों का योग होता है जबकि कर देय आवर्त की गणना सकल आवर्त में से कुल कटौतियों को घटाने के पश्चात् की जानी है।

एप्लीकेशन में ऐसी अंतर्निर्मित स्वतः गणना की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कुल कटौतियों एवं कर देय आवर्त की गणना स्वतः हो जाए।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के डाटा विश्लेषण से पाया कि कुल 56,946 रिटर्न में कुल कटौतियों को गलत दर्शाया गया था जबकि 58,365 रिटर्न में गलत कर देय आवर्त अर्थात् वास्तविक गणना से कम अथवा अधिक दर्शाए गए थे। यह स्पष्ट रूप से संसूचित करता है कि कम्प्यूटर प्रणाली में सामान्य गणितीय गणना को भी ऑटोमेटेड नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने (मई 2015) के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (सितम्बर 2015) किया और आश्वासन दिया कि वर्ष 2015-16 से व्यवसायियों के त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न के लिए मैक्रो आधारित एक्सेल टेम्पलेट की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है जिससे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई इस तरह की गलतियाँ दूर हो जाएगी।

2.4.15 निष्कर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा निम्न तथ्यों को प्रकटित करता है:

- वैटमीस के क्रियान्वयन के लिए टी.सी.एस. को क्रय आदेश निर्गत (नवम्बर 2006) करने के आठ वर्षों से अधिक विलम्ब के बाद बी.एस.इ.डी.सी. एवं टी.सी.एस. के बीच एक्जिट मैनेजमेंट एवं सोर्स कोड के प्रावधानों के साथ जुलाई 2015 में सर्विस लेवल एग्रीमेंट कार्यान्वित किये गये थे।
- पाँच लाख से अधिक वाहनों के द्वारा राज्य से गुजरने हेतु जुलाई 2012 एवं जनवरी 2015 के बीच निर्गत ट्रांजिट पास अभ्यर्पित नहीं किये गये थे। विभाग ट्रांजिट पास को अभ्यर्पित नहीं किये जाने तथा कन्साइन्मेंट को राज्य के भीतर रखे जाने का अनुश्रवण नहीं कर सका। क्योंकि वैटमीस एप्लीकेशन का चेकपोस्ट मॉड्यूल विहित समय के भीतर ट्रांजिट पास को अभ्यर्पित नहीं किये जाने के मामलों में एक एलर्ट जारी करने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के साथ समुचित रूप से मैप नहीं किया गया था।
- कम्प्यूटर प्रणाली के एप्लीकेशन नियंत्रण में कई तरह की कमियाँ थी, जैसे इनपुट कंट्रोल एवं वैलीडेशन जाँच की अपर्याप्तता एवं बिना पूर्ण सूचना के करदाता पहचान पत्र एवं यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान नम्बर (सुविधा) जनित किया जाना।
- वैटमीस एप्लीकेशन को रिटर्न के विलम्ब से दाखिल करने या दाखिल नहीं करने, मूल्यवर्द्धित कर की राशि का विलम्ब से/कम/भुगतान नहीं किये जाने तथा छूट के अधिक दावों इत्यादि से संबंधित अलर्ट जारी करने के लिए मैप नहीं किया गया था।

2.5 अधिनियमों/नियमावलिओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के तहत निम्न आरोपण एवं भुगतान आवश्यक है:

- व्यवसायियों द्वारा उचित दरों पर बिक्री, व्यापार आदि पर कर, विलासिता कर, विद्युत शुल्क इत्यादि;
- बिक्री/क्रय का छिपाव के मामले में छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर के तीन गुणा अर्थदण्ड; तथा
- कर के विलम्ब से भुगतान के लिए प्रत्येक कैलेण्डर माह अथवा उसके किसी भाग के लिये 1.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज।

अधिनियमों/नियमावली/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 157.99 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, कर का अवनियमित, गलत छूट/कटौती इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिका 2.6 से 2.19 में वर्णित हैं, जो विभाग में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर

2.6 बिक्री आवर्त का छिपाव

व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने के फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 70.14 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने वाणिज्य-कर अंचल, बिहारशरीफ में 111 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना-जाँच की तथा सितम्बर 2013 में पाया कि एक स्व-कर निर्धारित व्यवसायी (मे0 स्पाइसी विवरेज, टीन- 101893619089) ने वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 14.11 करोड़ की वस्तुओं की बिक्री की, जैसाकि उनके द्वारा दाखिल किये गये त्रैमासिक रिटर्न में दर्शाया गया था। हालाँकि उन्होंने ₹ 14.11 करोड़ के विरुद्ध अपने वार्षिक रिटर्न में मात्र ₹ 13.78 करोड़ ही लेखापित किया था और इस तरह ₹ 32.97 लाख मूल्य के वस्तुओं की बिक्री का छिपाव किया। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) के तहत रिटर्न की संवीक्षा नहीं करने के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगा सके। इसके फलस्वरूप वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य ₹ 49.45 लाख का अर्थदण्ड, जैसाकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31 (2) के तहत प्रावधित है तथा 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ₹ 4.20 लाख के आरोप्य ब्याज, जैसाकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 (4) में विहित है, सहित ₹ 70.14 लाख का अवनिर्धारण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कर-निर्धारण प्राधिकारी, बिहारशरीफ ने जनवरी 2015 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 70.14 लाख का माँग सृजित किया। हम इस मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.7 अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट

व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने के फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 2.56 करोड़ का अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।

हमने चार वाणिज्य-कर अंचलों (दानापुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी एवं पटना पश्चिमी) में 486 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना-जाँच की तथा फरवरी एवं नवम्बर 2014 के बीच चार व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) के वार्षिक रिटर्न, टैक्स आडिट रिपोर्ट⁴⁷ इत्यादि से पाया कि उन्होंने वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 35.97 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय पर ₹ 14.70 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार व्यवसायी मात्र ₹ 14.10 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार थे। व्यवसायियों ने कंज्यूमेवल्स (उपभोज्य), अनुसूची-I वस्तुओं की बिक्री तथा वार्षिक रिटर्न में त्रैमासिक रिटर्न से अधिक इनपुट टैक्स के दावा पर ₹ 60.10 लाख का अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। उपरोक्त अधिनियम की धारा 31 के प्रावधान के अनुसार अधिक दावे हेतु ₹ 1.80 करोड़ का अर्थदण्ड तथा उसपर ₹ 15.73 लाख का ब्याज संगणित की गई। व्यवसायियों के रिटर्न

⁴⁷ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट- प्रत्येक व्यवसायी जिनका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक है, उन्हें नियत तिथि तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

की संवीक्षा नहीं करने के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिये जाने का पता नहीं लगा सके। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 2.56 करोड़ का था, जैसाकि **परिशिष्ट-XVIII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने फरवरी एवं जुलाई 2015 के बीच कहा कि चार अंचलों (दानापुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना पश्चिमी एवं पटना उत्तरी) के चार व्यवसायियों से संबंधित ₹ 2.37 करोड़ की मांग सृजित की गई है। विभाग ने पटना उत्तरी एवं पटना पश्चिमी अंचलों के दो मामले में ₹ 10.70 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित की। हम शेष मामलों में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.8 कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

संवीक्षा नहीं/त्रुटिपूर्ण संवीक्षा किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता कर-निर्धारण प्राधिकारी को नहीं चला तथा इसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 36.19 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

हमने पाँच वाणिज्य-कर अंचलों (औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी, रक्सौल एवं सासाराम) में 640 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना-जाँच की तथा सितम्बर 2012 एवं दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि पाँच व्यवसायियों (कर-निर्धारित: 1 तथा स्व-कर निर्धारित: 4) ने वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.45 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर पाँच से 13.5 प्रतिशत की सही दर के बदले चार से पाँच प्रतिशत की कम दर पर कर का निर्धारण किया। संवीक्षा नहीं/त्रुटिपूर्ण संवीक्षा किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता कर-निर्धारण प्राधिकारी को नहीं चला, जिसके फलस्वरूप बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4), जिसमें भुगतये कर की राशि पर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज आरोपित किये जाने का प्रावधान है, के अनुसार ₹ 8.62 लाख के ब्याज सहित ₹ 36.19 लाख के कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-XIX** में वर्णित है। यह उपरोक्त अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने का सूचक है, जो उपबंधित करता है कि कर-निर्धारण प्राधिकारी धारा 24 की उपधारा (1) एवं (3) के तहत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करेगा कि कर का दर सही-सही लगाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2014 एवं जुलाई 2015 के बीच तीन अंचलों (मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी एवं सासाराम) के तीन व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 31.99 लाख का माँग सृजित किया। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को जुलाई 2014 एवं मई 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.9 ट्रांजिट बिक्री के मद में अनियमित कटौती

ट्रांजिट बिक्री के मद में कटौती के दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 7.73 करोड़ के कर (ब्याज सहित) का कम आरोपण हुआ।

हमने तीन वाणिज्य-कर अंचलों (बेगुसराय, भागलपुर एवं पटना विशेष) में 497 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा मार्च 2013 एवं जून 2014 के बीच पाया कि तीन व्यवसायियों (कर-निर्धारित:1; स्व-कर निर्धारित:2) ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की अवधि के दौरान ट्रांजिट बिक्री के मद में ₹ 140.04 करोड़

की कटौती का लाभ लिया, परन्तु ट्रांजिट बिक्री के दावे प्रपत्र 'ई-1' तथा प्रपत्र 'सी' में दोनों घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं थे, जैसाकि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) एवं केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 के नियम 12(1) एवं 12(4) के तहत अपेक्षित है। इस प्रकार व्यवसायियों के ट्रांजिट बिक्री का सम्पूर्ण दावा अस्वीकृत किये जाने योग्य था, जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला तथा इसके फलस्वरूप ₹ 35.40 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.73 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-XX** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में भागलपुर के मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 1.43 करोड़ की माँग सृजित की, जबकि कर-निर्धारण प्राधिकारी, पटना विशेष अंचल ने मई 2013 में व्यवसायी के ट्रांजिट बिक्री के दावे को अस्वीकृत कर दिया तथा इसे अन्तरराज्यीय बिक्री मानते हुये इस पर दो प्रतिशत के दर पर कर आरोपित किया, क्योंकि व्यवसायी ने प्रपत्र 'सी' में घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया था और ₹ 1.92 करोड़ हेतु माँग सृजित किया। वस्तुतः व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 'सी' उसी राज्य के व्यवसायी/अंचल द्वारा दिया गया/निर्गत था। चूँकि व्यवसायी ने अपेक्षित प्रपत्र- 'ई-1' में घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया था, अतः ट्रांजिट बिक्री के दावे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तथा राज्य के अन्दर बिक्री पर लागू दर पर कर आरोपित किया जाना चाहिए था। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को जुलाई एवं अक्टूबर 2014 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.10 स्वीकृत कर का कम भुगतान तथा ब्याज आरोपित नहीं किया जाना

रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण ब्याज सहित ₹ 90.05 लाख के कर का कम भुगतान हुआ।

हमने आठ वाणिज्य-कर अंचलों⁴⁸ के 844 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना-जाँच की तथा फरवरी 2014 एवं जनवरी 2015 की बीच पाया कि 15 व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 5.44 करोड़ के स्वीकृत कर के विरुद्ध ₹ 4.74 करोड़ का ही भुगतान किया था। इस प्रकार ₹ 70.41 लाख के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ था, जिसका भुगतान बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान के तहत प्रत्येक माह के आगामी महीने के पन्द्रहवें दिन अथवा उसके पहले करना था, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज भुगतान करने हेतु दायी होगा। यद्यपि कर-निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न की संवीक्षा करने तथा कर भुगतान के साक्ष्य को देखने एवं तदनुसार व्यवसायियों को नोटिस निर्गत करना अपेक्षित था, किन्तु जैसाकि उपरोक्त अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत अपेक्षित था, ऐसी कोई संवीक्षा नहीं की गई थी, जो विभाग में नियंत्रण की कमजोरी को इंगित करता है। इसके फलस्वरूप ₹ 19.64 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 90.05 लाख के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं चला, जैसाकि **परिशिष्ट-XXI** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त एवं सितम्बर 2015 के बीच पाँच अंचलों (दानापुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना पश्चिमी तथा समस्तीपुर) के 11 व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 69.77 लाख

⁴⁸ दानापुर, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, नवादा, पटना उत्तरी, पटना पश्चिमी, रक्सौल एवं समस्तीपुर।

हेतु माँग का सृजन किया एवं तीन अंचलों (मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी तथा पटना पश्चिमी) के चार व्यवसायियों के मामले में ₹ 18.88 लाख की वसूली की। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी एवं मई 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.11 कटौतियों की अनियमित अनुमति

अनियमित छूट/कार्य संवेदकों द्वारा अमान्य कटौतियों के दावे के फलस्वरूप ₹ 55.73 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

हमने तीन वाणिज्य-कर अंचलों (जमुई, नवादा एवं सारण) में 308 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा सितम्बर 2013 एवं जनवरी 2015 के बीच चार कार्य संवेदकों (कर-निर्धारित:1; स्व-कर निर्धारित:3) के रिटर्न/लाभ एवं हानि लेखे से पाया कि उन्होंने वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 29.79 करोड़ की कटौतियों का लाभ लिया था, जिसमें से ₹ 7.92 करोड़ की कटौतियों का दावा स्थापना व्यय, ओवरहेड तथा सकल लाभ के सामग्री अंश पर था, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के अनुसार मान्य नहीं थे, जो यह उपबंधित करता है कि एक कार्य संवेदक मजदूरी तथा मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्च, संवेदक द्वारा मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित लाभ के मद में ही कटौती लिये जाने हेतु हकदार हैं। कर-निर्धारण प्राधिकारी, हालाँकि कर-निर्धारित मामले में भी अमान्य कटौतियों के दावे का पता लगाने में विफल रहे। इस प्रकार, वे मात्र ₹ 21.87 करोड़ की कटौती के लिये ही हकदार थे, जिसकी संगणना ₹ 29.79 करोड़ की कटौती के उपरोक्त दावे की सामग्री तथा मजदूरी एवं सेवाओं के बीच समानुपातिक रूप से संगणित की गई थी। इसके फलस्वरूप ₹ 55.73 लाख के कर का कम आरोपण हुआ, जिसकी गणना ₹ 7.92 करोड़ की सामग्री अवयव पर की गयी थी, जैसाकि परिशिष्ट -XXII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने नवम्बर 2014 एवं सितम्बर 2015 के बीच जमुई एवं सारण अंचलों के एक-एक व्यवसायी के मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 31.87 लाख के लिये माँग का सृजन किया। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी एवं अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.12 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर के गलत समायोजन का पता नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 24.29 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

हमने दो वाणिज्य-कर अंचलों (पटना उत्तरी एवं पटना पश्चिमी) में 215 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा नवम्बर 2014 में पाया कि चार व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 45.15 लाख के प्रवेश कर का समायोजन अपने मूल्यवर्द्धित कर के दायित्व से किया था। हालाँकि व्यवसायी मात्र ₹ 27.40 लाख के प्रवेश कर के समायोजन हेतु ही हकदार थे, क्योंकि उनका मूल्यवर्द्धित कर दायित्व भुगतान किये गये प्रवेश कर की राशि से कम था, जैसा

कि बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग एवं बिक्री हेतु वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) में प्रावधित है। कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध ₹ 17.75 लाख के प्रवेश कर का गलत समायोजन हुआ। इस प्रकार, ये व्यवसायी ₹ 6.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 24.29 लाख के मूल्यवर्द्धित कर का भुगतान करने हेतु दायी थे, जैसाकि परिशिष्ट-XXIII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में सभी मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 24.29 लाख तथा अद्यतन ब्याज हेतु माँग का सृजन किया एवं पटना पश्चिमी अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 2.14 लाख की वसूली भी की। हम स्वीकृत मामलों में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.13 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनियमित अनुमति

2.13.1 कटौती की अनियमित अनुमति

गलत घोषणा प्रपत्रों के आधार पर कर के छूट का लाभ लिये जाने के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 17.85 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमने पाटलीपुत्र वाणिज्य-कर अंचल में 113 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा मार्च 2014 में पाया कि एक व्यवसायी (मे0 बिरला टायर्स, टीन-10050125090) ने वर्ष 2011-12 के दौरान वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण के मद में ₹ 6.03 करोड़ की कटौती का लाभ लिया, जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 5.12 करोड़ के लिये प्रपत्र 'एफ' में 30 घोषणा प्रपत्र, जो दावे को समर्थित कर सके, ही उनके अभिलेख पर पाये गये। पुनः यह पाया गया कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत इन 30 घोषणा प्रपत्रों में से ₹ 98.33 लाख के सात प्रपत्र बिहार राज्य के ही थे, जबकि घोषणा प्रपत्रों पर अन्य विवरण झारखंड राज्य के व्यवसायी से संबंधित थे। इस प्रकार, इन प्रपत्रों के आधार पर छूट का लाभ लिया जाना, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 'ए' के प्रावधान के अनुसार अनियमित था एवं इसके फलस्वरूप ₹ 4.58 लाख के ब्याज सहित ₹ 17.85 लाख⁴⁹ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग के अगस्त 2015 में मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 17.85 लाख का माँग सृजित किया। हम मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं। (अक्टूबर 2015)।

2.13.2 कटौती की असमर्थित दावा

राज्य से बाहर वस्तुओं के भंडार अंतरण पर, घोषणा प्रपत्र 'एफ' से समर्थन के बगैर, छूट का दावा किया गया, जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 25.89 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमने पाटलीपुत्र वाणिज्य-कर अंचल में 113 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा मार्च 2014 में पाया कि एक व्यवसायी (मे0 फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, टीन/वैट- 10050225097; सी.एस.टी.- 10020225194) ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 22.11 करोड़ मूल्य के वस्तुओं को वास्तव में राज्य के बाहर हस्तांतरण किया था। परन्तु उनके अभिलेख पर कोई घोषणा प्रपत्र 'एफ' नहीं पाया गया, जो अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण के लिये कटौती का दावा करने हेतु आवश्यक है। इस

⁴⁹ संगणना: अनियमित प्रपत्रों का मूल्य- ₹ 98.33 लाख, 13.5 प्रतिशत की दर पर कर- ₹ 13.27 लाख, 23 महीनों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज- ₹ 4.58 लाख (कुल- ₹ 17.85 लाख)।

प्रकार, व्यवसायी राज्य में लागू दर पर ₹ 88.45 लाख के कर का भुगतान करने हेतु दायी था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में कहा कि संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अगस्त 2014 में मामले की संवीक्षा की थी तथा सूचित किया कि ₹ 17.52 करोड़ के दावे के समर्थन में प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत कर दिया गया है एवं असमर्थित दावे हेतु ₹ 7.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 25.89 लाख के लिये माँग पत्र सृजित कर दी गई है। हम मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

ख : प्रवेश कर

2.14 स्वीकृत प्रवेश कर का कम भुगतान

स्वीकृत कर का कम/नहीं भुगतान किये जाने के फलस्वरूप ₹ 2.11 करोड़ के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

हमने पाटलीपुत्र वाणिज्य-कर अंचल में 113 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा नवम्बर एवं दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि तीन व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2012-13 के दौरान अपने रिटर्न में ₹ 427.78 करोड़ के वस्तुओं के आयात के विरुद्ध ₹ 19.08 करोड़ के प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार किया था, परन्तु वास्तव में मात्र ₹ 16.98 करोड़ का प्रवेश कर का भुगतान किया, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर आगामी माह के पन्द्रहवें तिथि को या उसके पहले जमा करेगा। इसके फलस्वरूप ₹ 2.11 करोड़ के स्वीकृत प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि **परिशिष्ट -XXIV** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त एवं सितम्बर 2015 के बीच सभी मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 2.11 करोड़ हेतु माँग सृजित किया तथा एक मामले में ₹ 1.43 करोड़ की वसूली भी की। हम स्वीकृत मामलों में वसूली के प्रतिवेदन हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.15 प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

कर के दरों के लगाये जाने का सत्यापन हेतु प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप ₹ 16.40 लाख के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने तीन वाणिज्य-कर अंचलों (पटना पश्चिमी, पाटलीपुत्र, एवं तेघड़ा) में 358 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा सितम्बर और दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि पाँच व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 14.01 करोड़ के अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया तथा अपने रिटर्न में विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार करते हुये अपना कर-निर्धारित किया। कर का दर लगाये जाने का सत्यापन हेतु प्रणाली के अभाव के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया जा सका। यह प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों की भी अवहेलना थी, जो यह उपबंधित करता है कि अधिसूचित वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर, उस दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जायेगा। इसके फलस्वरूप ₹ 16.40 लाख के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट- XXV** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में पाटलिपुत्र एवं तेघड़ा अंचलों के दो मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 4.43 लाख का माँग सृजित किया एवं तेघड़ा

अंचल के एक मामले में ₹ 1.42 लाख की वसूली भी की गई। हम स्वीकृत मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.16 निबंधन नहीं लिये जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

प्रवेश कर अधिनियम के तहत निबंधन नहीं लिये हुये व्यवसायियों द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के आयात का पता नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 42.20 लाख का कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

हमने चार वाणिज्य-कर अंचलों (बेतिया, पटना उत्तरी, रक्सौल एवं सारण) में 530 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता विवरणियों इत्यादि की जांच से पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत निबंधित छः व्यवसायियों ने वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 6.31 करोड़ मूल्य के विभिन्न अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया था। हालाँकि उन्होंने प्रवेश कर अधिनियम के तहत अपना निबंधन नहीं कराया था, जबकि वे प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित प्रवेश कर नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसा करने हेतु दायी थे, इसमें विफल रहने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त प्रत्येक चूक दिवस के लिये एक सौ रुपये अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य, इनमें जो भी अधिक हो, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करने का निर्देश व्यवसायी को देंगे। कर-निर्धारण प्राधिकारी निबंधन नहीं लिये जाने के तथ्यों का पता नहीं लगा सके, जबकि कर-निर्धारण प्राधिकारी के पास निबंधन हेतु उनके दायित्व से संबंधित सूचना उनके मूल्यवर्द्धित कर अभिलेखों पर उपलब्ध था, जो अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में कर-निर्धारण प्राधिकारियों की उदासीनता की ओर ईंगित करता है। इसके फलस्वरूप ₹ 9.19 लाख के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अलावे, ₹ 33.01 लाख का अर्थदण्ड भी आरोप्य था जैसा कि परिशिष्ट-XXVI में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त एवं सितम्बर 2015 के बीच तीन अंचलों (बेतिया, पटना उत्तरी, एवं सारण) के तीन व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 16.87 लाख का माँग सृजित किया। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को मार्च एवं मई 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

ग: विद्युत शुल्क

2.17 उर्जा की बिक्री के छिपाव पर विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना

दो कर-निर्धारिती के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उर्जा की बिक्री के छिपाव का पता लगा तथा तदन्तर ₹ 121.75 करोड़ के विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

भागलपुर वाणिज्य-कर अंचल में एक कर-निर्धारिती (मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कहलगाँव, निबंधन संख्या ईडी-6) द्वारा दाखिल

रिटर्न/विवरणियों की जाँच से हमने मार्च 2014 में पाया कि उसने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड को वर्ष 2012-13 के दौरान की गई उर्जा की बिक्री को प्रकट नहीं किया था। लेकिन लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड ने अपने वार्षिक लेखाओं में इसी अवधि के दौरान नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कहलगाँव से 2,858.59 मिलियन किलोवाट उर्जा की खरीद दर्शायी थी। अतः यह स्पष्ट होता है कि कर-निर्धारिती ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी को बिक्री की गई 2,858.59 मिलियन किलोवाट उर्जा का छिपाव किया था, जिसपर बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3, 4 एवं 6 के प्रावधानों के तहत शुल्क आरोप्य था। इस प्रकार कर-निर्धारिती ₹ 60.87 करोड़ के न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 121.75 करोड़⁵⁰ के शुल्क की राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी हैं।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 121.75 करोड़ का माँग सृजित किया। मामले में वसूली हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.18 विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना

अभिलेखों के तिर्यक जाँच से बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं लिये हुये एक व्यवसायी द्वारा उर्जा की बिक्री का पता चला, जिसके फलस्वरूप ₹ 18.15 करोड़ के विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

मुजफ्फरपुर पश्चिमी वाणिज्य-कर अंचल में हमने अप्रैल 2014 में पाया कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने वार्षिक लेखे में एक व्यवसायी मे0 कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सहायक इकाई) से वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 1,055.58 मिलियन किलोवाट उर्जा का क्रय दर्शाया था। परन्तु मे0 कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड ने न तो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निबंधन लिया था और न ही इस अवधि में रिटर्न दाखिल अथवा शुल्क का भुगतान किया था, जबकि उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 ए (5) के तहत ऐसा करना अपेक्षित था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि व्यवसायी ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उर्जा की बिक्री की थी, जिसपर विद्युत शुल्क आरोप्य था और व्यवसायी ₹ 18.15 करोड़ के शुल्क की राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी है, जैसा कि परिशिष्ट- XXVII में वर्णित है।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

⁵⁰

संगणना:

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा दर्शायी गयी क्रय उर्जा का मूल्य- ₹ 1,01,457.44 लाख, छः प्रतिशत की दर पर विद्युत शुल्क- ₹ 6,087.44 लाख, आरोप्य अर्थदण्ड- ₹ 6,087.44 लाख, कुल- ₹ 12,174.88 लाख।

घ : मनोरंजन कर

2.19 मनोरंजन कर का कम आरोपण

प्रवेश दर में अनियमित बदलाव का पता नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ के मनोरंजन कर का कम आरोपण हुआ।

पटना उत्तरी वाणिज्य-कर अंचल में नवम्बर 2014 में हमने पाया कि एक सिनेमा हॉल के प्रोपराईटर वर्ष 2012-13 के दौरान बिहार मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3-बी के तहत एकमुश्त कर का भुगतान कर रहा था, लेकिन न तो उसके द्वारा एकमुश्त कर देने हेतु कोई आवेदन दिया गया था और न ही विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 'ग' में मनोरंजन कर का भुगतान एकमुश्त दर से किये जाने हेतु अनुमति दी गई थी। पुनः हमने पाया कि प्रोपराईटर द्वारा उस वर्ष के दौरान प्रवेश दर में बदलाव कर दिया गया था, जिससे उस वर्ष भुगतेय एकमुश्त कर की राशि भी बदल गई थी। इस प्रकार उन्होंने मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-बी के प्रावधानों का उल्लंघन किया। प्रवेश दर में परिवर्तन हेतु आयुक्त द्वारा लिया गया कोई पूर्वानुमति भी अभिलेख पर नहीं पाया गया। अतः धारा 3-बी के प्रावधानों एवं शर्तों का उल्लंघन करने हेतु प्रोपराईटर का कर-निर्धारण, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत, कुल संग्रहण क्षमता के आधार पर की जानी चाहिए थी और इस तरह वे ₹ 1.90 करोड़⁵¹ के मनोरंजन कर का भुगतान हेतु दायी थे।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.20 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा दी गई (जुलाई 2015) सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान उसने वाणिज्य-कर विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। वाणिज्य-कर विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल हैं, जो वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखाओं के सही होने का पता लगाने हेतु उत्तरदायी हैं। विभाग ने 2014-15 में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी इकाई का चयन नहीं किया।

⁵¹

संगणना:

कम्पाउंडिंग (एकमुश्त) के तहत कर भुगतान- 20 शो प्रति सप्ताह @ 24%= ₹ 99,10,036

धारा 3(1) के तहत कर भुगतेय- 28 शो प्रति सप्ताह @ 50%

= ₹ 99,10,036 X 28 X 50 = ₹ 2,89,04,272

24X20

कम भुगतान = ₹ 2,89,04,272 - ₹ 99,10,036 = ₹ 1,89,94,236

अध्याय-III

राज्य उत्पाद

अध्याय—III : राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद राजस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों और बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती) नियमावली, 2007 के द्वारा राज्य में शासित होते हैं। सरकार स्तर पर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के शीर्ष स्तर पर आयुक्त उत्पाद द्वारा शासित है। बिहार मोलासेस नियंत्रण अधिनियम तथा नियमों के शासन एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त, उत्पाद पदेन मोलासेस नियंत्रक भी हैं। मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, एक उपायुक्त उत्पाद तथा एक सहायक आयुक्त उत्पाद, आयुक्त उत्पाद के कार्य सम्पादन में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, चार¹ प्रमंडलीय मुख्यालयों में से प्रत्येक में एक उपायुक्त उत्पाद होते हैं। जिला स्तर पर उत्पाद प्रशासन के प्रभारी जिला समाहर्ता होते हैं, जिनकी सहायता एक सहायक आयुक्त उत्पाद या एक अधीक्षक उत्पाद करते हैं।

राज्य में उत्पाद दुकानों के खुदरा विक्रेताओं को सभी प्रकारों के शराब की आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा शासित बिहार राज्य बिबरेज निगम लिमिटेड का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था, जो एकमात्र थोक बिक्री डिपो के रूप में काम करता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य उत्पाद राजस्व से संबंधित 51 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 39 इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 44.09 करोड़ से सन्निहित 270 मामलों में राजस्व का नहीं/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताएं पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि तालिका 3.1 में वर्णित है :

तालिका-3.1

(₹ करोड़ में)			
क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद दुकानों का नहीं/विलम्ब से बंदोबस्त किया जाना	47	13.37
2.	अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	40	5.65
3.	न्यूनतम गारंटी मात्रा का नहीं/कम उठाव के कारण हानि	5	0.28
4.	अन्य मामले	178	24.79
कुल		270	44.09

अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 के दौरान विभाग ने 70 मामलों में सन्निहित ₹ 52.16 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 9.57 करोड़ से सन्निहित दो मामले वर्ष 2014-15 के दौरान एवं शेष पूर्व वर्षों में इंगित किए गए थे। पुनः विभाग ने 20 मामलों में ₹ 1.37 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित किया जो वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 के दौरान इंगित किए गए थे।

¹ भागलपुर-सह-मुंगेर, दरभंगा-सह-कोशी-सह-पूर्णिया, पटना-सह-मगध तथा तिरहुत-सह-सारण।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 9.60 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3.3 अधिनियमों/नियमावलीयों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं बिहार उत्पाद (देशी, मशालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञापितियों की बंदोवस्ती) नियमावली 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित आवश्यक है :

- लॉटरी द्वारा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती;
- सरकार के द्वारा निर्धारित दर से संबंधित उत्पाद दुकानों हेतु लाइसेंस फीस का भुगतान;
- निर्धारित अवधि के अन्दर लाइसेंस फीस का भुगतान; एवं
- उत्पाद दुकानों की बिक्री अधिसूचना के किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस का निरस्तीकरण अथवा अर्थदण्ड/जुर्माना का आरोपण।

अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 9.60 करोड़ के अनुज्ञा शुल्क का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिकायें 3.4 से 3.7 में वर्णित हैं। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों को रोका जा सके।

3.4 उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के बाद लाइसेंस फीस की कम वसूली

उत्पाद प्राधिकारियों ने उत्पाद दुकानों के निरस्त लाइसेंसों से संबंधित ₹ 9.47 करोड़ के बकाये सरकारी राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

हमने 18 जिला उत्पाद कार्यालयों² की बन्दोवस्ती संचिका, माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी तथा प्रतिभूति जमा पंजी की संवीक्षा की तथा पाया (फरवरी 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच) कि उत्पाद दुकानों के 144 समूहों की अनुज्ञापितियाँ, मासिक लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किये जाने के कारण, दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2014 के बीच की अवधि में निरस्त कर दिये गये थे। उत्पाद प्राधिकारियों ने ₹ 9.47 करोड़ बकाये लाइसेंस फीस की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। पुनः हमने पाया कि दुकाने एक से आठ माह के विलम्ब से निरस्त की गई थी, जबकि इसे चूक के माह के 20 वें तिथि के बाद निरस्त कर दिया जाना चाहिये था, जैसा कि बिहार उत्पाद (देशी/मशालेदार देशी शराब, विदेशी शराब/बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञापितियों की बन्दोवस्ती) नियमावली, 2007 के नियम 17(2) में प्रावधान है। इसके फलस्वरूप ₹ 9.47 करोड़ की कम वसूली हुई।

इसे ईंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि समस्तीपुर के मामले में ₹ 9.23 लाख हेतु माँग पत्र निर्गत किये गये हैं, मुंगेर के मामले में दोनों अनुज्ञापितधारियों के विरुद्ध नीलामवाद दायर कर दिया गया है, मधेपुरा के मामले में ₹ 2.33 लाख की वसूली, ₹ 4.20 लाख का समायोजन तथा ₹ 7.69 लाख के लिये नीलामवाद दायर कर दिया गया है, जबकि नालन्दा के मामले में बकायों की वसूली

² अररिया, बेगुसराय, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास (सासाराम), सहरसा, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

हेतु माँग पत्र निर्गत किये गये हैं एवं प्रतिभूति जमा तथा अग्रिम लाइसेंस फीस जम्मा कर ली गई है। हम शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

3.5 जमानत राशि के गलत समायोजन के कारण अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता

उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के मामले में जमानत राशि को जम्मा करने के बजाय बकाये राशि के विरुद्ध जमानत राशि को समायोजित किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता दी गई।

उत्पाद अधीक्षक, कटिहार के कार्यालय के बन्दोवस्ती संचिकाओं तथा माँग, संग्रहण एवं शेष पंजियों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (मार्च 2014) कि उत्पाद दुकानों के तीन समूहों की अनुज्ञप्तियाँ, मासिक लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं करने के कारण, अक्टूबर एवं नवम्बर 2013 के बीच की अवधि के दौरान निरस्त कर दिये गये थे। पुनः हमने पाया कि बकाये राशि का समायोजन उनके द्वारा जमा की गई जमानत राशि से की गई थी। बकाये राशि के विरुद्ध ₹ 12.79 लाख की जमानत राशि का समायोजन, बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 के नियम 17(2) के प्रावधान का उल्लंघन था, जो उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के मामले में जमानत राशि जम्मा किया जाना उपबधित करता है। इसके फलस्वरूप न केवल ₹ 12.79 लाख के जमानत राशि का गलत समायोजन हुआ, बल्कि अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता भी दी गई।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

3.6 लाइसेंस फीस विलम्ब से जमा किये जाने हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

लाइसेंस फीस विलम्ब से जमा करने पर उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा उत्पाद दुकानों को निरस्त किये जाने अथवा अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

चार जिला उत्पाद कार्यालयों (औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्णियाँ एवं रोहतास) के माँग, संग्रहण एवं शेष पंजियों के नमूना जाँच के दौरान हमने फरवरी एवं अक्टूबर 2014 के बीच पाया कि 278 शराब दुकानों में से 87 शराब दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों ने दिसम्बर 2012 एवं फरवरी 2014 के बीच की अवधि के लिये ₹ 10.31 करोड़ का मासिक लाइसेंस फीस, पाँच से 81 दिनों के विलम्ब से जमा किया, जो बिक्री अधिसूचना की शर्तों की अवहेलना थी, जिसके अनुसार उन्हें अपना मासिक लाइसेंस फीस प्रत्येक माह के 20वें तारीख तक जमा कर देना है। लेकिन अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों ने न तो अनुज्ञप्ति को निरस्त/निलंबित किया और न ही चूककर्ता अनुज्ञप्तिधारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया, जैसा कि बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, की धारा 42 (बी) के तहत विहित है। बदले में उन्होंने अर्थदण्ड के रूप में राशि वसूल किये बगैर लाइसेंस फीस की राशि स्वीकार कर ली। यह अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को राजस्व के भुगतान में चूक करने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है।

इसे ईगित किये जाने के बाद, उत्पाद अधीक्षक, औरंगाबाद एवं मधुबनी ने फरवरी एवं सितम्बर 2014 के बीच कहा कि संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास ने अक्टूबर 2014 में कहा कि सरकार के राजस्व हित में दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी तथा अधीक्षक उत्पाद पूर्णियाँ ने मार्च 2014 में कहा कि अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली कर ली गई थी। सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास एवं अधीक्षक उत्पाद, पूर्णियाँ का जबाव अधिनियम के प्रावधानों के

अनुरूप नहीं थे, क्योंकि विलम्ब से भुगतान किये जाने हेतु अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2014 एवं फरवरी 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

3.7 अवमानक शराब की आपूर्ति

प्रयोगशाला से जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति से पहले ही अवमानक देशी शराब की आपूर्ति, ने जाँच के उद्देश्य को विफल कर दिया तथा इससे मानव जीवन को जोखिम भी था।

हमने वर्ष 2012-13 की अवधि से संबंधित रासायनिक परीक्षक, पटना के सैम्पल जाँच प्रतिवेदन तथा उत्पाद अधीक्षक, बेगुसराय के कार्यालय के भंडार एवं निर्गमन पंजी (प्रोफार्मा-II) की संवीक्षा की तथा पाया (जनवरी 2015) कि रासायनिक जाँच (मई 2012) किये गये देशी शराब के दो सैम्पल मानक के अनुरूप नहीं थे तथा उनमें सेडिमेंट पाये गये थे। हमने पुनः पाया कि उन थोकों से संबंधित 6.58 लाख एल.पी.एल. देशी शराब खुदरा व्यापारियों को बिक्री हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान बिहार राज्य बिबरेज निगम लिमिटेड को निर्गत (अप्रैल एवं जून 2012 के बीच) किये गये थे, जबकि त्रुटि का सुधार कर लिया जाना आवश्यक था, जैसाकि अनुज्ञप्ति के शर्तों (प्रपत्र-27) के तहत विहित है। इस प्रकार, प्रयोगशाला से जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति से पहले ही अवमानक देशी शराब की आपूर्ति न केवल जाँच के उद्देश्य को विफल किया, बल्कि इसमें मानव जीवन को जोखिम भी था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में कहा कि बेगुसराय जिला, जहाँ तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, के मिट्टी में लौह की उपस्थिति के कारण पानी में अशुद्धियाँ की संभावना थी। आपूर्तिकर्ता को कड़ी चेतावनी एवं भविष्य में बेहतर गुणवत्ता वाली शराब की आपूर्ति हेतु सुझाव दे दी गई है। तब से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि रासायनिक परीक्षण के तहत वाले थोक को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक निर्गत नहीं किया जाना चाहिये था, क्योंकि देशी शराब का पूरा थोक, जहाँ से सैम्पल संग्रहित की गई थी, में सेडिमेंट था, जिसका सुधार निर्गमन से पहले कर लिया जाना आवश्यक था।

3.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

जैसा वित्त विभाग द्वारा सूचित (जुलाई 2015) किया गया था, इसने वर्ष 2014-15 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं निषेध (उत्पाद) विभाग के एक इकाई का आंतरिक लेखापरीक्षा किया था। निरीक्षण प्रतिवेदन, जिसमें तीन कंडिकाएं शामिल थी, निर्गत कर दी गयी थी तथा इसे निष्पादित करने के लिए पत्र/स्मार पत्र निर्गत कर दिया गया था।

अध्याय-IV

वाहनों पर कर

अध्याय—IV: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989; बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ¹ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है एवं मोटरवाहनों का पंजीकरण, फीस और कर का आरोपण एवं संग्रहण एवं चालक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का उत्तरदायित्व जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित 49 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों (डी.टी.ओ: 38, आर.टी.एस: 9, एस.टी.सी: 1 एवं पी.एस.यू:1) में से 35 इकाइयों (डी.टी.ओ: 30, आर.टी.एस: 3, एस.टी.सी: 1 एवं पी.एस.यू:1) के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा हमने ₹ 96.82 करोड़ से सन्निहित 292 मामलों में राजस्व का कम आरोपण/आरोपण नहीं किया जाना, कम वसूली/वसूली नहीं किया जाना तथा अन्य त्रुटियों का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका-4.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	परिवहन वाहनों से मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	24	3.50
2	एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	69	7.75
3	निबंधन के लिए लंबित टैक्सी/कैब से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	22	2.49
4	व्यापार प्रमाण पत्र का शुल्क का कम/नहीं वसूल किया जाना	26	4.20
5	बगैर अस्थायी निबंधन के वाहनों को सौंपा जाना एवं जुर्माना का आरोपण नहीं किया जाना	15	1.83
6	हल्के मालवाहक वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली एवं विलम्ब से एकमुश्त कर जमा करने पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	26	1.28
7	मूलधन एवं ब्याज की वसूली नहीं किया जाना	1	67.76
8	अन्य मामले	109	8.01
	कुल	292	96.82

अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 के दौरान, विभाग ने 10 मामलों में अंतर्निहित ₹ 1.39 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए

¹ भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।

जाने/कम वसूली तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 36.87 लाख से सन्निहित 4 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 17.45 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

4.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि निम्न का आरोपण एवं भुगतान हो:

- वाहन मालिकों द्वारा उचित दरों पर वाहन कर/अतिरिक्त कर;
- निर्धारित अवधि के अन्दर तथा अग्रिम में कर/अतिरिक्त कर; तथा
- यदि 90 दिनों के अन्दर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर के दुगुना तक अर्थदण्ड।

कुछ मामलों में, जैसा कि कंडिकायें 4.4 से 4.9 में वर्णित हैं, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 17.45 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि हुई।

4.4 मोटर वाहनों पर करों की वसूली नहीं किया जाना

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र के अभाव के फलस्वरूप 21 जिला परिवहन कार्यालयों में ₹ 3.19 करोड़ के मोटर वाहन करों की वसूली नहीं हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों² के वर्ष 2013-14 की अवधि के कराधान पंजी एवं वाहन डाटाबेस की संवीक्षा की तथा पाया (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच) कि 21 जिला परिवहन कार्यालयों³ में 3,961 नमूना-जांचित परिवहन वाहनों (निबंधित परिवहन वाहनों की कुल संख्या: 99,245) में से 981 वाहन के मालिकों ने अप्रैल 2011 एवं सितम्बर 2014 के बीच की अवधि का ₹ 1.07 करोड़ के कर का भुगतान नियत तिथि के भीतर नहीं किया था। यह बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो उपबंधित करता है कि मोटर वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्ता वाहनों को जब्त किया और न ही चूककर्ता वाहन मालिकों के विरुद्ध बकाया की वसूली हेतु मांग पत्र निर्गत किया, जैसाकि बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के तहत अपेक्षित है। किसी भी मामले में वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन अथवा कर के भुगतान से छूट पाने हेतु दस्तावेजों के अभ्यर्पण संबंधी सूचना अभिलेख पर नहीं पाये

² औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, कटिहार, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) और पश्चिम चम्पारण।

³ औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, गोपालगंज, कैमूर (भभुआ), कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीवान एवं सुपौल।

गये। पुनः ₹ 2.12 करोड़ का अर्थदण्ड भी बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के तहत आरोप्य था, जो उपबंधित करता है कि करों के भुगतान नहीं किये जाने के मामले में करारोपण पदाधिकारी बकाये कर की राशि का 25 और 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है। इस प्रकार ₹ 1.07 करोड़ के कर एवं ₹ 2.12 करोड़ के अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई। उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा कमजोर अनुश्रवण तंत्र को प्रदर्शित करता है, यद्यपि पूर्ववर्ती वर्षों में हमने इसे बार-बार इंगित किया था।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.5 ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली

व्यवसायियों के स्वामित्व में रखे गये सभी मोटर वाहनों हेतु ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली निबंधन प्राधिकारियों ने सुनिश्चित नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.85 करोड़ के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली कम हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 की अवधि से संबंधित ट्रेड टैक्स पंजियों, संचिकाओं एवं वाहन डाटाबेस की संवीक्षा की तथा पाया (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच) कि 23 जिला परिवहन कार्यालयों⁴ में नमूना जाँच किये गये 82 वाहन के व्यवसायियों (281 व्यवसायियों में से) को जनवरी 2011 एवं अगस्त 2014 के बीच की अवधि के दौरान 507 ट्रेड सर्टिफिकेट प्रदान किये गये थे, जबकि इन व्यवसायियों ने इस अवधि में 5,18,911 वाहन प्राप्त किये थे, जैसाकि उनके द्वारा प्रपत्र बी-2 में दाखिल घोषणा एवं वाहन डाटाबेस के निबंधन टेबल से सुस्पष्ट था।

यद्यपि निबंधन प्राधिकारियों को उनके स्वामित्व में रखे गये वाहनों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध थी, उन्होंने शेष 5,18,404 वाहनों हेतु चूककर्ता व्यवसायियों के विरुद्ध ट्रेड सर्टिफिकेट फीस के लिये माँग सृजन हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया, जैसाकि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 33 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के तहत अपेक्षित था, जो उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर वाहन नहीं चला सकता है, जबतक कि वाहन निबंधित न हो तथा व्यवसायी के स्वामित्व में रखे गये किसी मोटर वाहन को निबंधन कराने से छूट प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि वह उस निबंधन प्राधिकारी से ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिये हों। अतः इस चूक के कारण ₹ 3.85 करोड़ के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली हुई।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

⁴ औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, गोपालगंज, कैमुर (भभुआ), कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), पटना, पूर्णियाँ, रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

4.6 एकमुश्त कर

4.6.1 एकमुश्त कर की वसूली नहीं/कम वसूली

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा एकमुश्त कर का आरोपण नहीं/कम किये जाने के फलस्वरूप ₹ 6.26 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं/कम वसूली हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 की अवधि के वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा मई 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच पाया कि 19 जिला परिवहन कार्यालयों⁵ के करारोपण पदाधिकारियों ने 27,010 नमूना-जाँचित वाहनों (निबंधित वाहनों की कुल संख्या: 1,62,248) में से 1,620 वाहनों (ट्रैक्टर, ट्रेलर, टैक्सी/कैब, तिपहिया, हल्के मालवाहन), जिनका निबंधन मार्च 2010 एवं सितम्बर 2014 के बीच हुआ था, के मालिकों से ₹ 6.26 करोड़ का एकमुश्त कर की वसूली नहीं की थी, जैसाकि निम्न तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2

वाहन का प्रकार चूककर्ता वाहनों की संख्या	सन्निहित कार्यालयों की संख्या	एकमुश्त कर का नहीं/कम वसूली (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अवलोकन
ट्रैक्टर (वाणिज्यिक) 628	8 जिला परिवहन कार्यालय ⁶	275.31	संशोधन से पूर्व के दर पर कर प्रभारित किये जाने के कारण 248 वाहनों से कम वसूली (₹ 151.82 लाख), 206 वाहनों का एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया जाना (₹ 103.94 लाख) एवं 174 वाहनों के एकमुश्त कर का कम भुगतान (₹ 19.55 लाख) किया जाना।
ट्रेलर 101	5 जिला परिवहन कार्यालय ⁷	30.30	101 वाहनों के एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया जाना (₹ 30.30 लाख)।
टैक्सी-कैब 412	11 जिला परिवहन कार्यालय ⁸	201.53	संशोधन से पूर्व के दर पर कर प्रभारित किये जाने के कारण 332 वाहनों से कम वसूली (₹ 137.86 लाख) एवं 80 वाहनों के एकमुश्त कर का भुगतान (₹ 63.67 लाख) नहीं किया जाना।
तिपहिया वाहन 417	9 जिला परिवहन कार्यालय ⁹	93.59	249 वाहनों के एकमुश्त कर भुगतान नहीं (₹ 78.84 लाख) एवं 168 वाहनों के एकमुश्त कर का कम भुगतान (₹ 14.75 लाख) किया जाना।

⁵ बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), गोपालगंज, कटिहार, कैमुर, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पूर्णियाँ, रोहतास (सासाराम), सहरसा, समस्तीपुर, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

⁶ बेगुसराय, भोजपुर (आरा), गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

⁷ कटिहार, मधेपुरा, पूर्णियाँ, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

⁸ भागलपुर, भोजपुर, कैमुर, किशनगंज, मुंगेर, नालन्दा, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, सीवान, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

⁹ बेगुसराय, गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

हल्के माल वाहन 62	3 जिला परिवहन कार्यालय ¹⁰	25.63	61 वाहनों के एकमुश्त कर का भुगतान (₹ 25.37 लाख) नहीं किया जाना तथा एक वाहन का कर संशोधन से पूर्व दर पर प्रभारित किये जाने के कारण कर की कम वसूली (₹ 26,000)।
कुल		626.36	

मामले सरकार/विभाग के मई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.6.2 एकमुश्त कर पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया जाना

जिला परिवहन पदाधिकारियों ने एकमुश्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 81.56 लाख के अर्थदण्ड की वसूली नहीं/कम हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 की अवधि के वाहन डाटाबेस के टैक्स विलयरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा जून एवं दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि सात जिला परिवहन कार्यालयों¹¹ के करारोपण पदाधिकारियों ने नमूना-जाँचित 17,584 वाहनों (निबंधित वाहनों की कुल संख्या: 95,557) में से 2,626 वाहनों (ट्रैक्टर, ट्रेलर, तिपहिया एवं हल्के माल वाहन), जिनका निबंधन अप्रैल 2010 एवं अगस्त 2014 के बीच हुआ था, के मालिकों से एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान करने हेतु ₹ 81.56 लाख के अर्थदण्ड की वसूली नहीं की, जैसाकि निम्न तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3

वाहन का प्रकार	चूककर्ता वाहनों की संख्या	सन्निहित कार्यालयों के नाम	एकमुश्त कर का नहीं/कम वसूली (₹ लाख में)
ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	1,093	जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	22.02
ट्रेलर	276	जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार, पूर्णियाँ, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	11.17
तिपहिया	967	जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	27.07
हल्के माल वाहन	290	जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	21.30
कुल	2,626		81.56

मामले सरकार/विभाग को मई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

¹⁰ बेगुसराय, गोपालगंज एवं समस्तीपुर।

¹¹ गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

4.6.3 निबंधन लम्बित रहने के कारण एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं होना

निबंधन प्राधिकारियों ने वाहनों के निबंधन हेतु आवेदनों के लंबित रहने का अनुश्रवण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 1.66 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं हुई।

हमने छ: जिला परिवहन कार्यालयों¹² में वर्ष 2013-14 के वाहन डाटाबेस में 23,682 परिवहन वाहनों के निबंधन अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा मई एवं दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि 482 वाहनों (ट्रैक्टर: 200, ट्रेलर: 105, तिपहिया: 157, टैक्सी/कैब: 10, हल्के मोटर वाहन: 10) के मालिकों ने अप्रैल 2010 एवं मार्च 2014 के बीच अपने वाहनों के निबंधन हेतु आवेदन दिया था। परन्तु इन वाहनों के मालिकों को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया था और निबंधन प्राधिकारियों के पास अबतक लम्बित था, जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 47 की अवहेलना थी, जिसमें प्रावधान है कि आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर परिवहन वाहन से संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र मालिक को सुपूर्द कर दिया जाना है। निबंधन प्राधिकारी निबंधन हेतु आवेदन को लम्बित रहने का अनुश्रवण नहीं कर सके। इस प्रकार 482 वाहनों के निबंधन लम्बित रहने के कारण अर्थदण्ड सहित ₹ 1.66 करोड़ का एकमुश्त कर का संग्रहण नहीं हुआ था, जैसाकि निम्न तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4

वाहन का प्रकार	चूककर्ता वाहनों की संख्या	सन्निहित कार्यालयों की संख्या	एकमुश्त कर का नहीं/कम वसूली (₹ लाख में)
ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	200	जिला परिवहन कार्यालय मुंगेर, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, सीवान एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	81.93
ट्रेलर	105	जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर, मुंगेर, पूर्णियाँ एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	31.50
तिपहिया	157	जिला परिवहन कार्यालय पूर्णियाँ एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	44.01
टैक्सी/कैब	10	जिला परिवहन कार्यालय पूर्णियाँ एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	5.18
हल्के माल वाहन	10	जिला परिवहन कार्यालय (पश्चिम चम्पारण)	3.30
कुल	482		165.92

मामले सरकार/विभाग को मई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

¹² भागलपुर, मुंगेर, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, सीवान एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

4.6.4 अधिनियम के प्रावधान को गलत लगाये जाने के कारण एकमुश्त कर की कम वसूली

15 वर्षों के बजाय 10 वर्षों के लिए निबंधन की वैधता की अनुमति दिए जाने के कारण ₹ 18.48 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

छ: जिला परिवहन कार्यालयों (भोजपुर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल) में वाहन डाटाबेस के टैक्स विलयर्स टेबल की संवीक्षा के दौरान नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच हमने पाया कि 567 नये निबंधित तिपहिया वाहनों (नमूना-जाँचित 971 में से) को अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के बीच 15 वर्षों के बजाय 10 वर्षों के लिये निबंधन की वैधता की अनुमति दी गई थी, जो बिहार वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 3(सी) के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो यह उपबंधित करता है कि नये तिपहिया वाहनों को 15 वर्षों के लिये निबंधन की वैधता दी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये, जिसके फलस्वरूप ₹ 18.48 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.7 अस्थायी निबंधन के बगैर वाहनों की सुपुर्दगी के कारण राजस्व की हानि

अस्थायी निबंधन चिन्ह आवंटित किये बगैर क्रेताओं को वाहनों की सुपुर्दगी के फलस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ की हानि हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 अवधि के वाहन डाटाबेस के ऑनर टेबल तथा निबंधन पंजियों की संवीक्षा की तथा 13 जिला परिवहन कार्यालयों¹³ में पाया (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच) कि ट्रेड सर्टिफिकेट के धारकों ने जनवरी 2011 एवं अप्रैल 2014 के बीच की अवधि के दौरान क्रेताओं को 1,15,574 वाहन (हल्के मोटर वाहन: 3,851 तथा दो पहिया: 1,11,723) बगैर अस्थायी निबंधन चिन्ह आवंटित किये सौंप दिया था। यह केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 के प्रावधान का उल्लंघन था, जो उपबंधित करता है कि कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट धारक, बिना स्थायी अथवा अस्थायी निबंधन के मोटर वाहनों को क्रेताओं को नहीं सौंपेगा। निबंधन प्राधिकारियों (जिला परिवहन पदाधिकारियों) ने उन वाहनों का स्थायी निबंधन कर दिया, जिन्हें अस्थायी निबंधन के बगैर क्रेताओं को सौंप दिया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

¹³ औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, पूर्णियाँ, सीवान, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

4.8 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से ट्रेड टैक्स तथा अर्थदण्ड की कम वसूली

जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मोटर वाहनों के व्यवसायियों द्वारा विहित दर पर ट्रेड टैक्स भुगतान की सत्यता सुनिश्चित नहीं की, जिसके फलस्वरूप ₹ 22.30 लाख के ट्रेड टैक्स की कम वसूली हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 की अवधि के लिये मोटर वाहनों के निर्माताओं/व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत उनके अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों से संबंधित घोषणा तथा निबंधन पंजियों की संवीक्षा की तथा पाया (मई और नवम्बर 2014 के बीच) कि सात जिला परिवहन कार्यालयों¹⁴ में 16 मोटर वाहनों के व्यवसायियों ने अप्रैल 2011 तथा मई 2014 की अवधि में अपने अधिकार में रखे गये 19,429 वाहनों (16,946 दोपहिया तथा 2,483 तीन/चार पहिया) हेतु विहित दर पर ट्रेड टैक्स कम जमा किया था। यह बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 तथा इसके तहत बने नियमावली के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो उपबंधित करता है कि मोटर वाहन के निर्माता अथवा व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिये निर्माता/व्यवसायी के रूप में वार्षिक विहित दर पर करों का भुगतान करना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने व्यवसायियों द्वारा समर्पित घोषणा के अनुसार ट्रेड टैक्स के भुगतान की सत्यता की जाँच नहीं की तथा सितम्बर 2007 में राज्य परिवहन आयुक्त के निदेशों के अनुरूप कर की वसूली तथा ट्रेड सर्टिफिकेट के नवीकरण हेतु कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं की। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 22.30 लाख के ट्रेड टैक्स की वसूली कम हुई।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.9 अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं किया जाना

विशिष्ट निबंधन संख्या हेतु अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली किये बिना क्रेताओं को अनुक्रम से बाहर का निबंधन संख्या आवंटित किये जाने के फलस्वरूप ₹ 20.60 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

चार जिला परिवहन कार्यालयों (बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली) के डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर तथा वाहन डाटाबेस की संवीक्षा के दौरान हमने अक्टूबर एवं दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि 21 व्यवसायियों, जिन्हें डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के तहत नवंबर 2011 एवं अगस्त 2014 के बीच की अवधि के दौरान निबंधन चिह्न निर्गत किए गए थे, ने क्रेताओं को अनुक्रम से बाहर 412 निबंधन संख्या (कुल 66,512 में से) आवंटित किया था, जिस पर विशिष्ट निबंधन संख्या हेतु अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी, जैसा कि बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1992 के तहत निर्गत अधिसूचना (जून 2003) में विहित था, जो उपबंधित करता है कि अगर किसी वाहन का मालिक अनुक्रम से बाहर की विशेष निबंधन संख्या हेतु आवेदन करता है, तब ₹ 5,000 का अतिरिक्त निबंधन फीस प्रभारित होगा। विभाग ने पुनः व्यवसायियों के सेल इन्वाइस के अनुसार निबंधन संख्या का आवंटित ब्लॉक से निबंधन संख्या निर्गत करने हेतु भी निदेशित किया था (जुलाई 2009)। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने विशिष्ट निबंधन संख्या निर्गत करने हेतु व्यवसायियों से फीस की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। इसके फलस्वरूप ₹ 20.60 लाख के अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई।

¹⁴ भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, नालन्दा (बिहारशरीफ) एवं सीतामढ़ी।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखा परीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग वर्ष 2014-15 के दौरान परिवहन विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

अध्याय-V
अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय-V: अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 कर प्रशासन

राज्य में भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण अधिनियमों एवं नियमावली¹ के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शासित होता है। शीर्ष स्तर पर प्रधान-सचिव-सह आयुक्त शासकीय प्रधान होते हैं और प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी क्षेत्र स्तर पर उनको सहायता प्रदान करते हैं। अंचल कार्यालय प्राथमिक इकाई है जो भू-राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी है।

राज्य में मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; निबंधन अधिनियम, 1908; बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (लिखितों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। निबंधन विभाग के सचिव, जो मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन विभाग कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक अपर सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। पुनः प्रमंडलीय स्तर पर नौ सहायक महानिरीक्षक होते हैं। 38 जिला निबंधक, 38 जिला अवर निबंधक, 83 अवर निबंधक और 26 संयुक्त अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक इकाई स्तर पर मुद्रांक और निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान भू-राजस्व के 839 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 97 इकाइयों तथा मुद्रांक एवं निबंधन फीस के 140 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 40 इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 568.13 करोड़ से सन्निहित 690 मामलों में राजस्व का नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 5.1 में वर्णित है।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की सं.	राशि
क: भू-राजस्व			
1.	लोक भूमि का अतिक्रमण से निष्कासन/बंदोवस्ती नहीं किया जाना	18	11.06
2.	बंदोवस्त सैरात से मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	23	54.30
3.	लीज का बंदोवस्ती एवं कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना	9	296.26
4.	स्थापना प्रभारों का लेखांकन नहीं तथा संग्रहण/प्रेषण नहीं/कम किया जाना	1	97.00
5.	सरकारी भूमि का हस्तांतरण/अंतरण पर राजस्व की वसूली/प्रेषण नहीं किया जाना,	1	15.66

¹ बिहार टीनेन्सी अधिनियम, 1908; बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956; बिहार सरकार एस्टेट (खासमहाल) हस्तक, 1953।

6.	पंचाट की घोषणा में विलम्ब के कारण ब्याज का अतिरिक्त भुगतान	1	7.73
7.	अन्य मामले	435	56.20
कुल		488	538.21
ख: मुद्रांक और निबंधन फीस			
1.	प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरुद्ध रहना	36	4.59
2.	निष्पादित प्रेषित मामलों में राजस्व की वसूली नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरुद्ध रहना	23	2.68
3.	लीज दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं/कम किया जाना	37	6.79
4.	संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण राजस्व की हानि	7	1.38
5.	अन्य मामले	99	14.48
कुल		202	29.92
कुल योग		690	568.13

(क) अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 26 मामलों में सन्निहित ₹ 384.42 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों इत्यादि को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 376.09 करोड़ से सन्निहित चार मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने पाँच मामलों में ₹ 10.79 करोड़ की वसूली भी प्रतिवेदित की, जिन्हें वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में इंगित किए गए थे।

(ख) अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध (निबंधन) विभाग ने 47 मामलों में सन्निहित ₹ 11.47 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों इत्यादि को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 4.04 करोड़ से सन्निहित 18 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने सात मामलों में ₹ 27.15 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित की, जिन्हें वर्ष 2007-08 तथा 2014-15 के बीच की अवधि के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टान्तस्वरूप ₹ 339.30 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

5.3 अधिनियमों/नियमावलिओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

अपर/उप समाहर्ता, भू-राजस्व एवं जिला निबंधक/अवर निबंधक के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित हैं। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रहीं बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

क: भू-राजस्व

5.4 “बिहार में सरकारी भूमि का लीज” पर वृहद कंडिका

5.4.1 परिचय

भू-राजस्व सरकार के राजस्व के सबसे पुराने स्रोतों में से एक है। इसमें लम्बी अवधि के लीजों से भू-लगान एवं उपकर, लीज किराया, सलामी² तथा सरकारी निकाय/संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को हस्तांतरित भूमि का हस्तांतरण मूल्य शामिल है। सरकारी भूमि का लीज, भूमि से राजस्व प्राप्त करने हेतु मुख्य स्रोतों में से एक है। संपत्ति के अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 105 के अनुसार अचल संपत्ति का लीज ऐसी सम्पत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण है जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के, जो दी गयी हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के, जो कालावधीय रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अन्तरिती द्वारा, जो उस अन्तरण को ऐसे शर्तों पर स्वीकार करता है, अन्तरक को दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो। राज्य सरकार सलामी एवं वार्षिक लगान के बदले सरकारी भूमि को बिहार सरकार एस्टेट (खासमहाल) मैनुअल, 1953 तथा नई खासमहाल नीति, 2011 के प्रावधानों के अनुसार लीज पर दे सकती है।

5.4.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्य-पद्धति

उपरोक्त मैनुअल एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार नए लीज का कार्यान्वयन तथा लीजों का नवीकरण की जाँच के उद्देश्य से हमने अप्रैल एवं जून 2015 के बीच आठ चयनित जिलों³ में अपर समाहर्ता के कार्यालयों के वर्ष 2010-11 से 2014-15 के अभिलेखों की जाँच की। इन जिलों का चयन प्रतिस्थापना सहित आकार के सम्भाव्यता अनुपात के माध्यम से सांख्यिकी प्रतिचयन के आधार पर की गई थी।

लेखापरीक्षा की कार्य-पद्धति में लेखापरीक्षा निष्कर्ष हेतु मार्गदर्शिका तैयार करना, इंटी कन्फ्रेंस करना, अभिलेखों की जाँच हेतु क्षेत्र का दौरा करना, विभाग से आँकड़े सग्रहित करना, लेखापरीक्षा ज्ञापन एवं प्रश्नावली निर्गत करना तथा लेखापरिक्षित इकाइयों से उत्तर प्राप्त करना शामिल है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक सह-विशेष सचिव के साथ अप्रैल 2015 में इंटी कन्फ्रेंस की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, कार्य क्षेत्र एवं कार्य-पद्धति की चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा के अवलोकनों पर चर्चा करने तथा सरकार के मंतव्य लेने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त निदेशक के साथ सितम्बर 2015 में एकजट कन्फ्रेंस की गई। सरकार का उत्तर संबंधित कंडिकाओं में समुचित रूप से शामिल किए गए हैं।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध करने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सहयोग हेतु आभारी है।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.4.3 सरकारी भूमि का लीज

नई खासमहाल नीति, 2011 के उपबंध 18 के अनुसार एक लीजधारी को उनके द्वारा समाहर्ता को दिए गए लिखित सहमति पर एक नई लीज दी जा सकती है। इस प्रकार

² सलामी का अर्थ है, भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य।

³ भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली तथा पश्चिम चम्पारण।

के प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर समाहर्ता प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से इसे सरकार को अनुमोदन हेतु भेज देंगे। ऐसे नये लीज, लीजधारी को भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के समतुल्य सलामी के अलावे आवासीय अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु सलामी का क्रमशः दो प्रतिशत अथवा पाँच प्रतिशत वार्षिक लगान प्राप्त कर लीज पर दिया जाएगा। उपरोक्त नीति का उपबंध 1 (क), (ख), (ग) उपबंधित करता है कि यदि आवासीय, गैर-आवासीय तथा वाणिज्यिक लीज भूमि के लीजधारी द्वारा लीज के शर्तों एवं बंधेजों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, तब 30 वर्ष के लिए लीज का नवीकरण आवासीय भूमि के लिए अद्यतन बाजार मूल्य का पाँच प्रतिशत सलामी के रूप में लेकर किया जाएगा तथा वार्षिक लगान को बढ़ाकर भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा, तथा नवीकरण के समय वाणिज्यिक उपयोग हेतु लीज भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत सलामी के रूप में तथा वार्षिक लगान को बढ़ाकर भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का पाँच प्रतिशत का भुगतान करना होगा। पुनः, नई खासमहाल नीति, 2011 की उपबंध 2(क) एवं 4(क) प्रावधित करता है कि यदि लीजधारी लीज के शर्तों एवं बंधेजों की अवहेलना करता है अथवा लीज का वार्षिक लगान का भुगतान नहीं करता है, तब उसे ट्रेसपासर समझा जाएगा तथा उन्हें सरकार की ओर से 90 दिनों के नियत समय के अंदर नई शर्तों एवं बंधेजों पर नई लीज लेने का प्रस्ताव, भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य के बराबर सलामी तथा आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु क्रमशः सलामी का दो अथवा पाँच प्रतिशत वार्षिक लगान लेकर, दिया जाएगा।

5.4.3.1 लीज के शर्तों एवं बंधेजों के उल्लंघन करने पर नई लीज का कार्यान्वयन नहीं किया जाना

लीजधारी द्वारा जहाँ लीज के शर्तों एवं बंधेजों का उल्लंघन किया गया था, उन मामलों में विभाग ने नई लीज का कार्यान्वयन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 72.19 करोड़ के सलामी तथा लगान की वसूली नहीं हुई।

हमने दो जिलों (पटना एवं गया) में खासमहाल/सरकारी भूमि से संबंधित लीज के अभिलेखों से अप्रैल एवं जून 2015 के बीच पाया कि चार लीजधारियों, जिनका लीज वर्ष 1994 तथा 2002 के बीच समाप्त हो गया था, ने या तो शर्तों तथा बंधेजों का उल्लंघन किया था अथवा पाँच वर्षों से अधिक से वार्षिक लगान का भुगतान करना बंद कर दिया था। पटना के तीन मामलों में विभाग ने नई लीज के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी तथा गया के एक मामले में लीज शर्त के उल्लंघन तथा वार्षिक लगान का भुगतान नहीं करने हेतु नई लीज के लिए सूचना निर्गत (जनवरी 2012 तथा जनवरी 2013) किया गया था। लीजधारी ने प्रस्ताव को स्वीकार (जनवरी 2013) कर लिया था लेकिन अबतक नई लीज का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। इसके फलस्वरूप ₹ 72.19 करोड़ के सलामी एवं लगान की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्विजिट कन्फ्रेंस के दौरान उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि नई खासमहाल नीति, 2011 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

5.4.3.2 खासमहाल लीज का नवीकरण नहीं किया जाना

विभाग ने भूमि का भौतिक सत्यापन तथा आवेदनकर्ताओं की पहचान नहीं करायी जिसके फलस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ का सलामी एवं लगान की वसूली नहीं हुई।

अपर समाहर्ता, पटना के कार्यालय में संधारित खासमहाल के लीज से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि तीन लीजधारियों (उदय गुप्ता एवं रेणु

गुप्ता, विजय गुप्ता एवं गोमती गुप्ता तथा लेडी स्टीफेन्सन हॉल), जिनका कुल 128.44 डिसमल भूमि क्षेत्र का लीज दिसम्बर 2012 तथा अगस्त 2013 के बीच समाप्त हो गया था, ने लीज के नवीकरण हेतु आवेदन दिया था। हालाँकि भूमि का भौतिक सत्यापन एवं आवेदनकर्ताओं के पहचान में अत्यधिक विलम्ब के कारण इन लीजों का नवीकरण नहीं हो सका। इसके फलस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ के सलामी एवं लगान की वसूली नहीं हो सकी।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि नई खासमहाल नीति, 2011 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

5.4.3.3 लीज पर दिए गए क्षेत्र से अधिक अतिक्रमित भूमि का बंदोवस्ती नहीं किया जाना

विभाग ने सरकारी भूमि के अतिक्रमित क्षेत्र की बंदोवस्ती बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ नहीं की, जिसके फलस्वरूप ₹ 97.73 करोड़ का सलामी तथा लगान की वसूली नहीं हुई।

अपर समाहर्ता, पटना के कार्यालय में संधारित लीज से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन पटना को नवम्बर 1984 में 30 वर्ष की अवधि के लिए 14.06 डिसमल (4.5 कट्टा) भूमि लीज पर दी गई थी, लीजधारी ने इसके अतिरिक्त 2.2 डिसमल भूमि का अतिक्रमण कर लिया। इसी तरह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पटना, जिसे सितम्बर 1967 में दो एकड़ सरकारी भूमि की लीज दी गई थी, ने सरकारी भूमि का 3.67 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र का अतिक्रमण भी किया था। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड दोनों ने इसे नियमित करने हेतु क्रमशः 1995 एवं 2006 में आवेदन दिया था। इन मामलों में अतिक्रमित भूमि के लीज को नियमित किया जाना अभी तक लंबित है।

इस प्रकार लीज पर दिए गए क्षेत्र से अधिक सरकारी भूमि के अतिक्रमित क्षेत्र की बंदोवस्ती नहीं किए जाने के फलस्वरूप सरकार सलामी तथा लगान के रूप में ₹ 97.73 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान कहा (सितम्बर 2015) कि नई खासमहाल नीति, 2011 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

5.4.3.4 अनाधिकृत निर्माण को नियमित नहीं किया जाना

अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने हेतु सरकारी निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 44.97 करोड़ की सलामी एवं लगान की वसूली नहीं हुई।

अपर समाहर्ता, गया के कार्यालय में गाँधी मैदान, गया के सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 437.91 डिसमल सरकारी भूमि पर रेड क्रॉस सोसायटी, सेवा सन्वास सदन समिति तथा गिरजाघर द्वारा तीन अनाधिकृत निर्माण किया गया था। गाँधी मैदान, गया में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को नियमित कर लीजों की पूर्व प्रभाव से स्वीकृति लेने हेतु मुख्य सचिव द्वारा दिए गए स्पष्ट अनुदेश (अप्रैल 2013) के बावजूद इन अनाधिकृत निर्माणों को नियमित करने हेतु 19 महीनों के बीत जाने के बाद (नवम्बर 2014) भी अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके फलस्वरूप सलामी एवं लगान के रूप में ₹ 44.97 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद अपर समाहर्ता गया ने कहा (जून 2015) कि लीज को कार्यान्वित करने हेतु सचिव, सेवा सन्वास सदन समिति को एक प्रस्ताव पत्र निर्गत (मई 2015) किया गया है। हालाँकि विभाग ने सितम्बर 2015 में एकजट कन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नई खासमहाल नीति, 2011 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

5.4.3.5 लीज दस्तावेज का कार्यान्वयन अत्यधिक विलम्ब से किए जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं किया जाना

विभाग ने सिंगापुर बुद्धिस्ट लॉज के साथ नई लीज का कार्यान्वयन नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 3.24 करोड़ की सलामी एवं लगान की वसूली नहीं हुई।

अपर समाहर्ता, गया के कार्यालय में संधारित सरकारी भूमि से संबंधित लीज संचिकाओं की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि बोधगया अंचल में अवस्थित सिलिंग एक्ट के तहत अधिकाई भूमि के रूप में अधिग्रहित तीन एकड़ सरकारी भूमि का एक टुकड़ा अध्यक्ष सिंगापुर बुद्धिस्ट लॉज को ₹ 4.80 करोड़ की सलामी (₹ 1.60 लाख प्रति डिसमल के दर पर) तथा ₹ 24 लाख के व्यवसायिक वार्षिक लगान (सलामी का पाँच प्रतिशत के दर पर) बुद्धिस्ट लॉज/पिलग्रिम सेंटर के निर्माण हेतु लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव (अगस्त 2010) सरकार द्वारा दिया गया था। लीजधारी द्वारा अनुरोध किए जाने (अक्टूबर 2010) पर बिहार सरकार ने उक्त भूमि की सलामी की राशि ₹ 3.09 करोड़ (₹ 1.03 लाख प्रति डिसमल के दर पर) तथा सलामी के दो प्रतिशत के दर पर ₹ 6.18 लाख के आवासीय वार्षिक लगान पर पुनः निर्धारित किया तथा संशोधित लीज एकरारनामा अप्रैल 2013 में अंतिम रूप से समाहर्ता को भेज दिया।

इस बीच उक्त भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य में काफी बढ़ोतरी हुई। इसे देखते हुए तीन साल पहले निर्धारित मूल्य के बदले वर्तमान बाजार मूल्य पर लीज कर सरकारी राजस्व को बचाने के उद्देश्य से समाहर्ता ने मामले को विभाग के पास संदर्भित (अक्टूबर 2013) कर दिया। हालाँकि 13 महीनों से अधिक बीत जाने के बाद भी विभाग लीज के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं कर सका (नवम्बर 2014)। इसके फलस्वरूप ₹ 3.24 करोड़⁴ की वसूली नहीं हुई। भूमि का वर्तमान मूल्य ₹ 16.50 करोड़ संगणित की गई थी।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एकजट कन्फ्रेंस के दौरान कहा (सितम्बर 2015) कि नई खासमहाल नीति, 2011 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

5.4.3.6 खासमहाल लीज की बंदोवस्ती में सलामी तथा लगान की कम वसूली

समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी ने व्यवसायिक उपयोग हेतु भूमि की बंदोवस्ती में व्यवसायिक दर के बदले आवासीय दर लगाया, जिसके फलस्वरूप ₹ 19.69 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

अपर समाहर्ता, भू-राजस्व, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी के कार्यालय में संधारित लीज के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि समाहरणालय परिसर में 50 डिसमल सरकारी भूमि के एक टुकड़े को समाहर्ता ने, शाखा सड़क पर आवासीय मानते हुए ₹ 1,59,000 प्रति डिसमल के दर पर, भारतीय स्टेट बैंक के साथ बंदोवस्त की। परंतु हमने पाया कि भूमि समाहरणालय परिसर में अवस्थित था, जिसका उपयोग व्यवसायिक था, जिसके लिए न्यूनतम मूल्य पंजी के अनुसार ₹ 1,96,500 प्रति डिसमल के दर पर

⁴ ₹ 1,03,000 प्रति डिसमल (आवासीय हेतु) के दर पर भूमि का बाजार मूल्य के आधार पर संगणित सलामी: 3,09,00,000 + सलामी के दो प्रतिशत के दर पर वार्षिक लगान: ₹ 6,18,000 + 145 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर शेष ₹ 8,96,100 (कुल : ₹ 3,24,14,100)।

वसूल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार समाहर्ता के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 19.69 लाख⁵ की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद अपर समाहर्ता, मोतीहारी ने कहा (जुलाई 2015) कि शेष राशि की वसूली भारतीय स्टेट बैंक से की जाएगी। इस संबंध में आगे की कार्रवाई प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2015)।

5.4.4 पेट्रोल पंप के लीज

लोक कार्य विभाग के सभी अधीक्षण/कार्यपालक अभियंताओं को निर्गत लोक कार्य विभाग के मुख्य अभियंता के अनुदेश (मई 1956) के अनुसार सड़क के किनारे की भूमि को पेट्रोल पंप के पहुँच पथ हेतु पाँच वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से लीज पर दिया जाना है तथा प्रत्येक बंदोवस्ती पाँच वर्षों के लिए की जायेगी एवं प्रत्येक बंदोवस्ती अथवा नवीकरण हेतु कुल भूमि के बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत की दर पर सलामी प्रभारित किया जाना है। इसके अलावे बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के दर पर वार्षिक ग्राउंड रेन्ट भी प्रभारित होगा, जिसे समाहर्ता के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

5.4.4.1 पेट्रोल पंप हेतु सड़क के किनारे सरकारी भूमि के लीज का नवीकरण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना

कार्यपालक अभियंता 15(10+5) पेट्रोल पंप के लीज का नवीकरण नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप ₹ 2.23 (1.75+0.48) करोड़ सलामी एवं लगान की वसूली नहीं हुई।

- पथ निर्माण विभाग के दो प्रमंडलों (मुजफ्फरपुर-1 तथा मुजफ्फरपुर-2) में संधारित पेट्रोल पंप के लीज से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 61.99 डिसमल भूमि से सन्निहित पेट्रोल पंप के दस लीज वर्ष 2010-11 तथा 2014-15 के बीच नवीकरण हेतु लंबित थे, लेकिन प्रमंडलों के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा इनका नवीकरण नहीं किया जा सका था, जबकि इस प्रकार के लीज प्रत्येक पाँच वर्ष पर नवीकरण हेतु लंबित हो जाते थे। इसके फलस्वरूप ₹ 1.75 करोड़ के सलामी तथा लगान की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान कहा (सितम्बर 2015) कि पथ निर्माण विभाग के साथ परामर्श के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, पटना पश्चिम के कार्यालय में संधारित पेट्रोल पंप के संचिकाओं की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 42.17 डिसमल भूमि के पाँच पेट्रोल पंप के लीज वर्ष 2007 एवं 2010 के बीच पाँच वर्षों के बजाए 15 वर्षों के लिए किए गए थे, जो मुख्य अभियंता के उपरोक्त अनुदेश की अवहेलना थी। इन पेट्रोल पंपों का नवीकरण जुलाई 2012 एवं मार्च 2015 के बीच लंबित था। इसके फलस्वरूप ₹ 47.66 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान कहा (सितम्बर 2015) कि पथ निर्माण विभाग के साथ परामर्श के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

⁵ संगणना : दर में अंतर - ₹ 1,96,500 - ₹ 1,59,000 = ₹ 37,500 x 50 डिसमल = ₹ 18,75,000; लगान - ₹ 18,75,000 का पाँच प्रतिशत = ₹ 93,750, कुल-₹ 19,68,750 ।

5.4.4.2 भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण सलामी तथा लगान का कम आरोपण

कार्यपालक अभियंता ने पेट्रोल पंप के 35 लीज के कार्यान्वयन में भूमि के व्यवसायिक प्रकृति के आधार पर भूमि का मूल्य संगणित नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 2.17 करोड़ के सलामी एवं लगान की कम वसूली हुई।

पथ निर्माण विभाग के तीन प्रमंडलों (पटना पश्चिम, मोतीहारी एवं मुजफ्फरपुर -2) में संधारित पेट्रोल पंप के लीज से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि 369.826 डिसमल भूमि क्षेत्र से सन्निहित पेट्रोल पंप के 35 लीज के कार्यान्वयन में व्यवसायिक के बदले गैर-व्यवसायिक श्रेणी के रूप में भूमि के बाजार मूल्य पर सलामी तथा लगान का आरोपण किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 2.17 करोड़ के सलामी एवं लगान की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान कहा (सितम्बर 2015) कि पथ निर्माण विभाग के साथ परामर्श के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

5.4.4.3 पेट्रोल पंप के लीज के अभिलेखों का संधारण नहीं/अनुचित संधारण किया जाना

पथ निर्माण विभाग के चार प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं ने 115 पेट्रोल पंप के लीज के अभिलेखों का संधारण नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप इन परिचालित पेट्रोल पंपों से राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

चार जिलों⁶ में पेट्रोल पंप हेतु सड़क के किनारे की भूमि के लीज से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि पथ निर्माण विभाग के चार प्रमंडलों⁷ के क्षेत्राधिकार में सड़क के किनारे 115 पेट्रोल पंप, संबंधित प्रमंडलों में पेट्रोल पंप के लीज हेतु उचित लीज संचिका तथा समेकित पंजियों के बगैर परिचालित थे। हालाँकि संबंधित प्रमंडल अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित वर्तमान पेट्रोल पंपों की मात्र एक सूची मुहैया करा सकी, जिसके लिए सर्वेक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के दौरान तैयार किया गया था। अभिलेखों के उचित संधारण के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्या इन पेट्रोल पंपों का लीज हुआ था अथवा ये सरकार को कोई राजस्व का भुगतान किए बगैर ही परिचालन में थे।

पुनः हमने पाया कि दो जिलों (दरभंगा एवं गया) में किसी भी पेट्रोल पंप के परिचालन का कोई भी अभिलेख, संबंधित पथ निर्माण प्रमंडलों में संधारित नहीं था, जबकि इन दोनों प्रमंडलों के क्षेत्राधिकार में 511.14 कि.मी. पथ पड़ते थे।

इस प्रकार पेट्रोल पंपों के लीज का समय पर कार्यान्वयन तथा उनके नवीकरण हेतु पथ निर्माण विभाग में कोई भी अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान नहीं था।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान कहा (सितम्बर 2015) कि पथ निर्माण विभाग के साथ परामर्श के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

5.4.5 निष्कर्ष

- उन मामलों में जहाँ वर्तमान लीज के शर्तों एवं बंधेजों की अवहेलना की गई थी, नई लीज का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण सलामी तथा लगान के रूप में सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई थी।

⁶ पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा पश्चिमी चम्पारण।

⁷ पथ निर्माण प्रमंडल – बेतिया, हाजीपुर, मोतीहारी तथा मुजफ्फरपुर संख्या – 1

- अनुश्रवण प्रणाली के अभाव के कारण पेट्रोल पंप मालिकों के साथ सरकारी भूमि के लीज के नवीकरण में विलम्ब हुआ था, जिसके फलस्वरूप सलामी तथा लगान के रूप में सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

5.5 स्थापना प्रभार का संग्रहण कम/नहीं किया जाना

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अधियाची निकाय/विभागों के लिए भू-अधिग्रहण हेतु ₹ 97.15 करोड़ के स्थापना प्रभार की वसूली को सुनिश्चित नहीं किया।

हमने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में 31 परियोजनाओं, जिसके लिए भूमि (रैयती/सरकारी) अधिग्रहित की गई थी, में से छः परियोजनाओं (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, बाढ़ के लिए एक परियोजना, नेशनल हाइवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया हेतु तीन परियोजनाएँ, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के लिए एक परियोजना तथा उद्योग विभाग, बिहार सरकार के लिए एक परियोजना) से संबंधित वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के परियोजना संचिकाओं/अभिलेखों की संवीक्षा (मई एवं जून 2014 के बीच) की तथा पाया कि वर्ष 2001-02 से 2012-13 के लिए स्थापना प्रभार के रूप में ₹ 102.83 करोड़ का आरोपण तथा संग्रहण किया जाना था, जैसा कि बिहार भू-अर्जन मैनुअल के नियम 139 एवं विभागीय आदेशों में प्रावधान था, जो प्रावधान करता है कि निकाय/सरकार के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि हेतु मुआवजा की विहित सीमा पर अधिग्रहण प्रक्रिया के शुरू होने से पहले अधियाची निकाय/विभाग पर स्थापना प्रभार⁸ का आरोपण तथा संग्रहण किया जाना है। परन्तु हमने पाया कि मात्र ₹ 5.68 करोड़ ही कोषागार में जमा किये गये थे। छः में से पाँच परियोजनाओं में स्थापना प्रभार की कोई वसूली नहीं की जा सकी थी तथा एक मामले में स्थापना प्रभार का कम संग्रहण हुआ था। पुनः परियोजना-वार स्थापना प्रभार न तो लेखापित किये गये थे और न जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा उनकी वसूली सुनिश्चित की जा सकी थी। इस चूक के फलस्वरूप ₹ 97.15 करोड़ के स्थापना प्रभार की वसूली नहीं/कम हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना ने जुलाई 2014 में कहा कि स्थापना प्रभार के वसूलनीय राशि का परियोजना-वार लेखे को लेखापित किया जा रहा है और उसके बाद कोषागार में उनके प्रेषण हेतु उचित कार्रवाई की जायेगी। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना ने पुनः जून 2015 में सूचित किया कि ₹ 10.76 करोड़ की राशि की वसूली कर कोषागार में प्रेषित कर दी गई है। राशि की शेष वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2015)।

मामला सरकार/विभाग को सितम्बर 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

5.6 पंचाट की घोषणा में विलम्ब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान

पंचाट की घोषणा में विलम्ब के कारण उद्योग विभाग को रैयती भूमि के पंचाटी को ₹ 14.61 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

हमने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय के वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के भू-अधिग्रहण के परियोजना संचिकाओं/अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2014) की तथा पाया कि एक मेगा इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना हेतु वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के बीच उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु

⁸ 15 मई 2006 से पहले पाँच प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की दर पर तथा उसके बाद 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत की दर पर।

तीन मामलों में कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन अंतिम मुआवजा दखल लेने के तीन से पाँच वर्षों के विलम्ब से भुगतान किया गया था। तदोपरान्त, उद्योग विभाग को ₹ 14.61 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ा, जैसा कि भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-55 के तहत निर्गत सांविधिक नियमावली के नियम-122 के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा-34 में प्रावधान है, जो यह उपबंधित करता है कि अगर मुआवजा की राशि का भुगतान या जमा, भूमि के दखल लेने से पूर्व नहीं किया जाता है, तब समाहर्ता दखल लेने से लेकर राशि के भुगतान अथवा जमा करने के समय तक नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर ब्याज के साथ घोषित राशि का भुगतान करेंगे, बशर्ते कि कब्जा लेने की तिथि से एक साल के अंदर मुआवजा या इसके किसी भाग का भुगतान अथवा जमा न किया गया हो, तब मुआवजा की राशि अथवा उसका कोई भाग जिसका अंतिम तिथि से पहले भुगतान अथवा जमा नहीं किया गया हो, पर उपरोक्त एक वर्ष की समाप्ति तिथि से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर ब्याज भुगतेय होगा।

इस प्रकार पंचाट के विलम्ब से घोषित किए जाने के कारण उद्योग विभाग को रैयती भूमि के पंचाटी को ₹ 14.61 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

इसे इंगित किए जाने के बाद जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना ने जून 2015 में कहा कि भूमि एवं उस पर निर्माणों के मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्राप्ति में विलम्ब तथा अन्य प्रक्रियाओं में विलम्ब के कारण प्राक्कलन की स्वीकृति में देरी हुई।

मामला सरकार/विभाग को अक्टूबर 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं। (अक्टूबर 2015)

5.7 आकस्मिक प्रभार की अधिक वसूली

सरकारी संकल्प के प्रावधान के उल्लंघन में ₹ 82.56 लाख के आकस्मिक प्रभारों का अधिक संग्रहण किया गया।

हमने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में कुल 31 परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं की भूमि की लागत का प्राक्कलन एवं संबंधित संचिकाओं की संवीक्षा (जून 2014) की तथा पाया कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु अधियाची प्राधिकारों से ₹ 90.55 लाख का आकस्मिक प्रभार वर्ष 2001-02 एवं 2012-13 की अवधि के दौरान भू-अर्जन प्राधिकारी ने संग्रहण किया था। परियोजनाओं की भूमि का प्राक्कलन मौजा-वार तैयार किये गए थे तथा तदनुसार आकस्मिक प्रभार का आरोपण किया गया था। हालाँकि इन चार परियोजनाओं में प्रति परियोजना ₹ 2 लाख की दर पर ₹ 8 लाख का आकस्मिक प्रभार लिया जाना था। इस प्रकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने ₹ 82.56 लाख के आकस्मिक प्रभार का अधिक संग्रहण किया, जो सरकारी संकल्प के प्रावधान की अवहेलना थी, जो यह उपबंधित करता है कि अधियाची प्राधिकारी, परियोजना के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि के प्राक्कलित मूल्य पर 0.5 प्रतिशत की दर से, अधिकतम ₹ 2 लाख तक, आकस्मिक प्रभार का भुगतान करेंगे।

इसे इंगित किए जाने के बाद जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना ने जून 2015 में कहा कि संकल्प संख्या 747 दिनांक 13 मई 2008 के आलोक में आकस्मिक प्रभार का संग्रहण मौजा-वार किया गया है। जवाब सही नहीं है क्योंकि उसमें मौजा-वार आकस्मिक प्रभार संग्रहित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

मामला सरकार/विभाग को सितम्बर 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

ख: मुद्रांक एवं निबंधन फीस

5.8 प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरुद्ध रहना

सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 1.47 करोड़ का सरकारी राजस्व अवरुद्ध हुआ।

छ: निबंधन प्राधिकारियों⁹ (जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों की पंजी की मार्च एवं नवम्बर 2014 के बीच संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47 (क) के तहत वर्ष 2008 से 2015 के लिए अप्रैल 2008 एवं जूलाई 2014 के बीच की अवधि के दौरान 428 मामले, संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु, सहायक निबंधन महानिरीक्षक को प्रेषित किए गए थे। इसमें से 250 मामले निष्पादित कर दिए गए थे एवं शेष 178 मामले, जिसका मूल्य ₹ 1.47 करोड़ था, निपटारा हेतु अभी तक लंबित थे, जबकि निबंधन विभाग, बिहार सरकार के आयुक्त-सह-सचिव एवं महानिरीक्षक के निर्देश (मई 2006) के अनुसार इनका निपटारा 90 दिनों के अंदर किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 1.47 करोड़ का सरकारी राजस्व अवरुद्ध पड़ा रहा।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में कहा कि पाँच निबंधक प्राधिकारियों (बेगुसराय, दरभंगा, मधुबनी, लालगंज एवं मुंगेर) के मामले में 178 में से 90 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है तथा तीन निबंधक प्राधिकारियों (दरभंगा, मधुबनी एवं लालगंज) के 29 मामलों में ₹ 6.70 लाख की वसूली की गई थी तथा शेष मामलों में संबंधित सहायक महानिरीक्षक को जल्द से जल्द लंबित मामलों का निपटारा किए जाने हेतु आग्रह किया गया था।

5.9 निष्पादित प्रेषित मामलों से सरकारी राजस्व की वसूली नहीं होना

कमी मुद्रांक शुल्क की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के मामले में निलामवाद की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 73.97 लाख की सरकारी राशि की वसूली नहीं हुई।

जिला अवर निबंधक, बेगुसराय द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों की पंजी की मई 2014 में संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (क) के तहत संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु 688 मामले सहायक महानिरीक्षक को प्रेषित किए गए थे, तथा सहायक महानिरीक्षक ने इन मामलों में कमी मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 73.97 लाख की राशि निर्धारित की। हालाँकि जिला अवर निबंधक ने न तो कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली की और न ही मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 73.97 लाख की सरकारी राशि की वसूली हेतु संबंधित पक्षों के विरुद्ध निलामवाद दायर किया, जैसा कि सरकार ने निदेशित (जनवरी 2007) किया था। वसूली नहीं किया जाना उपरोक्त अधिनियम की धारा 48 की अवहेलना थी, जो यह उपबंधित करता है कि सभी मुद्रांक शुल्क, अर्थदण्ड, जिनका भुगतान किया जाना अपेक्षित है, की वसूली कुर्की से तथा उस व्यक्ति की चल सम्पत्ति की बिक्री से, जिस पर यह बकाया है अथवा उस समय भू-राजस्व के बकाये की वसूली हेतु लागू किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है।

⁹ जिला अवर निबंधक, बेगुसराय, अवर निबंधक, बेलसंड (सीतामढ़ी), जिला अवर निबंधक, दरभंगा, जिला अवर निबंधक, मधुबनी, अवर निबंधक लालगंज (वैशाली) एवं जिला अवर निबंधक, मुंगेर।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में कहा कि 103 मामलों में ₹ 17.69 लाख कि राशि की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2015)।

5.10 मोबाईल कंपनियों तथा भू-स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जाना

मोबाईल कंपनियों तथा भू-स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान की जाँच नहीं किए जाने के कारण ₹ 6.33 लाख का मुद्रांक शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

छ: जिला अवर निबंधकों¹⁰ के अभिलेखों एवं संबंधित नगर निगम/परिषद् के कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की संवीक्षा के दौरान हमने मार्च एवं सितम्बर 2014 के बीच पाया कि वर्ष 2010 एवं 2013 के बीच मोबाईल टावरों के अधिस्थापन हेतु मोबाईल कम्पनियों एवं भू-स्वामियों के बीच कुल 49 एकरारनामा 15 से 21 वर्षों की लीज अवधि के लिए किया गया था। चूँकि एकरारनामा एक से अधिक वर्ष के लीज अवधि के लिए किया गया था, अतः ये एकरारनामों लीज दस्तावेज की श्रेणी में आते थे और इन पर मुद्रांक शुल्क लगाया जाना अपेक्षित था। परन्तु हमलोगों ने पाया कि विभाग सरकारी राजस्व की वसूली हेतु मोबाईल टावर की अधिस्थापना के एकरारनामों पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान को जाँचने हेतु विभाग के सचिव के निदेश (सितम्बर 2012) तथा संबंधित समाहर्ता के अनुदेश के बावजूद संबंधित जिला अवर निबंधक किसी भी मामले में लोक कार्यालयों की जाँच नहीं किए। संबंधित जिला अवर निबंधकों के इस चूक के फलस्वरूप ₹ 6.33 लाख¹¹ के मुद्रांक शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में कहा कि उपरोक्त जिलों में निरीक्षण पदाधिकारियों को नामित कर दिया गया है तथा जल्द ही निरीक्षण कर ली जाएगी। हालाँकि वस्तुस्थिति यह है कि लोक कार्यालयों में लीज एकरारनामों पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान की जाँच नहीं किए जाने के कारण मुद्रांक शुल्क का आरोपण नहीं किया जा सका।

5.11 भूमि के प्रकार का गलत वर्गीकरण

भूमि के प्रकार का गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 11.41 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

जिला अवर निबंधक, पटना के कार्यालय में प्रेषित मामलों तथा सहायक अवर निबंधक, पटना द्वारा निष्पादित मामलों की पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने नवम्बर 2014 में पाया कि जिला अवर निबंधक, पटना ने ₹ 2.73 करोड़ मूल्य के भूमि पर "आवासीय-शाखा-पथ" पर लागू दर पर ₹ 27.35 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस आरोपित करते हुये भूमि के अवमूल्यांकन के तीन मामले भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने हेतु सहायक महानिरीक्षक को प्रेषित (मई 2007) किये। सहायक महानिरीक्षक, पटना ने मामलों का निष्पादन (सितम्बर 2012) किया तथा स्थल निरीक्षण एवं भूमि के वास्तविक वर्गीकरण को सुनिश्चित किये बगैर ही जिला अवर निबंधक द्वारा अनुशंसित कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली का निर्णय लिया।

¹⁰ औरंगाबाद, बेगुसराय, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी एवं सहरसा।

¹¹ दस वर्षों से अधिक की अवधि के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 15 प्रतिशत तथा दस वर्षों तक की अवधि के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य के पाँच प्रतिशत के दर पर।

पुनः हमने पाया कि भूमि के ये सभी प्लॉट पटना नगर निगम के अधिसूचित क्षेत्रों में अवस्थित थे तथा पटना नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के अनुसार 305 डिसमल के सात प्लॉट 'वाणिज्यिक उद्देश्य के मुख्य सड़क' पर अवस्थित थे, जबकि 183 डिसमल के तीन प्लॉट 'मुख्य सड़क पर आवासीय प्रकृति' के थे। अगर मामलों का निष्पादन भूमि के वास्तविक वर्गीकरण पर किया जाता, तब भूमि का बाजार मूल्य ₹ 3.88 करोड़ तथा आरोप्य मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस ₹ 38.76 लाख होता। इस प्रकार भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 11.41 लाख के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में कहा कि विलेखों के निबंधन के समय वर्ष 2007 में भूमि की प्रकृति आवासीय-शाखा सड़क थी। हालाँकि पटना नगर निगम द्वारा प्रस्तुत सूचना (अक्टूबर 2010) के अनुसार उपरोक्त सभी प्लॉट वर्ष 2007 में आवासीय-मुख्य सड़क पर अवस्थित थे। इस प्रकार, वस्तुस्थिति यह है कि भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 11.41 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

5.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा दी गई सूचना (जुलाई 2015) के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 16 तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग से दो अधियाचनाएँ आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त हुए थे तथा सभी मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी। वित्त विभाग ने पुनः कहा कि क्रमशः 170 एवं 12 कंडिकाओं से सन्निहित निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत कर दी गई थी एवं बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु पत्र/स्मार निर्गत किये गये थे तथा बैठकें भी आयोजित की जा रही थी।

अध्याय-VI
कर भिन्न प्राप्तियाँ

अध्याय—VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग

6.1 कर प्रशासन

खनिजों का खनन, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 एवं खनिज रियायत नियमावली, 1960 द्वारा शासित होता है। खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, सरकार स्तर पर, आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित है। विभाग के प्रधान, खान निदेशक होते हैं जिनकी सहायता में एक खान अपर निदेशक और तीन खान उप निदेशक मुख्यालय में होते हैं। पुनः, प्रमंडलीय कार्यालयों में नौ खान उप निदेशक और 14 जिला खनन कार्यालयों में खान सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी जिला स्तर पर स्वतंत्र प्रभार में रहते हैं, जबकि 24 जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी खान निरीक्षक होते हैं जो संबंधित जिले में समाहर्ता के अधीनस्थ होते हैं एवं रॉयल्टी तथा अन्य खनन बकायों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु उत्तरदायी होते हैं।

बिहार राज्य में लघु खनिजों जैसे बालू, पत्थर एवं मिट्टी तथा कुछ वृहत् खनिजों जैसे चूना पत्थर, अभ्रख तथा सिलिका इत्यादि हैं। बिहार में खान एवं खनिजों से प्राप्तियों में रॉयल्टी, नियत लगान, भूतल लगान, पट्टा/अनुज्ञा पत्र/पूर्वपेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन शुल्क, पूर्व सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, अर्थदण्ड, बकाये आदि का विलम्ब से भुगतान हेतु जुर्माना तथा ब्याज शामिल है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से प्राप्तियों से संबंधित 48 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 35 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने ₹ 184.30 करोड़ से सन्निहित 346 मामलों में राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाई, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि तालिका 6.1 में वर्णित है:

तालिका-6.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरुद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	46	89.57
2.	रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	25	7.28
3.	ईट भट्टा मालिकों से रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम किया जाना	23	11.05
4.	बालू घाटों की बन्दोवस्ती की अधिसूचना में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	9	14.70
5.	पत्थर खदानों/बालू घाट के बन्दोवस्तधारियों से रॉयल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं किया जाना	16	1.87
6.	निबंधन फीस की वसूली नहीं किया जाना	17	7.09
7.	पत्थर/बालू के अधिक प्रेषण पर रॉयल्टी की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	19	17.54
8.	बालू घाट के बन्दोवस्ती हेतु डीड का कार्यान्वयन नहीं किया जाना	9	8.92
9.	साधारण मिट्टी के अवैध निष्कासन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	26	16.69
10.	अन्य मामले	156	9.59
कुल		346	184.30

अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान विभाग ने 50 मामलों में सन्निहित ₹ 16.93 करोड़ के राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 15.50 करोड़ से सन्निहित 42 मामले वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने एक मामले में ₹ 75.01 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित की, जिसे वर्ष 2014-15 के दौरान इंगित किया गया था।

दृष्टान्तस्वरूप ₹ 60.69 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

6.3 अधिनियमों/नियमावतियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारियों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा लेखापरीक्षा में किए गए नमूना जाँच पर आधारित हैं। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये इन चूकों को लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष इंगित किए गये थे परन्तु ये अनियमितताएँ न केवल निरंतर होती रहीं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक पता नहीं लगा। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

6.4 कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

अन्तर-विभागीय समन्वय के अभाव के फलस्वरूप खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदकों के विरुद्ध ₹ 40.76 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

हमने फरवरी 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच 20 जिला खनन कार्यालयों¹ के राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन एवं जिला कोषागार के अभिलेखों से पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के दौरान कार्य संवेदकों के विपत्र से रॉयल्टी के रूप में ₹ 40.76 करोड़ की राशि की कटौती कर शीर्ष "0853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग" के अन्तर्गत कार्य विभाग द्वारा जमा किया गया था। कार्य विभागों ने कार्य संवेदकों द्वारा व्यवहार किये गये खनिजों की विवरणी, संबंधित जिला खनन कार्यालयों को, जाँच हेतु नहीं भेजा था। बजाए कार्य विभागों ने खनिजों के व्यवहार के विरुद्ध कार्य संवेदकों के विपत्रों से रॉयल्टी की कटौती की, जो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(10) की अवहेलना थी, जो उपबंधित करता है कि कार्य संवेदक सिर्फ पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारियों तथा अधिकृत व्यवसायी से ही खनिजों का क्रय करेंगे तथा कार्य संवेदकों द्वारा कार्य को पूरा करने में व्यवहृत खनिजों की लागत हेतु जो विपत्र जमा करेंगे, उसे कार्य विभाग तब तक स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक वह विहित प्रपत्र 'एम' तथा "एन", जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। यह इस संभावना की ओर इंगित करता है कि खनिज अनुज्ञप्तिधारी/अधिकृत व्यवसायी से क्रय नहीं किया गया है। पुनः खनन पदाधिकारी, कार्य विभागों द्वारा कटौती किये गये रॉयल्टी की राशि प्राप्त होने पर, खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति को रोकने हेतु कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की तथा खनन पदाधिकारियों ने कम से कम ₹ 40.76 करोड़ की रॉयल्टी के समतुल्य न्यूनतम अर्थदण्ड का माँग कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरुद्ध सृजित नहीं किया, जैसाकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के तहत विहित है, जो उपबंधित करता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज बगैर कानूनी प्राधिकार के निष्कासित करेगा, तब राज्य सरकार, इस प्रकार निष्कासित खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज की खपत पहले ही कर दी गई हो, तब वहाँ उसकी कीमत ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है तथा साथ ही उस अवधि के लिये, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना कोई प्राधिकार के भूमि का कब्जा किया गया था, उससे किराया, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा भी मामला हो, की भी वसूली कर सकती है।

इस प्रकार, अन्तर-विभागीय समन्वय के अभाव में कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरुद्ध खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति को रोकने हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

¹ औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमुर, खगड़िया, किशनगंज, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, सारण, सीवान एवं वैशाली।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली का नियम 40(10) स्पष्ट रूप से उपबंधित करता है कि जब कार्य विभाग द्वारा खपत की गई खनिजों हेतु रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया हो, जैसा कि शपथपत्र में दर्शाया गया हो, तब संबंधित खनन पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जैसा कि नियमावली में विहित है। विभाग का उत्तर उपरोक्त नियमावली के नियम 40(10) के अनुरूप नहीं है क्योंकि कार्य संवेदकों ने प्रपत्र 'एम' में शपथपत्र और प्रपत्र 'एन' में खनिजों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था।

हालाँकि विभाग ने पुनः कहा (जुलाई 2015) कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(10) के प्रावधानों के अनुपालन हेतु संबंधित कार्य विभागों को इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दे दिये गये हैं। पुनः जून 2015 में हुये लोक लेखा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रपत्र 'एम' तथा प्रपत्र 'एन' का ऑन-लाईन सत्यापन एवं अन्तर-विभागीय समन्वय स्थापित करने हेतु एक प्रारूप तथा रोड मैप एवं कार्य योजना बनाने के लिये एक समिति गठित कर दी गई है।

6.5 पत्थर के अधिक प्रेषण पर रॉयल्टी की कम वसूली

पट्टेधारियों द्वारा दाखिल मासिक विवरणी के सत्यापन में खनन पदाधिकारियों की निष्क्रियता के फलस्वरूप पत्थर के अधिक प्रेषण हेतु ₹ 1.19 करोड़ के रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

तीन जिला खनन कार्यालयों (बाँका, गया एवं नवादा) में पत्थर खदानों के 138 पट्टों में से 29 संचिकाओं तथा पट्टेधारियों द्वारा दाखिल मासिक विवरणियों की नमूना जाँच में हमने मई एवं सितम्बर 2014 के बीच पाया कि 12 पत्थर खदानों की नीलामी नवम्बर 2007 एवं जुलाई 2009 के बीच ₹ 3.58 करोड़ में की गई थी। पट्टेधारियों ने ₹ 5.83 करोड़ मूल्य के 8.49 लाख घनमीटर खनिज (पत्थर, मोरम एवं डस्ट) नवम्बर 2007 और मार्च 2014 की अवधि के दौरान प्रेषित किये थे, जिसके विरुद्ध उन्होंने मात्र ₹ 4.64 करोड़ का ही भुगतान किया था, जो बन्दोवस्ती के स्वीकृत्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन था, जो उपबंधित करता है कि बन्दोवस्तधारी को डाक राशि के समतुल्य मात्रा से अधिक मात्रा में पत्थर के निष्कासन एवं प्रेषण हेतु अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। पट्टेधारियों द्वारा दाखिल मासिक विवरणी के सत्यापन, जैसाकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26(6) में विहित है, में खनन पदाधिकारियों की निष्क्रियता के फलस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि गया और नवादा के मामलों में आठ पट्टेधारियों से ₹ 95.01 लाख की वसूली कर ली गई है तथा बाँका में पट्टेधारी के विरुद्ध ₹ 7.70 लाख, जिसमें अद्यतन ब्याज की राशि भी शामिल है, हेतु माँग पत्र निर्गत की गई है। हम बाँका के मामले में आगे की कार्रवाई तथा गया जिले के शेष तीन पट्टेधारियों के मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

6.6 पत्थर खदानों के पट्टेधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

पत्थर खदानों के पट्टेधारियों से डाक राशि की वसूली में खनन पदाधिकारियों की निष्क्रियता के फलस्वरूप रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली हुई।

दो जिला खनन कार्यालयों (बांका एवं गया) में 12 पत्थर, खदानों के पट्टों की संचिकाओं के नमूना जाँच में हमने मार्च एवं सितम्बर 2014 के बीच पाया कि आठ पत्थर खदानों की नीलामी अगस्त 2007 एवं मई 2009 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 2.24 करोड़ में की गई थी। बन्दोवस्तधारियों को वार्षिक आधार पर किस्तों का भुगतान करना था, जो जनवरी 2013 तक ₹ 1.75 करोड़ हो गया था, जिसके विरुद्ध बन्दोवस्तधारियों ने फरवरी 2009 एवं मई 2013 के बीच कुल ₹ 1.20 करोड़ ही जमा किये थे, जो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 52(1), (4) एवं (5) के प्रावधानों का उल्लंघन था, जो उपबंधित करता है कि डाक राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर जमा किया जायेगा तथा प्रत्येक किस्त 31 जनवरी से पहले जमा करना होगा। इसके फलस्वरूप ₹ 54.82 लाख के रॉयल्टी की कम वसूली हुई। पुनः रॉयल्टी के विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज भी आरोप्य है, जो उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ₹ 6.84 लाख होती थी। रॉयल्टी की वार्षिक किस्त के कम भुगतान के बावजूद खनन पदाधिकारियों द्वारा बन्दोवस्तधारियों के विरुद्ध पट्टे को रद्द करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि गया जिले के दोनों मामलों में वर्ष 2015-16 में नीलाम-पत्र दायर कर दिया गया है, बाँका जिले के तीन मामलों में जुलाई 2014 एवं जुलाई 2015 के बीच माँग पत्र निर्गत कर दी गई है तथा शेष मामलों में नीलाम-पत्र दायर कर दी जायेगी। इन सभी मामलों में माँगपत्र लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद निर्गत की गई थी। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में आगे की कार्रवाई हेतु प्रतिक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

6.7 बालू घाटों की बन्दोवस्ती पर निबंधन फीस एवं मुद्रांक शुल्क की नहीं/कम वसूली

बालू घाटों के बन्दोवस्तधारियों से ₹ 11.49 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी।

दस जिला खनन कार्यालयों² में बालू घाटों की बन्दोवस्ती संचिकाओं से हमने फरवरी एवं मई 2014 के बीच पाया कि वर्ष 2010 से 2012 के दौरान 14 बालू घाटों की बन्दोवस्ती 19 बन्दोवस्तधारियों के साथ ₹ 277.43 करोड़ में तीन कैलेण्डर वर्षों के लिए अगले लगातार वर्षों के लिये बन्दोवस्ती राशि की 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, की गई थी। बालू घाटों की बन्दोवस्ती तीन वर्षों के लिये की गई थी, परन्तु एकरारनामा प्रत्येक वर्ष किया गया था। एकरारनामा भी तीन वर्षों के लिये किया जाना चाहिये था। अगर एकरारनामा भी तीन वर्षों के लिये किया जाता, तब सरकार को भारतीय निबंधन अधिनियम की धारा 17(1) (डी), जो उपबंधित करता है कि किसी अचल सम्पत्ति के लीज दस्तावेजों का साल-दर-साल अथवा एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिये निबंधन कराना होगा, के प्रावधान के तहत निबंधन फीस के रूप में ₹ 11.10 करोड़ मिल सकता था। इसके अलावे चार बन्दोवस्तधारियों से भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार ₹ 39.00 लाख के मुद्रांक शुल्क की वसूली भी नहीं की गई थी।

² अरवल, बांका, भोजपुर, जमुई, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण एवं वैशाली।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि भारतीय निबंधन अधिनियम के अनुसार एक वर्ष के विलेख का निबंधन ऐच्छिक था। पुनः यह कहा गया कि बालू घाटों की बन्दोवस्ती वार्षिक आधार पर की गई थी तथा तीन प्रतिशत की दर पर मुद्रांक शुल्क की वसूली कर ली गई थी। विभाग का उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि बालू घाटों की बन्दोवस्ती तीन वर्षों के लिये की गई थी। पुनः विभाग के उत्तर की संवीक्षा से हमने पाया कि मुद्रांक शुल्क के भुगतान हेतु खनन पदाधिकारी, बाँका ने एक मामले में ₹ 1.65 लाख के लिये माँग पत्र निर्गत कर दिया था तथा खनन पदाधिकारी, नालन्दा ने एक मामले में ₹ 11.34 लाख के लिये नीलाम-पत्र वाद दायर कर दिया था। इस प्रकार, बन्दोवस्ती की पूर्ण अवधि हेतु एकरारनामों का कार्यान्वयन नहीं किये जाने के कारण सरकार निबंधन फीस के रूप में ₹ 11.10 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

6.8 साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

आवश्यक उत्खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी के निष्कासन हेतु कार्य संवेदकों पर ₹ 6.64 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

आठ जिला खनन कार्यालयों³ में पट्टा संचिका/बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर के अवलोकन से हमने फरवरी एवं सितम्बर 2014 के बीच पाया कि अप्रैल 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान कार्य संवेदकों द्वारा मिट्टी कार्य में खनिज के उपयोग हेतु रॉयल्टी के रूप में ₹ 6.64 करोड़ की कटौती/जमा की गई थी। हमने पुनः पाया कि कार्य संवेदकों, जिन्होंने लघु खनिज का निष्कासन किया था, ने इसके लिये आवश्यक उत्खनन परमिट हेतु आवेदन नहीं दिया था, जो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो उपबंधित करता है कि किसी भी उत्खनन कार्य के लिये अपेक्षित फीस का भुगतान कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः संवेदकों ने मिट्टी का अवैध रूप से निष्कासन किया था, जिसके लिये उपरोक्त नियमावली के नियम 40(8), जो अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड विहित करता है, जिसमें खनिज का मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा भी मामला हो, की वसूली शामिल है उपबंधित करता है, के अनुसार कम से कम ₹ 6.64 करोड़ के रॉयल्टी के समतुल्य न्यूनतम अर्थदण्ड का भुगतान करने हेतु दायी थे। हालाँकि संबंधित खनन पदाधिकारियों ने न तो ₹ 6.64 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(1) के प्रावधान के अनुसार कोई आपराधिक दण्ड प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारंभ की।


इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि साधारण मिट्टी (लघु खनिज) हेतु रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया था तथा कार्य का कार्यान्वयन सरकारी हित में पथों के निर्माण हेतु किया गया था, अतः बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(10) के प्रावधान के तहत अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। विभाग का उत्तर उपरोक्त नियमावली के नियम 40(1) के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, जो उपबंधित करता है कि आवश्यक उत्खनन परमिट लिये बगैर साधारण मिट्टी का खनन अवैध है एवं इस प्रकार उपरोक्त नियमावली के नियम 40(8) के तहत अर्थदण्ड आरोप्य था। पाँच खनन पदाधिकारियों (औरंगाबाद, भागलपुर, जमुई, नालन्दा एवं रोहतास) ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद अर्थदण्ड के भुगतान हेतु माँग पत्र भी निर्गत किया था।

³ औरंगाबाद, भागलपुर, जमुई, नालन्दा, रोहतास, सारण, सीवान एवं वैशाली।

6.9 आंतरिक लेखापरीक्षा


किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग द्वारा दी गई (जुलाई 2015) सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान उसने खान एवं भूतत्व विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

पटना
दिनांक:


(पी० के० सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट- I
(संदर्भ कंडिका: 1.8)
लेखापरीक्षा योजना

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य इकाई की कुल संख्या	योजना किये गये इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा किये गये इकाइयों की संख्या
वाणिज्य-कर	63	40	40+1*
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	51	39	39
राजस्व एवं भूमि सुधार	839	108	97
परिवहन	49	35	35
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	140	39	39+1*
खान एवं भूतत्व	48	35	35
कुल	1190	296	287

* एक न्यून जोखिम इकाई, 'प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण' (वाणिज्य कर विभाग) पर निष्पादन लेखापरीक्षा में तथा एक मध्यम ईकाई (मुद्रांक एवं निबंधन फीस) शिकायत मामला के आधार पर लिया गया था।

परिशिष्ट- II (तालिका-1)
(संदर्भ कंडिका: 2.3.11.1)
व्यवसायी के अभिलेखों से अभिज्ञान में आये बिक्री आवर्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	अवधि	सामग्री दर (प्रतिशत में)	वास्तविक बिक्री	बिक्री लेखापित किया गया	मूल्य जिसका छिपाव किया गया	दर	1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज अर्थदण्ड	कुल	जहाँ पाई गई अंतर
1	भागलपुर	मेसर्स यादव ट्रेडर्स / 10521852095	2012-13	सीमेन्ट और आयरन एवं स्टील 13.5 एवं 5	4857791	117110	4740681	389368	134332 1168104	1691804	वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का आर.टी-III
2	दरभंगा	मेसर्स राघव सिवकोन प्रा0 लि0 / 10384982088	2010-11	आयरन, बालू और सीमेन्ट 4 एवं 12.5	74461042	70467353	3993689	197089	109384 591267	897740	आर.टी-III एवं सी-II और भुगतान प्रमाणपत्र
3	गया	मेसर्स दया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0 / 10200373046	2013-14	पी.एस.सी. स्लीपर 13.5	295442977	272533958	22909019	3092718	603080 9278154	12973952	आर.टी-III एवं लाभ और हानि खाता
		मेसर्स रोहित कन्सट्रक्शन प्रा0-सुनील कुमार सिंह / 10205254021	2012-13	बालू 5	34391000	0	34391000	1719550	644869 5158650	7523069	वी.आर-IV एवं खदान कार्यालय का प्रतिवेदन
		मेसर्स अजय कुमार / 10204807013	2013-14	बालू 5	127861256	0	127861256	2443113	552879 7329339	10325331	रिटर्न विवरण एवं खदान कार्यालय का प्रतिवेदन

4	हाजीपुर	मेसर्स नेहा गुड्स कैरियर/ 10294863048	2011-12	स्टोन चिप्स 5	2571967	0	2571967	128598	50153 385794	564545	विक्रेता व्यवसायी का बिक्री बीजक
		मेसर्स श्री साई बाबा प्लासटो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 / 10294586019	2011-12	फर्निचर 13.5	25227075	23374045	1853030	250159	52533 750477	1053169	आर.टी.-III एवं बैलेंस सीट
		मेसर्स सावित्री देवी ऑटो मोबाईल्स प्रा0 लि0 / 10294918038	2012-13	मोटर वेहिकल्स 13.5	143663510	129617352	14046158	1896231	398208 5688693	7983132	आर.टी.-III एवं टी.ए.आर. -IV
5	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स शशि कुमार सिंह / 10306063082	2012-13	वर्क्स कन्ट्रैक्टर 5	2166704	0	2166704	108335	37375 325005	470715	आर.टी.-I तथा संविदा एवं लाभ-हानि खाता
6	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स आई.एन.डी. स्वीफ्ट लि0 / 10083850047	2012-13	मेडिसिन 5	34527678	30687479	3840199	192010	69123 576030	837163	आर.टी.-III एवं टी.ए.आर. और सी.एस.टी. रिटर्न
7	पटना दक्षिणी	मेसर्स सोनाली इक्युपमेन्ट ऑटो प्रा0 लि0 / 10127392082	2011-12	ऑटो पार्ट्स 5	6742407	5736905	1005502	50275	21869 150825	222969	आर.टी.-III एवं टी.ए.आर.
कुल					751913407	532534202	219379205	10467446	2673805 31402338	44543589	

परिशिष्ट- II (तालिका-2)
(संदर्भ कंडिका: 2.3.11.1)
व्यवसायी के अभिलेखों से अभिज्ञान में आये क्रय आवर्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	सामग्री दर (प्रतिशत में)	वास्तविक खरीद	खरीद लेखापित किया	मूल्य जिसका छिपाव किया गया	दर	1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज अर्थदण्ड	कुल	जहाँ पाई गई अंतर
1	बाढ़	मेसर्स भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग क० लि०/ 10020042092	2013-14	आयरन एवं स्टील 5	298999487	193145766	105853721	5292686	952683 15878058	22123427	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स टी.आर.एफ. लिमिटेड/ 10021567030	2013-14	वर्क्स कन्ट्रैक्टर 5	170081503	154643553	15437950	771897	150520 2315691	3238108	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स पावर मशीन्स इंडिया लि०/ 10020884052	2013-14	वर्क्स कन्ट्रैक्टर 13.5	2588032	0	2588032	349384	68130 1048152	1465666	वीआर-IV एवं सुविधा विवरणी
2	दरभंगा	मेसर्स फैशन सुटिंग प्रा० लि०/ 10384313079	2010-11	होजियरी एवं रेडिमेड 4 तथा 12.5	7906148	815639	7090509	494563	267064 1483689	2245316	आर.टी-III एवं डी-V
3	गया	मेसर्स पोद्दार हुडई/ 10204292040	2013-14	चार पहिया गाड़ी 13.5	92465257	83632561	8832696	1192414	232521 3577242	5002177	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स ए.बी. इंटरप्राइजेज/ 10201387084	2013-14	मोटरसाइकिल 13.5	40605919	37517047	3088872	416998	81315 1250994	1749307	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स नीतीश कोल डिपो०/ 10206938094	2013-14	कोल 5	32947658	0	32947658	1647383	321240 4942149	6910772	आर.टी-III एवं रोड परमिट
4	फारबिसगंज	मेसर्स काली ट्रेडर्स/ 10441564031	2012-13	हार्डवेयर 13.5	3363269	1417345	1945924	262700	82750 788100	1133550	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
5	हाजीपुर	मेसर्स सावित्री देवी ऑटोमोबाईल लि०/ 10294918038	2013-14	चार पहिया गाड़ी 13.5	83808681	78100579	5708102	770593	161824 2311779	3244196	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी

		मेसर्स स्नेहा ऑटोमोबाइल / 10290904019	2013-14	ओटोमोबाइल एवं एक्सेसरिज 13.5	15704288	15099263	605025	81678	17152 245034	343864	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स सुनील टयूब्स / 10290185055	2013-14	पाईप 5	200737534	197276739	3460795	173040	35041 519120	727201	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
6	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स हिन्दुस्तान टायर्स कम्पनी / 10300786088	2012-13	टायर 13.5	4532239	2457844	2074395	280043	92414 840129	1212586	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा0 लि0 / 10305416092	2011-12	बिस्कुट 13.5	284153599	276503247	7650352	1032797	364061 3098391	4495249	आर.टी-III एवं टी.ए.आर
7	पाटलीपुत्र	मेसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बिक्वेरेजेज प्रा0 लि0 / 10050081052	2012-13	बिक्वेरेजेज 13.5	407735400	308127513	99607887	13447065	3832413 40341195	57620673	आर.टी-III टी.ए.आर एवं ट्रेडिंग एकाउन्ट
8	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स जय राम प्लायवुड प्रा0 लि0 / 10060316007	2012-13	प्लायवुड 5	9754477	6989935	2764542	138227	44578 414681	597486	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स बजरंग शॉ इन्डस्ट्रीज / 10060401076	2012-13	प्लायवुड 5	10388066	8406182	1981884	99094	31958 297282	428334	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
9	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स रेडीगटन इंडिया लि0 / 10080788051	2011-12	कम्प्यूटर एवं स्पेयर्स 5	814679130	787857729	26821401	1341070	402321 4023210	5766601	आर.टी-III टी.ए.आर एवं ट्रेडिंग एकाउन्ट
			2012-13		1601899516	1452910184	148989332	7449466	2402452 22348398	32200316	आर.टी-III, ट्रेडिंग एकाउन्ट एवं कंज्पशन स्टेटमेंट ऑफ रोड परमिट (सुविधा विवरणी)
		मेसर्स फुजी फिल्मस इंडिया लि0 / 10083370002	2012-13	मेडिकल इक्यूपमेंट एवं फोटोग्राफिक 5 एवं 13.5	99645669	97742275	1903394	104051	32776 312153	448980	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
10	पटना विशेष	मेसर्स पुंज लॉयड लि0 / 10010945002	2010-11	वर्क्स कन्ट्रैक्टर 12.5	327938859	0	327938859	40992357	21520987 122977071	185490415	आर.टी-III एवं टी.ए.आर

11	पूर्णियाँ	मेसर्स उषा मोटर्स / 10493659020	2013-14	मोटरसाइकिल 13.5	426685303	416899923	9785380	1321026	<u>237785</u> 3963078	5521889	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स श्री लखी मेटलस एंड स्टीलस प्रा0 लि0 / 10494474057	2013-14	आयरन एवं स्टील 5	248559033	235445136	13113897	655695	<u>137695</u> 1967085	2760475	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स जाकिर हुसैन / 10496999030	2013-14	स्टोन चिप्स 13.5	23146130	19172150	3973980	536487	<u>112662</u> 1609461	2258610	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
		मेसर्स राहुल ट्रेड विंग प्रा0 लि0 / 10495160091	2013-14	आयरन एवं स्टील 5	484877245	481278064	3599181	179959	<u>37791</u> 539877	757627	आर.टी-III एवं सुविधा विवरणी
कुल					5693202442	4855438674	837763768	79030673	<u>31620133</u> 237092019	347742825	

सार

(राशि ₹ में)

तालिका	शीर्ष	वास्तविक बिक्री / खरीद	बिक्री / खरीद लेखापित किया गया	छिपाया गया मूल्य	कम आरोपण			
					दर	ब्याज	अर्थदण्ड	कुल
1	बिक्री का छिपाव	751913407	532534202	219379205	10467446	2673805	31402338	44543589
2	क्रय का छिपाव	5693202442	4855438674	837763768	79030673	31620133	237092019	347742825
कुल		6445115849	5387972876	1057142973	89498119	34293938	268494357	392286414

परिशिष्ट- III (तालिका-1)

(संदर्भ कंडिका: 2.3.11.2)

क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच से बिक्री आवर्त में छिपाव का पाया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	वास्तविक बिक्री लेखापित बिक्री	छिपाव	कर	अर्थदण्ड	ब्याज	कुल	अभियुक्ति
1	बाढ़	मेसर्स आर.ए. ट्रेडिंग/ 10021721002	2011-12	<u>7266032</u> शून्य	7266032	363302	1089906	136238	1589446	एक व्यवसायी द्वारा दर्शाया गया क्रय राशि का राज्य में निबंधित दूसरे व्यवसायी द्वारा दर्शायी गई विक्रय राशि के साथ तिर्यक जाँच।
			2012-13	<u>6663882</u> शून्य	6663882	333194	999582	64974	1397750	
		मेसर्स जय माँ दुर्गा ट्रेडिंग/ 10020734090	2013-14	<u>8843584</u> शून्य	8843584	442179	1326537	86225	1854941	
2	बेगुसराय	मेसर्स फिनिक्स इंजीकॉन/ 10365632014	2013-14	<u>4388100</u> शून्य	4388100	219405	658215	44430	922050	
		मेसर्स लॉगटेल टेक्नोलाजी प्रा0 लि0/ 10364767039	2013-14	<u>81327938</u> 63164690	18163248	908162	2724486	183903	3816551	
3	फारबिसगंज	मेसर्स जय माता दी कन्सट्रक्शन/ 10440618087	2011-12	<u>5824652</u> शून्य	5824652	291233	873699	148528	1313460	
			2012-13	<u>9086758</u> शून्य	9086758	454338	1363014	149931	1967283	
4	हाजीपुर	मेसर्स एक्सल पेपर पैकेजिंग प्रा0 लि0/ 10294843034	2013-14	<u>27050771</u> 24321567	2729204	136460	409380	26610	572450	
5	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स पारले बिस्कुट्स प्रा0 लि0/ 10305416092	2011-12	<u>34105489</u> शून्य	34105489	4604241	13812723	1622995	20039959	
6	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स वैष्णवी कन्सट्रक्शन/ 10083752056	2012-13	<u>5311491</u> शून्य	5311491	265575	796725	83656	1145956	

7	पाटलीपुत्र	मेसर्स नोकिया इंडिया लि० / 10050394071	2011-12	<u>937652197</u> 915433831	22218366	1110918	3332754	366603	4810275	
		मेसर्स बी.एस.एफ.सी. लि० / 10050353040	2012-13	<u>19830697315</u> 622674517	19208022798	768320912	2304962736	213209059	3286492707	
8	पटना विशेष	मेसर्स रूची सोया इंडस्ट्रीज लि० / 10010463051	2012-13	<u>313719101</u> 289692184	24026917	1201346	3604038	378423	5183807	
		मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लि० / 10010466058	2012-13	<u>839012642</u> 825012622	14000020	700001	2100003	231000	3031004	
कुल				<u>22110949952</u> 2740299411	19370650541	779351266	2338053798	216732575	3334137639	

परिशिष्ट- III (तालिका-2)

(संदर्भ कंडिका: 2.3.11.2)

क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच से क्रय आवर्त में छिपाव का पाया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	वास्तविक विक्री लेखापित विक्री	छिपाव	कर	अर्थदण्ड	ब्याज	कुल	अभियुक्ति
1	दरभंगा	मेसर्स अमित जेनरल स्टोर्स / 10386463004	2012-13	5059979 1158205	3901774	337698	1013094	111440	1462232	आर.टी-I, बाक्स-सी एवं टी.ए.आर
		मेसर्स दूरदर्शन / 10380298055	2012-13	4700666 शून्य	4700666	634590	1903770	209414	2747774	दो व्यवसायियों का टी.ए. आर के विक्रय/क्रय की राशि
		मेसर्स मालती सिंह / 10385526064	2012-13	12915989 शून्य	12915989	1743658	5230974	575407	7550039	वी.आर-IV एवं टी.ए.आर
		मेसर्स पी एंड पी इंटरप्राइजेज / 10385316059	2012-13	10096254 4163856	5932398	296620	889860	97884	1284364	आर.टी-I, बाक्स-सी एवं टी.ए.आर
2	मधुबनी	मेसर्स गोविंद झा / 10413942092	2011-12	6875332 शून्य	6875332	343767	1031301	177899	1552967	आर.टी-I एवं टी.ए.आर
		मेसर्स शिव ट्रेडर्स / 10410299088	2012-13	25905868 22739081	3166787	158339	475017	54627	687983	आर.टी-III एवं टी.ए.आर
		मेसर्स श्री बिनय प्रसाद / 10410453027	2012-13	4386799 शून्य	4386799	219340	658020	75672	953032	दो व्यवसायियों का टी.ए. आर के विक्रय/क्रय की राशि
		मेसर्स सत्या देव कन्सट्रक्शन / 10415126009	2012-13	3121280 393690	2727590	136379	409137	47051	592567	आर.टी-III एवं टी.ए.आर
		मेसर्स जय माता दी स्टील / 10410361071	2012-13	32484197 15906285	16577912	828895	2486685	285969	3601549	दो व्यवसायियों का टी.ए. आर के विक्रय/क्रय की राशि
3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स तिरहुत ऑटोमोबाइल्स / 10300047045	2010-11	55774584 50984389	4790195	598774	1796322	323337	2718433	कंपनी का विक्रय विवरण एवं आर.टी-III

4	पाटलीपुत्र	मेसर्स बी.एस.एफ.सी. लि० / 10050353040	2011-12	17950655513 1176713587	16773941926	167739419	503218257	57870099	728827775	आर.टी-III, बाक्स-सी, टी. ए.आर एवं बाक्स-बी
		मेसर्स लान्को इंफ्राटेक लि० / 10050208025	2010-11	22312968 शून्य	22312968	892519	2677557	468572	4038648	आइ.ओ.सी.एल की विक्रय विवरण, आर.टी-III
			2011-12	9545907 शून्य	9545907	477295	1431885	164667	2073847	
मेसर्स गैम्मोन इंडिया लि० / 10050198034	2010-11	397086674 312284717	84801957	3392078	10176234	1780840	15349152	आइ.ओ.सी.एल की विक्रय विवरण, आर.टी-III एवं क्रय विवरण		
5	पूर्णियाँ	मेसर्स चन्द्रा प्रकाश / 10490470073	2010-11	8731288 शून्य	8731288	349251	1047753	193834	1590838	वी.आर.-IV, आर.टी-I, एवं आइ.ओ.सी.एल की विक्रय विवरण
			2011-12	5807442 शून्य	5807442	290372	871116	108895	1270383	
कुल				18555460740 1584343810	16971116930	178438994	535316982	62545607	776301583	

सार

(राशि ₹ में)

तालिका	शीर्ष	वास्तविक बिक्री / खरीद	बिक्री / खरीद लेखापित किया गया	मूल्य जिसका छिपाव किया गया	कम आरोपण			
					दर	ब्याज	अर्थदण्ड	कुल
1	बिक्री का छिपाव	22110949952	2740299411	19370650541	779351266	2338053798	216732575	3334137639
2	क्रय का छिपाव	18555460740	1584343810	16971116930	178438994	535316982	62545607	776301583
कुल		40666410692	4324643221	36341767471	957790260	2873370780	279278182	4110439222

परिशिष्ट- IV
(संदर्भ कंडिका: 2.3.11.3)
अंतर्राज्यीय क्रय के ऑकड़ों की जाँच नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	सामग्री दर (प्रतिशत में)	वास्तविक क्रय	लो खापित क्रय	छिपाव मूल्य	कर	1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज अर्थदण्ड	कुल
1	गया	मेसर्स रामनन्दी ऑटोमाबाईल्स प्रा0 लि0 / 10210058231	2011-12	ऑटो पार्ट्स 5	87178612	28875297	58303315	2915166	1093187 8745498	12753851
2	दरभंगा	मेसर्स विकी मोटर्स/ 10386389088	2011-12	मोटरसाईकिल एवं एक्सेसरिज 13.5	2475251	1356335	1118916	151054	53246 453162	657462
3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स शाण्डील्या बजाज / 10305090075	2010-11	मोटरसाईकिल 12.5	86859034	83620409	3238625	404828	218607 1214484	1837919
4	हाजीपुर	मेसर्स सरोज कुमार निराला / 10293622056	2010-11	बिटुमिन 4	1880099	0	1880099	75204	55839 225612	356655
कुल					178392996	113852041	64540955	3546252	1420879 10638756	15605887

परिशिष्ट- V
(संदर्भ कंडिका: 2.3.12.1)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/गलत लाभ

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	क्रय मूल्य जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ/अनुमति	वास्तविक हकदारी	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/गलत लाभ	अर्धदण्ड ब्याज	कुल	अनियमितता की प्रकृति
1	बेगुसराय	मेसर्स कनिष्क कार्बन्स प्रा0 लि0/ 10360367077	2012-13	187698443	9653540	9566419	87121	261363 18295	366779	विद्युत सामग्री, कल-पुर्ज तथा लुब्रिकेन्ट इत्यादि पर कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति।
			2013-14	166815430	8547821	8352169	195652	586956 24946	807554	विद्युत सामग्री, कल-पुर्ज तथा लुब्रिकेन्ट इत्यादि पर कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति।
		मेसर्स महावीर पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0/ 10360364070	2013-14	202559639	10115387	10071836	43551	130653 16658	190862	लुब्रिकेन्ट पर कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति।
2	दरभंगा	मेसर्स न्यू पंजीयार मशीनरीज/ 10381358071	2011-12	0	68719	0	68719	206157 24224	299100	पूर्व वर्ष के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगले वर्ष में ले जाकर गलत दावा।
3	गया	मेसर्स ए.पी.आर. ऑटोमोबाइल्स प्रा0 लि0/ 10206644024	2012-13	577784620	78209632	77872122	337510	1012530 126567	1476607	गलत संगणना के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा।
		मेसर्स दया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0/ 10200373046	2012-13	0	4513482	1798084	2715398	8146194 529502	11391094	पूर्व वर्ष के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगले वर्ष में ले जाकर गलत दावा।
			2013-14	0	4658819	2678050	1980769	5942307 386250	8309326	पूर्व वर्ष के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगले वर्ष में ले जाकर गलत दावा।

4	मधुबनी	मेसर्स लेंको इंफ्राटेक लि०/ 10413728038	2011-12	50804386	2593392	2116097	477295	<u>1431885</u> 250580	2159760	दूसरे व्यवसायी के क्रय बीजक पर कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति।
5	पटना मध्य	मेसर्स स्पीडक्राफ्ट लि०/ 10157235040	2012-13	29198245	2359602	2089952	269650	<u>808950</u> 80895	1159495	लुब्रिकेन्ट, विद्युत सामग्री, इत्यादि के क्रय पर अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा।
6	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स मगध इंडस्ट्रीज प्रा० लि०/ 10061073092	2012-13	1237189220	60719366	60099112	620254	<u>1860762</u> 195380	2676396	उपभोज्य वस्तुओं तथा कल-पुर्जों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिया जाना।
7	पटना दक्षिणी	मेसर्स तिरुपति इंटरप्राइजेज/ 10120975054	2012-13	35261703	4759861	1210379	3549482	<u>10648446</u> 1118086	15316014	गलत संगणना के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा।
8	पटना विशेष	मेसर्स आइ.ओ.सी.एल./ 10010116082	2011-12	74944314	3747215	0	3747215	<u>11241645</u> 1236580	16225440	अधिसूची-IV के वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की गई इथनौल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना अनुमत्त नहीं था।
			2012-13	27580053	1379003	0	1379003	<u>4137009</u> 496442	6012454	
		मेसर्स बी.पी.सी.एल./ 10010121029	2011-12	5007256	250362	0	250362	<u>751086</u> 82619	1084067	
		मेसर्स श्री सिमेंट लि०/ 10010949063	2012-13	4870149	272472	0	272472	<u>817416</u> 98090	1187978	
कुल				2599713458	191848673	175854220	15994453	<u>47983359</u> 4685114	68662926	

परिशिष्ट-VI
(संदर्भ कंडिका: 2.3.12.2)

क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच के दौरान अभिज्ञान में आये गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	वास्तविक क्रय/ लेखापित क्रय	दावाकृत अधिक क्रय	अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट	अर्थदण्ड	ब्याज	कुल	अभियुक्ति
1	बाढ़	मेसर्स सिद्धनाथ कंस्ट्रक्शन/ 10020990073	2012-13	शून्य 13298328	13298328	1344027	4032081	262085	5638193	एक व्यवसायी द्वारा दर्शाया गया क्रय राशि का राज्य में निबधित दूसरे व्यवसायी द्वारा दर्शायी गई विक्रय राशि के साथ तिर्यक जाँच।
		मेसर्स विनायक ऑटो/ 10022008038	2013-14	93664304 96220152	2555848	127792	383376	24920	536088	
		मेसर्स नवरंग केमिकल/ 10020267035	2013-14	1601933 4775012	3173079	428366	1285098	83531	1796995	
2	बेगुसराय	मेसर्स उपेन्द्र प्र० सिंह हाई-टेक कंस्ट्र. प्रा० लि० / 10360329053	2013-14	शून्य 3524758	3524758	273276	819828	53289	1146393	
		मेसर्स जे.एम.सी. प्रोजेक्ट्स इंडिया लि० / 10365232025	2013-14	शून्य 25151314	25151314	1920091	5760273	374418	8054782	
		मेसर्स सत्यम ऑटोमोबाइल/ 10360919007	2013-14	595247110 617325310	22078200	2979260	8937780	625645	12542685	
3	दरभंगा	मेसर्स श्री रामचरित्र कंस्ट्रक्शन / 10384571002	2012-13	40549575 41890892	1341317	181078	543234	59755	784067	
		मेसर्स कृष्णा मोटर्स/ 10385155039	2012-13	1172707 2167934	995227	134356	403068	44336	581760	
		मेसर्स राकेश खाद बीज भंडार / 10381135068	2012-13	5839960 10370646	4530686	611642	1834926	201842	2648410	
		मेसर्स अंकुर / 10381221010	2012-13	182186960 189676771	7489811	141249	423747	46612	611608	
		मेसर्स श्री श्याम टायर हाउस/ 10380311053	2012-13	38703932 39734401	1030469	139113	417339	45907	602359	
4	फारबिसगंज	मेसर्स कृष्णा ट्रेडर्स/ 10440447076	2012-13	20774665 24289390	3514725	175736	527208	55356	758300	

		मेसर्स जोया स्टोर्स / 10440840023	2012-13	<u>12397057</u> 15322137	2925080	170115	510345	53586	734046	एक व्यवसायी द्वारा दर्शाया गया क्रय राशि का राज्य में निबंधित दूसरे व्यवसायी द्वारा दर्शायी गई विक्रय राशि के साथ तिर्यक जाँच।
5	गया	मेसर्स ओम भंडार / 10203375002	2013-14	<u>116265802</u> 119758394	3492592	174630	523890	35363	733883	
		मेसर्स विजेता कंस्ट्रक्शन लि० / 10202977011	2012-13	शून्य 15863498	15863498	793175	2379525	303389	3476089	
		मेसर्स विजेता कंस्ट्रक्शन लि० / 10202977011	2013-14	शून्य 16904467	16904467	2282103	6846309	462126	9590538	
		मेसर्स जूनियर दीपू ओटोमोबाईल्स प्रा० लि० / 10209613075	2013-14	शून्य 78937488	78937488	10656581	31969743	2157958	44784282	
6	मधुबनी	मेसर्स सूर्या ऐजेन्सी / 10410449015	2011-12	<u>3069183</u> 4525510	1456327	196604	589812	103217	889633	
		मेसर्स कुमार रेडियो / 10410079092	2012-13	शून्य 7593465	7593465	1025117	3075351	376730	4477198	
7	पाटलीपुत्र	मेसर्स शेन्डोन्ग वाइचेन हुफेन्ग पावर इंडिया प्रा० लि० / 10050821051	2010-11	<u>18694610</u> 24165012	5470402	683800	2051400	358995	3094195	
			2011-12	<u>5447039</u> 6061166	614127	82907	248721	28602	360230	
		मेसर्स ऐरावत एंड डी इंडिया / 10050319090	2012-13	शून्य 4785832	4785832	560801	1682403	164034	2407238	
		मेसर्स जी.ई. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्रा० लि० / 10050709089	2012-13	शून्य 16531360	16531360	949946	2849838	276434	4076218	
		मेसर्स एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स लि० / 10050013055	2010-11	<u>3269142541</u> 3285450604	16308063	655687	1967061	344236	2966984	
			2011-12	<u>931790206</u> 966211229	34421023	888529	2665587	306543	3860659	
		मेसर्स आई.आर.सी.टी.सी. लि० / 10050163017	2012-13	<u>16360210</u> 18996265	2636055	131803	395409	37564	564776	

		हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी / 10050892091	2012-13	शून्य 88511598	88511598	3631180	10893540	1034886	15559606	एक व्यवसायी द्वारा दर्शाया गया क्रय राशि का राज्य में निबंधित दूसरे व्यवसायी द्वारा दर्शायी गई विक्रय राशि के साथ तिर्यक जाँच।
8	पटना मध्य	मेसर्स साईं हाईवे एंड बिल्डर्स प्रा0 लि0 / 10152414015	2012-13	6868720 15996745	9128025	1232283	3696849	369685	5298817	
		मेसर्स अपर्णा हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 / 10150275068	2012-13	शून्य 1317859	1317859	177911	533733	53373	765017	
		मेसर्स भारत इंफ्राकॉन प्रा0 लि0 / 10153489095	201-13	42948627 79961872	37013245	7402649	2220797	2220794	31831390	
9	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स स्वास्तिक ऐजेन्सी / 10060702067	2012-13	33312337 42766574	9454237	472712	1418136	148904	2039752	
10	पटना विशेष	मेसर्स आई.एस.जी.ई.सी. हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड / 10010916069	2012-13	शून्य 9344595	9344595	699383	2098149	251778	3049310	
		मेसर्स तान्तिया कंस्ट्रक्शन / 10010124036	2012-13	शून्य 66089508	66089508	3147119	9441357	1132963	13721439	
		मेसर्स शापूर्जी पाल्लोजी एंड क0 लि0 / 10011191019	2012-13	12426880 25203337	12776457	904129	2712387	305143	3921659	
		मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लि0 / 10010905071	2011-12	199119242 328459837	129340595	5179203	15537609	2641394	23358206	
			2012-13	95895316 163020493	67125177	3285296	9855888	1108787	14249971	
		मेसर्स पुन्ज लॉयड डेल्टा रिन्यूएबल्स प्रा0 लि0 / 10010946090	2010-11	72099070 114832000	42732930	1022452	3067356	536787	4626595	
			2011-12	शून्य 41777825	41777825	5106268	15318804	1761662	22186734	
			2012-13	10375066 147717148	137342082	16719761	50159283	5517521	72396565	
		मेसर्स पुन्ज लॉयड लि0 / 10010945002	2010-11	शून्य 457218429	457218429	4558189	13674567	2393049	20625805	

			2011-12	शून्य 107035825	107035825	1791899	5375697	618205	7785801	एक व्यवसायी द्वारा दर्शाया गया क्रय राशि का राज्य में निबंधित दूसरे व्यवसायी द्वारा दर्शायी गई विक्रय राशि के साथ तिर्यक जाँच।
11	पटना पश्चिमी	मेसर्स गंगोत्री इलेक्ट्रोकारस्टिंग लि० / 10120694045	2012-13	शून्य 2380456	2380456	119022	357066	39277	515365	
		मेसर्स राजीव कुमार / 10127411008	2012-13	7550840 13676854	6126014	827012	2481036	272914	3580962	
12	पूर्णियाँ	मेसर्स फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग 10490015046	2013-14	4466894 5706942	1240048	167402	502206	37665	707273	
		मेसर्स वर्ल्ड नाइस ऑटोमोबाइल्स प्रा० लि० / 10494478021	2013-14	शून्य 1379499	1379499	181191	543573	32614	757378	
		मेसर्स गृहस्थी भंडार / 10490742061	2013-14	7511101 15317690	7806589	390330	1170990	70260	1631580	
कुल				5845481887 737724642	1531764534	84723175	254169525	27434134	366326834	

परिशिष्ट- VII (तालिका-1)

(संदर्भ कंडिका: 2.3.12.3)

नियम-10ए के तहत कर के समायोजन के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	अनुसूची- IV के वस्तुओं जिनपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिये जाने के रूप में समायोजन किया गया था	लाभ लिये गये/अनुमति दिये गये कर का समायोजन	नियम 10-ए के तहत वास्तविक हकदारी कर का अधिक/गलत समायोजन	अनियमितता की प्रकृति
1	बेगुसराय	मेसर्स रहमान ब्रदर्स / 10360182098	2013-14	5991680	1797503	प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष की अनुलब्धता के कारण वास्तविक समायोजन की संगणना नहीं की जा सकी।	नियम 10-ए के तहत पूर्ववर्ती स्तर पर भुगतान किये गये टैक्स का समायोजन नहीं किये जाने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में कर का अधिक समायोजन।
2	गया	मेसर्स पी.एन. प्रोग्रेसिव इंटरप्राइजेज / 10201322094	2013-14	71233728	21370118	-तथैव-	-तथैव-
3	जहानाबाद	मेसर्स बाबा इंटरप्राइजेज / 10221526030	2012-13	16011903	3202380	-तथैव-	-तथैव-
4	मधुबनी	मेसर्स प्रेम इंटरप्राइजेज / 10410612010	2012-13	10003858	2000772	-तथैव-	-तथैव-
5	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स साई बाबा डिस्ट्रीब्यूटर्स / 10308515063	2012-13	82560384	16512080	-तथैव-	-तथैव-
		मेसर्स शिवम इंटरप्राइजेज / 10307268016	2012-13	56683761	11336752	-तथैव-	-तथैव-
		मेसर्स कल्याणी ट्रेडर्स / 10306781076	2012-13	34407149	6881430	-तथैव-	-तथैव-
		मेसर्स रत्ना मार्केटिंग / 10301888008	2012-13	10179564	2035907	-तथैव-	-तथैव-
कुल				287072027	65136942		

परिशिष्ट- VII (तालिका-2)

(संदर्भ कंडिका: 2.3.12.3)

नियम-10ए के तहत कर के समायोजन के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	अनुसूची- IV के वस्तुओं जिनपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिये जाने के रूप में समायोजन किया गया था	लाभ लिये गये/अनुमति दिये गये कर का समायोजन	नियम 10-ए के तहत वास्तविक हकदारी	कर का अधिक/गलत समायोजन	ब्याज	कुल	अनियमितता की प्रकृति
1	हाजीपुर	मेसर्स सत्यम इंटरप्राइजेज / 10293295069	2013-14	75910808	22773242	22423360	349882	73475	423357	नियम 10-ए के तहत पूर्ववर्ती स्तर पर भुगतान किये गये टैक्स का समायोजन नहीं किये जाने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में कर का अधिक दावा।
2	मधुबनी	मेसर्स शिवा ट्रेडर्स / 10410781081	2012-13	46273649	9254725	9056894	197831	65283	263114	संवीक्षित नियम 10-ए के तहत पूर्ववर्ती स्तर पर भुगतान किये गये टैक्स का समायोजन नहीं किये जाने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में कर का अधिक दावा।
कुल				122184457	32027967	31480254	547713	138758	686471	

परिशिष्ट- VIII
(संदर्भ कंडिका: 2.3.13)
रिवर्स क्रेडिट का नहीं/कम संगणना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	क्रय मूल्य जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया/अनुमति दिया गया	वास्तविक हकदारी	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/ गलत लाभ लिया जाना	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अनियमितता की प्रकृति
1	बेगुसराय	मेसर्स कार्बन रिसोर्सज प्रा0 लि0 यूनिट 2/ 10361896088	2011-12	396833516	13030661	12891298	139363	418089 27175	584627	अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का कम संगणना।
2	गया	मेसर्स रामानन्दी ऑटोमोबाइल्स/ 10201599029	2010-11	1285352116	160198621	159787051	411570	1234710 148165	1794445	राज्य के भीतर भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का संगणना नहीं किया जाना।
3	हाजीपुर	मेसर्स वन टच मेडिकल प्रोडक्ट प्रा0 लि0/ 10293648052	2010-11	28612816	1146025	839319	306706	920118 119615	1346439	अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का संगणना नहीं किया जाना।
			2011-12	34579867	1729810	1426490	303320	909960 63697	1276977	अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का संगणना नहीं किया जाना।
4	पाटलीपुत्र	मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि0/ 10050875050	2011-12	405261015	44555993	44190540	365453	1096359 126082	1587894	छ: माह के भीतर क्रय रिटर्न के कारण।
			2012-13	363267939	29703754	24941102	4762652	14287956 1357355	20407963	अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का कम संगणना।
5	पटना मध्य	मेसर्स बीकानेर स्वीट्स एंड पेस्ट्री शौप/ 10154696096	2012-13	7621663	757389	257753	499636	1498908 149890	2148434	कर योग्य वस्तुओं की खपत से करमुक्त वस्तुओं का विनिर्माण/बिक्री।

6	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा० लि० / 10060425035	2011-12	218728272	5686852	1329152	4357700	<u>13073100</u> 1372675	18803475	अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का कम संगणना।
			2012-13	332078692	17703665	13203931	4499734	<u>13499202</u> 1417416	19416352	अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का कम संगणना।
7	पटना दक्षिणी	मेसर्स सोनाली ऑटो / 10125388069	2010-11	1085332790	134821707	121397299	13424408	<u>40273224</u> 8054644	61752276	राज्य के भीतर वस्तुओं के भंडार अंतरण के कारण।
			2011-12	1054992388	140961826	135501065	5460761	<u>16382283</u> 2293520	24136564	
8	पटना विशेष	मेसर्स नीलकमल / 10010289033	2012-13	24981473	3372498	999258	2373240	<u>7119720</u> 818768	10311728	अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का कम संगणना।
कुल				5237642547	553668801	516764258	36904543	<u>110713629</u> 15949002	163567174	

परिशिष्ट-IX

(संदर्भ कंडिका: 2.3.14)

कार्य संवेदकों द्वारा कटौतियों का गलत लाभ लिया जाना/अनुमति

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	अमान्य कटौतियों के मद	दर (प्रतिशत में)	ऐसे कटौतियों की राशि	अनुमान्य कटौती	अधिक अनुमत्त कटौतियाँ जिसपर कर आरोप्य था	दावा किये गये अधिक/ अनुमत्त कटौतियों पर कर	देखे गए अभिलेख
1	भागलपुर	मेसर्स अमरपुर कंस्ट्रक्शनस प्रा0 लि0/ 10521730069	2011-12	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	5 एवं 13.5	18637925	8182010	10455915	763825	आरटी-III और लाभ/हानि एवं व्यापार लेखे
			2012-13	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	5 एवं 13.5	35574534	17100038	18474496	1348028	
		मेसर्स हरदेव कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0/ 10525067055	2011.12	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	5 एवं 13.5	52517504	47013749	5503755	327958	आरटी-III और लाभ/हानि एवं व्यापार लेखे
			2012-13		5 एवं 13.5	98007756	88096166	9911590	651945	
		दीप नारायण रॉय/ 10524600087	2010-11	सकल लाभ का सामग्री हिस्सा	4 एवं 12.5	8891530	6979093	1912437	141520	आरटी-III और लाभ/हानि एवं व्यापार लेखे
मेसर्स बाबा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0/ 10524177088	2012-13	सामग्री का अंतर्राज्यीय क्रय	5	51575660	8256801	43318859	2165942	व्यवसायी का प्रोफाईल और आरटी-V		
2	फारबिसगंज	मेसर्स सीमांचल कंस्ट्रक्शन/ 10440605089	2010-11	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	4 एवं 12.5	205752010	164060946	41691064	1846955	आरटी-III, टी.ए.आर एवं लाभ और हानि लेखे
			2012-13		5 एवं 13.5	318486328	275668112	42818216	2504865	
3	गया	मनीषा कंस्ट्रक्शन/ 10200018003	2011-12	मजदूरी, रॉयल्टी, मरम्मती तथा मूल्यहास पर भाड़ा	5 एवं 13.5	21618614	17335193	4283421	268784	कर-निर्धारण आदेश
4	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स हरिशंकर प्रा0/ 10305306094	2012-13	सामग्री	5	16560717	0	16560717	828036	आरटी-III, टी.ए.आर एवं लाभ और हानि लेखे
		मेसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि0/ 10305071063	2011-12	अन्य स्थल पर किये गये खर्च	4, 5 एवं 13.5	784218391	747346509	36871882	1953564	आरटी-III, टी.ए.आर एवं लाभ और हानि लेखे

5	पाटलीपुत्र	मेसर्स वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन / 10050830067	2010-11	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	4 एवं 12.5	1205693458	614980939	590712519	40579587	कर-निर्धारण आदेश
		मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० / 10050036044	2012-13		5 एवं 13.5	1090066088	994238111	95827977	3777539	कर-निर्धारण आदेश एवं भुगतान का प्रतिवेदन
		मेसर्स एन.सी.सी.एल. वशिष्ठ जे.वी. / 10050828085	2010-11	कमीशन	4 एवं 12.5	918754795	903694337	15060458	1034593	आरटी-III, टी.ए.आर एवं भुगतान विवरण
		मेसर्स फ्रेयर्सिनेट प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट को लि० / 10050768043	2011-12	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	5 एवं 13.5	92468618	73775244	18693374	934668	आरटी-III, टी.ए.आर एवं लाभ और हानि लेखे
		मेसर्स गैम्मोन इंडिया लि० / 10050198034	2010-11	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	4 एवं 12.5	2181972026	2005570300	176401726	9976928	आरटी-III, टी.ए.आर एवं लाभ और हानि लेखे
		मेसर्स वशिष्ठ अयर्स इन्फ्रा प्रा० लि० / 10050829076	2010-11	कमीशन	4 एवं 12.5	555642607	546725365	8917242	612578	आरटी-III, टी.ए.आर एवं लाभ और हानि लेखे
6	पटना मध्य	मेसर्स एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन एंड अरविन्द टेक्नो इंजीनियरिंग (जे.वी.) / 10153759090	2012-13	स्रोत पर कर की कटौती	5 एवं 13.5	25032094	20837950	4194144	316658	संवीक्षा आदेश, आरटी-III एवं टी.ए.आर
		मेसर्स एस.डी.बी.-एस. पी.एस. जे.वी. / 10155124027	2012-13	रॉयल्टी	5 एवं 13.5	411901046	404578377	7322669	465722	संवीक्षा आदेश, आरटी-III एवं लाभ/हानि एवं व्यापार लेखे
		मेसर्स आर्पी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० / 10155425034	2012-13	कल-पुर्जे एवं मरम्मत एवं रखरखाव	5 एवं 13.5	7704222	0	7704222	437535	संवीक्षा आदेश
		मेसर्स जी.पी.टी.- राही (जे.वी.) / 10153547058	2012-13	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	5 एवं 13.5	698333711	648069787	50263924	4598998	संवीक्षा आदेश एवं विस्तृत कटौती विवरण

7	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स सृष्टि डेवलपर/ 10060321051	2010-11	सकल लाभ, स्थापना खर्च, ईंधन एवं ल्यूब्रिकेन्ट (सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किया गया)	4 एवं 12.5	118376084	48240403	70135681	3464893	कर-निर्धारण आदेश आरटी-III एवं वार्षिक विक्रय/क्रय और कटौती विवरणी
			2011-12		5 एवं 13.5	110868395	35157008	75711387	4543838	
8	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स स्टैण्डर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स/ 10081388093	2011-12	निर्माण में उपयुक्त मजदूरी	5	31276556	0	31276556	1563828	आरटी-III, टी.ए.आर एवं व्यवसायी का प्रोफाईल
			2012-13		5	67325024	0	67325024	3366251	
		सी.जेड.ए.आर. कंस्ट्रक्शन/ 10081161016	2010-11	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	4 एवं 12.5	146981455	120419785	26561670	2733195	आरटी-III, टी.ए.आर एवं लाभ और हानि लेखे
			2011-12		-तथैव-	111241681	74396569	36845112	3157626	
9	पटना विशेष	मेसर्स आई.एस.जी.इ.सी. हैवी इंजीनियरिंग लि0 / 10010916069	2011-12	सामग्री के लेखे पर कटौती	5	123836492	0	123836492	6119824	आरटी-III एवं टी.ए.आर-IV
10	पूर्णियाँ	मेसर्स आशुतोष कुमार/ 10490598016	2010-11	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	4 एवं 12.5	34059498	26105321	7954177	331689	आरटी-III, टी.ए.आर एवं लाभ और हानि लेखे
			2011-12		5 एवं 13.5	29847386	27679658	2167728	112071	
			2013-14		5 एवं 13.5	10102897	2240706	7862191	546815	
		पारसनाथ कंस्ट्रक्शन/ 10494126085	2010-11	सकल लाभ एवं स्थापना खर्च का सामग्री हिस्सा	12.5 एवं 4	36028479	32792293	3236186	143614	आरटी-III, टी.ए.आर एवं लाभ और हानि लेखे
कुल						9619353581	7959540770	1659812811	101619872	

परिशिष्ट- X
(संदर्भ कंडिका: 2.3.15)

कर का गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	सामग्री	कर का आरोप्य/ आरोपित दर	राशि जिसपर दर का अंतर आरोपित किया गया	कर	ब्याज	कुल
1	बाढ़	मेसर्स सिंह ट्रेडर्स/ 10021507085	2013-14	अनुसूची-III सामग्री	5/4	18968242	189682	36988	226670
2	बेगुसराय	मेसर्स सी.टी.एस. इंडस्ट्रीज/ 10363038069	2012-13	बिटूमिन इम्लसन	13.5/5	13689956	1163646	680732	1844378
			2013-14		13.5/5	30980485	2633341	987502	3620843
3	भागलपुर	मेसर्स ग्रीन मार्केटिंग सर्विसेज/ 10524108024 मेसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स/ 10521505029	2012-13	प्लाईबोर्ड	13.5/5	43663506	370898	122396	493294
			2010-11	इसबगोल	12.5/4	2517286	213969	115543	329512
			2011-12	इसबगोल	13.5/5	2922239	248390	89420	337810
			2012-13	इसबगोल	13.5/5	2442998	207655	71641	279296
4	दरभंगा	मेसर्स चन्द्रा ऑटोमोबाईल्स/ 10380449084	2010-11	उपकरण	12.5/4	722258	61392	32691	94083
			2011-12	-तथैव-	13.5/5	769427	65124	22956	88080
5	गांधी मैदान	मेसर्स अजंता मार्केटिंग एंड सेल्स/ 10111265032	2010-11	साइकिल लॉक	12.5/4	10523311	894481	228093	1122574
6	गया	मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स प्रा0 लि0/ 10210411055 मेसर्स शीतल प्रा0 कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0/ 10204196010 मेसर्स रमैया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0/ 10201785075	2013-14	स्टोन चिप्स	13.5/5	8192507	696363	141996	838359
			2013-14	स्टोन चिप्स	13.5/5	11698486	994371	193902	1188273
			2013-14	स्टोन चिप्स	13.5/5	29539290	2510839	489613	3000452
7	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स राज बैटरी क0./ 10300904040	2012-13	इनवर्टर	13.5/5	10001315	850112	286913	1137025

		एस.के. ऐजेन्सी / 10305329083	2011-12	डीजी सेट और लूब्रीकेन्ट	13.5 / 5	64937742	5519708	2980642	8500350
		मेसर्स यूटिलिटी पावरटेक लि० / 10306481055	2011-12	अनुसूची-III सामग्री	5 / 4	6312600	63126	22725	85851
		मेसर्स गोपाल किराना भंडार / 10300639036	2011-12	इसबगोल	13.5 / 5	712776	60585	21810	82395
		मेसर्स भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग को० / 10300494021	2011-12	रेल वैगन	5 / 4	211522397	2115223	745616	2860839
8	पाटलीपुत्र	मेसर्स वोल्टास लि० / 10050247019	2010-11	तांबा टयूब्स	12.5 / 4	7907892	672170	241981	914151
			2011-12	तांबा टयूब्स	13.5 / 5	12707920	1080173	194431	1274604
			2012-13	तांबा टयूब्स	13.5 / 5	7320637	622254	172675	794929
		मेसर्स टाइटन कम्पनी लि० / 10050028090	2012-13	धूप ग्लास	13.5 / 5	36327660	3087851	833719	3921570
		मेसर्स लूमिनस पावर टेक्नोलॉजिज प्रा० लि० / 10128593040(पुराना) 10051225004(नया)	2010-11	मोबाईल बैटरी और चार्जर	12.5 / 4	2017402	171479	92598	264077
			2011-12		13.5 / 5	4559278	387538	139513	527051
9	पटना मध्य	मेसर्स विल्सन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्रा० लि० / 10150206004	2010-11	रोड-रोलर और कल-पुर्जे	4 / 1	31506530	945195	439515	1384710
			2011-12		5 / 1	16795587	503867	143602	647469
10	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स भारत ट्रेडिंग / 100614755082	2012-13	तम्बाकू उत्पाद	20 / 13.5	1667637	108396	34957	143353
11	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स जे.डी. इंटरप्राइजेज / 10082185045	2012-13	मोबाईल फोन चार्जर	13.5 / 5	19692013	1673821	539807	2213628

		मेसर्स लीडस इंजीनियरिंग प्रा० लि० / 10082821093	2011-12	अनुसूची-III सामग्री	5 / 4	38822864	388229	116469	504698
		मेसर्स स्टार लेदर / 10083228019	2010-11	लेदर बोर्ड	12.5 / 4	246840	20981	10071	31052
			2011-12		13.5 / 5	840461	40838	12251	53089
12	पटना दक्षिणी	मेसर्स देवेन्द्र इक्यूपमेंट / 10129479020	2012-13	निर्माण यंत्र के कल-पुर्जे	13.5 / 5	4986206	423827	127148	550975
13	पटना विशेष	मेसर्स इन्वायरोटेक इस्ट प्रा० लि० / 10010918051	2010-11	जल शुद्धीकरण प्लांट / सिस्टम	12.5 / 4	38885000	3305225	2255816	5561041
			2011-12		13.5 / 5	38215874	3248349	1632295	4880644
		मेसर्स पूंजलॉयड डेल्टा रिन्यूएबल प्रा० लि० / 10010946090	2010-11	जल शुद्धीकरण प्लांट / सिस्टम	12.5 / 4	79800000	6783000	3561075	10344075
			2011-12		13.5 / 5	26605714	2261486	780212	3041698
	मेसर्स पूंजलॉयर्ड लि० / 10010945002	2011-12	जल शुद्धीकरण प्लांट / सिस्टम	13.5 / 5	83806000	7123510	2457610	9581120	
14	पूर्णियाँ	मेसर्स चौधरी मार्केटिंग / 10494123015	2013-14	तम्बाकू उत्पाद	30 / 20	2676275	267628	56202	323830
		मेसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन / 10493067054	2013-14	स्टोन चिप्स	13.5 / 5	5844388	496772	96870	593642
		मेसर्स मोजमिल हुसैन / 10492093077	2011-12	अनुसूची-III सामग्री	5 / 4	34425652	344256	123932	468188
कुल						965774651	52815750	21333928	74149678

परिशिष्ट-XI
(संदर्भ कंडिका: 2.3.16)
क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	राशि जिसपर क्रय कर आरोप्य था	सामग्री/दर प्रतिशत में	आरोप्य क्रय कर	क्रय कर जो लगा	1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज	कुल
1	दरभंगा	मेसर्स अशोक कैटल एंड पॉलट्री फीड्स प्रा0 लि0 / 10386582097	2011-12	1842936	मेडिसीन/5	92147	शून्य	46995	139142
			2012-13	2868608	-तथैव-	143813	शून्य	47458	191271
			2013-14	3777860	-तथैव-	190465	शून्य	28570	219035
2	गया	मेसर्स दया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0 / 10200373046	2013-14	19154207	स्टोर सामग्री, बालू, कोयला और मेटल / 5 एवं 13.5	1259834	शून्य	255116	1514950
3	हाजीपुर	मेसर्स ब्लुमस लिक्वर्स प्रा0 लि0 / 10294338020	2013-14	9030258	बोतल, ग्लास/5	451513	शून्य	91431	542944
		मेसर्स अमृत फीड्स लि0 / 10290571018	2013-14	1974765878	जानवर या वनस्पति फैट, एचडीपीई, कोयला/5	98738294	शून्य	20735042	119473336
4	पाटलीपुत्र	मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि0 / 10050875050	2012-13	269805367	गेंहूँ और आटा/1	2698054	शून्य	728474	3426528
5	पटना मध्य	मेसर्स अमित संदीप फुड प्रा0 लि0 / 1015627029	2012-13	5653469	खोया, घी और पनीर/5 एवं 13.5	736808	शून्य	221042	957850
		मेसर्स हस्क पावर सिस्टम प्रा0 लि0 / 10154248054	2011-12	6561187	चावल की भूसी/5	328059	शून्य	157468	485527
			2012-13	8375160	-तथैव-	418758	शून्य	125627	544385
6	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स पारले बिस्कूट्स प्रा0 लि0 / 10060425035	2011-12	138185113	मैदा/1	1381851	शून्य	684016	2065867
			2012-13	155592270	-तथैव-	1555923	शून्य	490116	2046039
कुल				2595612313		107995519	शून्य	23611355	131606874

परिशिष्ट- XII
(संदर्भ कंडिका: 2.3.17)
कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	कर लगाया गया	आरोप्य/ आरोपित कर	कम स्वीकार किया गया	ब्याज	कुल	अभियुक्तियाँ
1	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स श्यामा पावर प्रा0 लि0/ 10302993032	2011-12	826251	418885	407366	207757	615123	कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कटौती का अनुमति नहीं दिया लेकिन सही कर आरोपित नहीं किया गया।
			2012-13	3026016	1333009	1693007	558692	2251699	
2	पाटलीपुत्र	मेसर्स गुनिया मोटर्स प्रा0 लि0/ 10050098027	2011-12	8589720	6903289	1686431	581819	2268250	कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कटौती का अनुमति नहीं दिया लेकिन कर आरोपित नहीं किया गया।
		मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लि0/ 10050748029	2012-13	55454707	34798426	20656281	5887040	26543321	व्यवसायी द्वारा ट्रांजिट बिक्री नहीं ली गयी लेकिन कर सही अनुपात में आरोपित नहीं किया गया था।
3	पटना मध्य	मेसर्स अलंकार ऑटो सेल्स एंड सर्विस प्रा0 लि0/ 10152692017	2012-13	1870128	1058000	812128	243638	1055766	उपयोग की हुई कार की बिक्री पर विहित दर के बदले कम्पाउंडिंग स्कीम के तहत कर स्वीकार किया गया था।
4	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स गायत्री कंस्ट्रक्शन/ 10081957095	2011-12	1222276	90066900	321607	96483	418090	व्यवसायी द्वारा कर का सही दर नहीं लगाया गया था।
			2012-13	1530704	1370136	160568	50579	211147	
कुल				72519802	46782414	25737388	7626008	33363396	

परिशिष्ट- XIII
(संदर्भ कंडिका: 2.3.19)
अधिभार का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	वस्तुओं का मूल्य जिसपर कर भुगतान किया गया	कर जिसपर अधिभार भुगतान हुआ	अधिभार का दर (प्रतिशत में)	अधिभार भुगतान	ब्याज	कुल
1	बेगुसराय	मेसर्स एम.बी. स्टोर्स / 10363161065	2013-14	2236160	670848	15	100627	19622	120249
		मेसर्स रहमान ब्रदर्स / 10362692264	2013-14	4610362	1383109	15	207466	42012	249478
2	हाजीपुर	मेसर्स राजीव जर्दा स्टोर / 10291230036	2013-14	9255623	2776687	15	416503	81218	497721
3	पूर्णियाँ	मेसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग / 10493435266	2013-14	2605100	781530	15	117230	24618	141848
		मेसर्स खान ऐजेन्सी / 10496562083	2013-14	6600546	1980164	15	297025	62373	359398
		मेसर्स एन.आर.एल इनर्जी स्टेशन / 10493872043	2012-13	70236732	12895464	10	1289546	251461	1541007
कुल				95544523	20487802		2428397	481304	2909701

परिशिष्ट- XIV
(संदर्भ कंडिका: 2.3.20.1)

मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	अवधि	राशि जो समायोजन के योग्य है	समायोजन लिया गया	मूल्यवर्द्धित कर का अधिक समायोजन	ब्याज	कुल	अभियुक्तियाँ	रिकार्ड देखा गया
1	भागलपुर	मेसर्स गणेश राम डोकानिया / 10522453010	2012-13	100000	994922	894922	308748	1203670	भुगतान एवं प्रवेश कर के दायित्व से अधिक समायोजन का लाभ लिया गया।	आरटी-III एवं ईटी-V
		मेसर्स अनु ट्रेडर्स / 10524694017	2012-13	2832201	3312788	480587	158594	639181	प्रवेश कर के भुगतान से अधिक तथा अंतशेष पर समायोजन का लाभ लिया गया।	आरटी-III, ईटी-V, टीएआर एवं भुगतान विवरणी
		मेसर्स श्री भगवती ऐजेन्सी / 10521642090	2012-13	386389	854753	468364	161586	629950	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि भंडार में पड़े थे।	आरटी-III, ईटी-V एवं भुगतान विवरणी
2	दरभंगा	मेसर्स बाथ एन. रूम / 10380933017	2012-13	628208	1326913	698705	241053	939758	प्रवेश कर के भुगतान से अधिक समायोजन का लाभ लिया गया।	आरटी-III, आरटी-I, ईटी-V एवं ईटी-IV
		मेसर्स कृष्णा ऑटोमोबाइल्स / 10380339086	2011-12	26558843	26959426	400583	144210	544793	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि भंडार में पड़े थे।	आरटी-III, टीएआर एवं ईटी-V
			2012-13	28514435	29646540	1132105	390576	1522681		आरटी-III, टीएआर, ईटी-V एवं भुगतान विवरणी
मेसर्स कृष्णा मोटर्स / 10385155039	2012-13	12549840	14019080	1469240	506889	1976129	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि भंडार में पड़े थे।	आरटी-III, टीएआर, ईटी-V एवं भुगतान विवरणी		
3	गया	मेसर्स पासा रिसोर्सेज प्रा0लि0 / 1020997047	2013-14	7960393	8425643	465250	90724	555974	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि भंडार में पड़े थे।	आरटी-III, टीएआर और ईटी-V एवं भुगतान विवरणी
		मेसर्स राजस्थान मार्बल्स एंड टाइल्स /	2013-14	639819	1225575	585756	118616	704372	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी	आरटी-III, ईटी-V, टीएआर, एवं भुगतान

		10203827022							बल्कि भंडार में पड़े थे तथा प्रवेश कर के भुगतान से अधिक समायोजन का लाभ लिया गया।	विवरणी
		मेसर्स जानकी ऑटोमोबाइल्स / 10205379060	2011-12	1711124	2343085	631961	236985	868946	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि भंडार में पड़े थे।	आरटी-III, टीएआर, ईटी-V एवं ट्रेडिंग एंकाउंट
4	हाजीपुर	मेसर्स रिशव ऑटोमोबाइल्स प्रा0 लि0 / 10294514085	2012-13	41680771	42030828	350057	133897	483954	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि भंडार में पड़े थे।	आरटी-III, टीएआर एवं ईटी-V
		मेसर्स राकेश इटेबल्स एंड ग्रीन प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 / 10293434070	2013-14	215394	740841	525447	122166	647613	प्रवेश कर के भुगतान से अधिक समायोजन का लाभ लिया गया।	आरटी-III, टीएआर एवं ईटी-V
		मेसर्स स्वराज इंटरप्राइजेज / 10290253052	2013-14	1263230	1965862	702632	147552	850184	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि भंडार में पड़े थे।	आरटी-III, ईटी-V, टीएआर एवं भुगतान विवरणी
		मेसर्स वन टच मेडिकल प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 / 10293648052	2010-11	309573	429695	120122	46848	166970	विनिर्मित वस्तुओं जिनका भंडार अंतरण किया गया था पर समायोजन का लाभ लिया गया था।	आरटी-III, टीएआर एवं ईटी-V
			2011-12	418188	534291	116103	24382	140485		
5	मधुबनी	मेसर्स मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि0 / 10413405028	2011-12	18116919	19102920	986001	517651	1503652	प्रवेश कर के भुगतान से अधिक समायोजन का लाभ लिया गया।	आरटी-III, ईटी-V, भुगतान विवरणी
			2012-13	5901323	6214824	313501	108158	421659		
6	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स बालाजी हंडई ऑटो प्रा0 लि0 / 10306353015	2011-12	15123790	17656913	2533123	911924	3445047	प्रवेश कर के भुगतान से अधिक तथा अंतशेष पर समायोजन का लाभ लिया गया।	आरटी-III, ईटी-V, भुगतान विवरणी
7	पाटलीपुत्र	मेसर्स युनाइटेड बिचरेजेज लि0 / 10050119076	2011-12	0	740595	740595	355485	1096080	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि क्षतिग्रस्त हो गये थे।	आरटी-IV, ईटी-V, कर-निर्धारण आदेश
			2012-13	0	976168	976168	292850	1269018		

		मेसर्स इंडो अमेरिकन इलेक्ट्रिकल्स लि० / 10050923006	2012-13	3758440	4332718	574278	167976	742254	प्रवेश कर का दर मूल्यवर्द्धित कर से अधिक है।	आरटी-III और ईटी-V
		मेसर्स दी फ्रेयस्सिनेट प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट का. लि० / 10050768043	2012-13	1350000	2156038	806038	217630	1023668	प्रवेश कर के समायोजन का दावा अधिक किया गया था लेकिन प्रवेश कर का भुगतान कम था।	आरटी-III और ईटी-V
		मेसर्स अमारा राजा बैटरिज लि० / 10050107048	2012-13	26005978	27281038	1275060	363392	1638452	वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि वारंटी रिप्लेसमेंट के लिए उपयोग किये गये।	आरटी-III और टीएआर -IV
		मेसर्स भारत बिजनेस चैनल लि० / 10050933013	2011-12	0	4715609	4715609	2228125	6943734	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि कैपिटल वस्तुओं की तरह उपयोग किये गये।	आरटी-III और टीएआर -IV
			2012-13	0	5735507	5735507	1677636	7413143		
		मेसर्स टी.एम.एल. डिस्ट्रीब्यूशन का. लि० / 10050699082	2011-12	91543466	94786551	3243085	1118864	4361949	समायोजन का लाभ प्रवेश कर के तहत भुगतान किये जाने से अधिक लिया गया।	आरटी-III, ईटी-IV एवं भुगतान विवरणी
		मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लि० / 10050748029	2012-13	4093747	6084001	1990254	567222	2557476	व्यवसायी द्वारा किये गये दावे से अधिक प्रवेश कर के समायोजन की अनुमति दी गई।	कर-निर्धारण आदेश आरटी-III एवं ईटी-V
8	पटना विशेष	एच.पी.सी.एल. / 10010120059	2012-13	144465862	155678328	11212466	3616020	14828486	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि अंतशेष में पड़े थे तथा वस्तुओं की बिक्री अनुदानित दर पर किये जाने पर समायोजन का लाभ लिया गया।	आरटी-III, ईटी-V एवं भुगतान विवरणी
		मेसर्स बी.पी.सी.एल. / 10010121029	2012-13	43891805	210680663	166788858	55040323	221829181	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर के दर से कम था।	आरटी-III, ईटी-V एवं टीएआर

	मेसर्स कैंट्रोल इंडिया लि० / 10010118022	2012-13	0	2499301	2499301	806025	3305326	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि बिना लागत के निस्तारित कर दिया गया था।	आरटी-III, ईटी-V, टीएआर -IV एवं विवरणी
	मेसर्स सूर्या रोशनी लि० / 10010320073	2012-13	0	920980	920980	303923	1224903	वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि वारंटी रिप्लेसमेंट के लिए उपयोग किये गये।	आरटी-III, ईटी-V एवं व्यापार लेखा
	मेसर्स जयप्रकाश ऐसोसियेट्स लि० / 10010083005	2012-13	0	178038	178038	64093	242131	वस्तुओं के क्षतिग्रस्त / कालातीत / टूट-फूट होने पर समायोजन का लाभ लिया गया था।	आरटी-III एवं ईटी-V
	मेसर्स ग्रेट वाइट ग्लोबल प्रा. लि० / 10011203008	2012-13	1518437	1901002	382565	137723	520288	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर के दर से कम था तथा आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि अंतशेष में पड़े थे।	आरटी-III एवं ईटी-V
	मेसर्स बजाज इलेक्ट्रीकल्स लि० / 10010019082	2011-12	97655949	117834836	20178887	7264399	27443286	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर के दर से कम था।	आरटी-III, ईटी-V एवं टीएआर -IV
		2012-13	50590728	57999455	7408727	2667142	10075869	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर के दर से कम था तथा आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि अंतशेष में पड़े थे तथा प्रवेश कर का भुगतान दायित्व से अधिक किया गया है।	आरटी-III, ईटी-V एवं टीएआर -IV
	मेसर्स वी गार्ड इंडस्ट्रीज लि० / 10011038038	2012-13	7718247	9754976	2036729	733222	2769951	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर के दर से कम था तथा आयातित	आरटी-III एवं ईटी-V

									वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि अंतशेष में पड़े थे तथा प्रवेश कर का भुगतान दायित्व से अधिक किया गया है।	
	मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्रा० लि०/ 10010169044	2012-13	735914216	759929725	24015509	8645583	32661092	प्रवेश कर जिसका भुगतान दायित्व के बगैर किया गया था, क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर भुगतान किया गया था, आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि अंतशेष में पड़े थे तथा आयातित वस्तुओं की बिक्री सामान्य मूल्य से कम पर की गई थी पर अधिक समायोजन लिया गया था।	आरटी-III, ईटी-V एवं टीएआर	
	मेसर्स टोटल ऑयल इंडिया लि०/ 10010914087	2012-13	33224176	44871848	11647672	4018447	15666119	स्वीकृत प्रवेश कर से अधिक भुगतान, आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि अंतशेष में पड़े थे पर प्रवेश कर का लाभ लिया गया था तथा छूट पर समायोजन लिया गया था।	आरटी-III, ईटी-V एवं टीएआर -IV	
	मेसर्स अम्बुजा सिमेंट्स लि० / 10010245092	2012-13	165770104	179770221	14000117	5040042	19040159	स्वीकृत प्रवेश कर से अधिक भुगतान, आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि अंतशेष में पड़े थे पर प्रवेश कर का लाभ लिया गया था तथा छूट	आरटी-III, ईटी-V एवं टीएआर -IV	

									पर समायोजन लिया गया था।	
		मेसर्स टायड वाटर का. इंडिया लि०/ 10010205031	2012-13	45562816	47792246	2229430	735712	2965142	छूट/हानि मूल्य पर प्रवेश कर के समायोजन का लाभ लिया गया।	आरटी-III, टीएआर -I, टीएआर -IV एवं ईटी-V
		मेसर्स बाल्मर लॉरिज एंड कम्पनी लि०/ 10010518050	2011-12	3434082	4042777	608695	328695	937390	छूट मूल्य पर प्रवेश कर के समायोजन का लाभ लिया गया।	आरटी-III, टीएआर-I, टीएआर-IV एवं ईटी-V
			2012-13	3265942	4933794	1667852	600427	2268279	प्रवेश कर के समायोजन छूट मूल्य तथा आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि अंतशेष में पड़े थे।	आरटी-III, टीएआर-I, टीएआर-IV एवं ईटी-V
9	पूर्णियाँ	मेसर्स सीमांचल मोटर्स प्रा० लि०/ 10496293079	2012-13	17508197	18645636	1137439	221801	1359240	आयातित वस्तुओं की बिक्री नहीं की गई थी बल्कि अंतशेष में पड़े थे।	आरटी-III, ईटी-V, टीएआर एवं भुगतान विवरणी
कुल				1642182632	1942026950	299844318	101583316	401427634		

परिशिष्ट- XV
(संदर्भ कंडिका: 2.3.20.2)
स्वीकृत कर का कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	भुगतेय कर	कर भुगतान किया गया	कम भुगतान	ब्याज (लेखापरीखा की तारीख तक की गणना)	कुल
1	बाढ़	मेसर्स गुरु कृपा इंटरप्राइजेज / 10021468048	2012-13	171198	0	171198	64199	235397
			2013-14	184428	56000	128428	25043	153471
2	बेगुसराय	मेसर्स चौधरी मोटर्स / 10364389046	2013-14	10640378	3731615	6908763	1399025	8307788
		मेसर्स चन्द्रा प्रकाश ऑटोमोबाइल्स / 10360416062	2013-14	4576919	4015409	561510	109494	671004
		मेसर्स माली ट्रैक्टर प्रा0 लि0 / 10360589013	2013-14	983254	785000	198254	40146	238400
		मेसर्स किसान ऑटोमोबाइल्स / 10363222078	2013-14	1735910	500000	1235910	250272	1486182
		मेसर्स श्री कृष्णा यामाहा / 10363884006	2013-14	1618740	1383576	235164	47621	282785
		मेसर्स पिकअप क्रेडिट एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा0 लि0 / 10365738030	2013-14	63091128	60430674	2660454	538743	3199197
		मेसर्स सत्यम ऑटोमोबाइल्स / 10360919007	2013-14	10316523	7870000	2446523	495421	2941944
3	भागलपुर	मेसर्स एस.रॉय मार्बल / 10525890020	2012-13	5325965	4626302	699663	230888	930551
		मेसर्स कलिंगा सेल्स / 10524050018	2012-13	658497	104293	554204	182887	737091
		मेसर्स रियान ट्रेडर्स / 10526267022	2012-13	1097732	943004	154728	51060	205788
		मेसर्स शिवा ऐजेन्सीज / 10522179082	2012-13	328494	20000	308494	101803	410297
		मेसर्स तक्षशीला रिजेन्सी प्रा0 लि0 / 10523306028	2012-13	813658	380486	433172	142947	576119
		मेसर्स गोपाल प्रसाद भगत / 10520575090	2011-12	278188	38693	239495	122142	361637
			2012-13	256894	32338	224556	74103	298659

4	दरभंगा	मेसर्स श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स / 10380195041	2012-13	14807636	13484580	1323056	436608	1759664
		मेसर्स गुप्ता मार्बल एंड सेनिटरी / 10380806044	2012-13	2190115	1688000	502115	173230	675345
		मेसर्स अपूर्वा ट्रेडर्स / 10384240038	2012-13	7417553	6499769	917784	302869	1220653
5	गया	मेसर्स ब्रिज नन्दन ऑटोमोबाइल्स प्रा0 लि0 / 10206294070	2013-14	4892365	3883485	1008880	196732	1205612
		मेसर्स ओम भंडार / 10203375002	2013-14	1231405	1038529	192876	39057	231933
		मेसर्स सुधीर कुमार सिंह एंड इम्पीरियल ऐसोसियेट्स / 10206505014	2011-12	5253770	4475635	778135	431865	1210000
6	हाजीपुर	मेसर्स गंगा ट्रेडर्स एंड इम्प्लीमेन्ट्स / 10292284038	2012-13	3243092	2549468	693624	260109	953733
			2013-14	2509171	897610	1611561	314254	1925815
		मेसर्स अनामिका ऑटोमोबाइल्स प्रा0 लि0 / 10295232025	2013-14	17833830	17287281	546549	114776	661325
		मेसर्स रिशभ ऑटोमोबाइल्स प्रा0 लि0 / 10294514085	2012-13	73617959	71288781	2329178	471663	2800841
		मेसर्स एस.आर. इंटरप्राइजेज / 10292626060	2013-14	4252149	3150000	1102149	231451	1333600
		मेसर्स स्वदेशी प्लास्ट प्रा0 लि0 / 10294424022	2013-14	4440111	3969208	470903	98890	569793
7	जहानाबाद	मेसर्स बुलंद भंडार / 10220061039	2012-13	486276	337260	149016	38000	187016
8	मधुबनी	मेसर्स श्री गुरु ऑटोमोबाइल्स / 10412595078	2011-12	696872	0	696872	360632	1057504
		मेसर्स मिथिलांचल मोटर्स / 10411716064	2012-13	13128794	12926192	202602	72937	275539
9	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स वी.डी. ऑटोमोटिव / 10303075094	2011-12	28070455	27841432	229023	116802	345825
			2012-13	32424647	31971362	453285	149584	602869
		मेसर्स श्री साई सेल्स एंड सर्विस / 10306077050	2011-12	432993	0	432993	214332	647325
		मेसर्स श्यामा पावर प्रा0 लि0 / 10302993032	2011-12	16733598	16286616	446982	160914	607896

10	पाटलीपुत्र	मेसर्स गिनि मोटर्स प्रा० लि० / 10050098027	2011-12	36464980	30885398	5579582	1924956	7504538
			2012-13	72625977	65332738	7293239	2078573	9371812
		मेसर्स सीएट लि० / 10050229074	2012-13	110519327	110243542	275785	80667	356452
11	पटना मध्य	मेसर्स कुमार डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि० / 10150024032	2012-13	86789737	73878375	12911362	3873408	16784770
12	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स कब्स इंटरनेशनल / 10061030024	2011-12	984911	573704	411207	203547	614754
		मेसर्स नन्द लाल बजरंग लाल / 10060095041	2012-13	1992871	1836745	156126	49180	205306
		मेसर्स एस.आर. सेल्स / 10060929047	2012-13	161785	0	161785	50962	212747
		मेसर्स शिव डोमिस्टिक कोक प्रा० लि० / 10060364022	2012-13	1654492	1400063	254429	80145	334574
		मेसर्स भारत ट्रेडिंग / 1001475082	2012-13	431984	150000	281984	88825	370809
13	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स साकेत इंटरप्राइजेज / 10084218033	2012-13	5314388	4638988	675400	212751	888151
14	पटना दक्षिणी	मेसर्स कुन्दन इंटरप्राइजेज / 10121372075	2011-12	1313312	1088165	225147	108071	333218
			2012-13	3335938	3284720	51218	15666	66884
		मेसर्स मोर्ले लेबोरेटरिज प्रा० लि० / 10122073094	2011-12	1135054	546534	588520	282490	871010
			2012-13	953830	798143	155687	46706	202393
		मेसर्स ऐश्वर्या इंटरप्राइजेज / 10120711020	2011-12	1931765	1591566	340199	99508	439707
			2012-13	2909218	2119442	789776	231009	1020785
मेसर्स सिंह बजाज ऑटो प्रा० लि० / 10125076020	2012-13	23936055	18320800	5615255	1768805	7384060		
15	पटना विशेष	मेसर्स वी.एस.टी. इंडस्ट्रीज लि० / 10010573049	2012-13	263438100	262538508	899592	296865	1196457
		मेसर्स एशियन पेन्ट्स लि० / 10010062053	2012-13	265434048	263277880	2156168	776220	2932388
		मेसर्स सेन्चुरी सिमेंट / 10010579063	2012-13	990735738	985771046	4964692	1787289	6751981
		मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्रा० लि० / 10010169044	2012-13	756109186	718207467	37901719	13644619	51546338
कुल				2963913393	2850976422	112936971	35760761	148697732

परिशिष्ट- XVI
(संदर्भ कंडिका: 2.3.20.3)

विलम्ब से कर के भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	भुगतेय कर	विलम्ब से भुगतान की राशि	विलम्ब दिनों में	लेखापरीक्षा की तिथि तक ब्याज
1	गया	मेसर्स रामनन्दी ऑटोमोबाइल्स / 10201599029	2013-14	63577728	31918502	10 से 161 दिन	810213
		मेसर्स सुधीर कुमार सिंह एंड इम्पीरियल एसोसिएट्स/ 10206505014	2011-12	4475635	4475635	74 से 258 दिन	394656
			2012-13	3725000	3725000	14 से 78 दिन	95330
2	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स नव भारत फर्टिलाइजर्स लि0/ 10305000059	2010-11	3598613	3598613	44 महीने	2375084
			2011-12	2774864	2774864	32 महीने	1331934
			2012-13	4827969	4827969	22 महीने	1593230
		मेसर्स पारले बिस्कुट्स प्रा0 लि0/ 10305416092	2012-13	134671046	9999440	27 से 568 दिन	894457
		मेसर्स शशांक ऑटो प्रा0 लि0/ 10308385069	2012-13	50737050	17410691	4 से 160 दिन	212970
		मेसर्स शिव शक्ति बायो प्लांटैक लि0/ 10305115004	2012-13	9454317	9454317	21.5 महीने	3049017
		मेसर्स भारत वैगन एंड इंजी. लि0/ 10300494021	2011-12	8528216	5377626	7 से 356 दिन	312060
3	पाटलीपुत्र	मेसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लि0/ 10050070091	2012-13	13658320	13658320	18 महीने 6 दिन	3728721
		मेसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि0/ 10050933013	2012-13	137675829	118441119	1 से 30 दिन	584660
		मेसर्स यूनार्इटेड बिवरेजेज लि0/ 10050119076	2011-12	3455074	3455074	10 महीने 20 दिन	552812
		मेसर्स कैडबरी इंडिया लि0/ 10050251093	2011-12	290715071	39246535	21.5 महीने	12657008
			2012-13	22203332	22203332	17 महीने	5661850
		मेसर्स वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0/ 10050830067	2010-11	12945834	12945834	42 महीने 12 दिन एवं 43 महीने 20 दिन	8335672

		मेसर्स गिनी मोटर्स प्रा० लि०/10050098027	2011-12	97036296	6747042	23 महीने	2327730
			2012-13	72625977	24133644	9 से 163 दिन	318878
		मेसर्स फुड कारपोरेशन ऑफ इंडिया/10050225097	2010-11	623129551	9088454	258 दिन	1172411
		मेसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि० (जीप डिविजन)/ 10050023046	2011-12	26910979	26910979	5 महीने 25 दिन	2354711
		मेसर्स कार्लो ऑटोमोबाइल्स प्रा० लि०/10050077075	2011-12	5400000	5521400	138 से 227 दिन	577877
4	पटना मध्य	मेसर्स कुमार डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०/10150024032	2012-13	47490683	23440357	12 से 611 दिन	1107157
			2011-12	47517497	43654847	8 से 248 दिन	424504
5	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स सृष्टि डेवलेपर्स प्रा० लि०/10060321051	2011-12	5990499	5990499	72 से 635 दिन	296079
			2012-13	53499038	53099038	5 से 133 दिन	614555
			2012-13	3577567	3577567	16 से 15 महीने	377454
6	पटना दक्षिणी	मेसर्स सोनाली ओटोज प्रा० लि०/10125388069	2012-13	122789181	44795000	4 से 18 दिन	244151
7	पटना विशेष	मेसर्स कैडिला हेल्थकेयर लि०/10010456067	2010-11	18620546	1525339	37 महीने 27 कंले	867155
			2012-13	1477302	1477302	16 महीने 25 कंले	373757
			2012-13	6706877	6706877	3 महीने से 18 महीने	624370
			2012-13	13473539	13473539	1 दिन से 3 महीने 10 दिन	204713
8	पूर्णिमा	मेसर्स महाकाली मोटर्स प्रा० लि०/10494151054	2013-14	46400132	14385723	15 से 260 दिन	451408
कुल				1959669562	588040478		54926584

परिशिष्ट- XVII
(संदर्भ कंडिका: 2.3.22)

अधिक कर संग्रहण हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	वस्तुओं का मूल्य	दर लिया गया/ लगाया गया (प्रतिशत में)	कर संग्रहित	कर जो लिया जाना था	अधिक संग्रह	अर्थदण्ड
1	भागलपुर	मेसर्स मोती भाई नारसी भाई पटेल/ 10520760069	2012-13	3420292	20/0	684058	0	684058	1368116
2	पाटलीपुत्र	मेसर्स वी मार्ट रिटेल लि०/10050916069	2011-12	1900657	5 एवं 13.5/0 एवं 5	121536	15590	105946	211892
			2012-13	4290360	तथैव	225281	6331	218950	437900
3	पटना विशेष	मेसर्स स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लि०/ 10010060016	2012-13	3784449508	5/—	189974813	189222475	752338	1504676
कुल				3794060817		191005688	189244396	1761292	3522584

परिशिष्ट-XVIII
(संदर्भ कंडिका: 2.7)
अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	इनपुट टैक्स क्रेडिट पर का क्रय मूल्य	इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया	वास्तविक हकदारी	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक प्राप्ति	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अनियमितताओं की प्रकृति
1	दानापुर	प्रियदर्शी मोटर्स प्रा० लि०/ 10041941759	2012-13	103647564	130321242	125348472	4972770	<u>14918310</u> 1268056	21159136	इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत त्रैमासिक रिटर्न जो वार्षिक रिटर्न में दिखाए गए थे, से कम थे।
2	मुजफ्फरपुर पूर्वी	लिजेंड एलॉयज प्रा० लि०/ 10311354044	2011-12	16411012	762264	419830	342434	<u>1027302</u> 107867	1477603	अनुसूची-1 वस्तुओं के विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस नहीं किया गया था।
3	पटना उत्तरी	ईश्वर राज बिबरेजेज प्रा० लि०/ 10105996036	2012-13	9620074	547580	508667	38913	<u>116739</u> 10506	166158	इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपभोज्य वस्तुओं पर दावा किया गया।
4	पटना पश्चिमी	रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर/ 10145427016	2012-13	230006641	15359843	14704030	655813	<u>1967439</u> 186907	2810159	इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपभोज्य वस्तुओं पर दावा किया गया।
कुल				359685291	146990929	140980999	6009930	<u>18029790</u> 1573336	25613056	

परिशिष्ट-XIX
(संदर्भ कंडिका: 2.8)

कर के गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	वर्ष	सामग्री	दर जो लिया जाना निर्धारित किया गया जो लिया गया (प्रतिशत में)	राशि जिसपर दर का अंतर लगाया जाना था	कर	ब्याज	कुल
1	औरंगाबाद	रत्ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 / 10172925030	2010-11	मोरम	12.5 / 4	1628906	138457	78920	217377
2	मुजफ्फरपुर पूर्वी	ओम सत्यम ट्रेडर्स / 10312532012	2010-11	पाचन से संबंधित आयुर्वेदिक उत्पाद, नींबू पानी जलजीरा	12.5 / 4	4741502	403028	108817	511845
3	पटना उत्तरी	डाबर मेडिको / 10100076016	2012-13	सत-इसबगोल	13.5 / 5	15338739	1303793	342246	1646039
4	रक्सौल	मेसर्स गायत्री कंस्ट्रक्टर्स एंड इंजीनियरिंग प्रा0 लि0 / 10322684065	2011-12	अनुसूची- III की वस्तुएं	5 / 4	13674975	136750	66665	203415
5	सासाराम	ए.के. ऑटो / 10241335079	2009-10	हेलमेट	12.5 / 4	831904	70712	42427	113139
			2010-11	तथैव	12.5 / 4	3549549	301712	126719	428431
			2011-12	तथैव	13.5 / 5	4736414	402592	96623	499215
कुल						44501989	2757044	862417	3619461

परिशिष्ट-XX
(संदर्भ कंडिका: 2.9)
ट्रांजिट बिक्री के मद में अनियमित कटौती

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	वर्ष	कुल कटौती	बिना अनुमति की कटौती	दर जो लिया जाना निर्धारित किया गया जो लिया गया (प्रतिशत में)	कर	ब्याज	कुल	अभियुक्तियाँ
1	बेगुसराय	मेसर्स यू.इ.एम. इंडिया प्रा० लि० / 10364555007	2011.12	227916078	137144754	$\frac{13.5}{2}$	15771647	शून्य	15771647	स्रोत पर ही कर कटौती होने के कारण ब्याज नहीं लिया गया था।
2	भागलपुर	मेसर्स अभिजीत प्रोजेक्ट लि० / 10525902009	2011.12	214575772	214575772	$\frac{5}{0}$	10728789	3540500	14269289	-
3	पटना विशेष	मेसर्स पुंजलॉयड लि० / 10010945002	2010.11	957908840	957908840	12.5 एवं $\frac{4}{0}$	47272801	शून्य	47272801	स्रोत पर ही कर कटौती होने के कारण ब्याज नहीं लिया गया था।
कुल				1400400690	1309629366		73773237	3540500	77313737	

परिशिष्ट-XXI
(संदर्भ कंडिका: 2.10)
स्वीकृत कर का कम भुगतान तथा ब्याज आरोपित नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	वर्ष	कर भुगतेय	भुगतान किया हुआ कर	कम भुगतान	ब्याज	कुल
1	दानापुर	रोहिनी इंटरप्राइजेज/ 10041071013	2012-13	12085534	11880399	205135	52309	257444
2	मोतीहारी	बजरंग एग्री ऐजेन्सी/ 10270255047	2012-13	6614136	6290908	323228	92120	415348
3	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेहरोत्रा इंजीनियरिंग वर्क्सस प्रा० लि०/ 10310592012	2011-12	4413572	3628398	785174	247330	1032504
4	नवादा	माँ भवानी कोल ट्रेडर्स/ 10233097034	2012-13	1252076	1155518	96558	26071	122629
5	पटना उत्तरी	ईश्वर राज बिबरेजेज प्रा० लि०/ 10105996036	2012-13	7713550	7500798	212752	57443	270195
		श्री राम सेल्स/ 10101523062	2012-13	4242728	4056365	186363	48920	235283
		कृष्णा सैनिटेशन/ 10100757053	2012-13	4905942	3791084	1114858	301012	1415870
		श्री हनुमान मोटर्स/ 10106129003	2012-13	1671828	1462131	209697	56618	266315
6	पटना पश्चिमी	एग्री पम्प एंड पावर/ 10145782022	2012-13	1060902	929929	130973	36345	167318
		डाटा लाइन ऐजेन्सी/ 10140546065	2012-13	2099693	1898677	201016	55782	256798

7	रक्सौल	गायत्री कन्ट्रेक्टर्स एंड इंजीनियरिंग्स प्रा0 लि0/ 10322684065	2012-13	197062	0	197062	59119	256181
		श्री गणपति इंटरप्राइजेज/ 10321803040	2011-12	335014	172176	162838	78162	241000
8	समस्तीपुर	महावीर इंटरप्राइजेज/ 10427140022	2012-13	833780	670000	163780	34394	198174
		तारा ऑटोमोबाइल्स/ 10424984026	2011-12	1968435	890000	1078435	420589	1499024
			2012-13	3541974	2666001	875973	183954	1059927
		स्टार इक्यूपमेंट्स/ 10427214035	2012-13	1497436	400000	1097436	214000	1311436
कुल				54433662	47392384	7041278	1964168	9005446

परिशिष्ट-XXII
(संदर्भ कंडिका: 2.11)
कटौतियों की अनियमित अनुमति

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	वर्ष	बिना अनुमति कटौती के ईकाइयाँ	दर (प्रतिशत में)	ऐसे कटौती की राशि	अनुमत् कटौती	कर जो लिया जाना है पर अधिक कटौती	कर जिसपर अधिक कटौती मांगा गया/अनुमति दिया गया	देखे गए रिकार्ड
1	जमुई	एस.एम.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर/ 10541108050	2008-09	स्थापना खर्च पर सामग्री भाग, ओभर हेड एवं सकल लाभ	4 एवं 12.5	124410406	110779972	13630434	1560971	कर-निर्धारण आदेश, आरटी-III एवं टार
		अशोक एंड क0 निवास प्रा0 लि0/10540629064	2011-12	सकल लाभ, स्थापना खर्च एवं विभागीय कटौती	5 एवं 13.5	57716855	43745651	13971204	1108147	आरटी-III, टार, लाभ एवं हानि
2	नवादा	सी. एंड सी. कंस्ट्रक्शन/ 10231944032	2011-12	सामग्रियों पर लाभ	13.5, 5 एवं 4	75176317	54360475	20815842	1278093	टार-IV
3	सारण	जे.एस.आर. कंस्ट्रक्शन/ 10334665084	2011-12	स्थापना लागत एवं सामग्री पर लाभ अवयव	5 एवं 13.5	40547200	9800115	30747085	1626213	आरटी-III, विक्रय एवं क्रय विवरणी
कुल						297850778	218686213	79164565	5573424	

परिशिष्ट-XXIII
(संदर्भ कंडिका: 2.12)
मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	वर्ष	समायोजन के लिए उपयुक्त राशि	लिया गया समायोजन	मूल्यवर्द्धित कर से अधिक समायोजन	ब्याज	कुल	देखे गये अभिलेख
1	पटना उत्तरी	ओरिएन्ट जेनरल डीलर्स/ 10100111033	2012-13	1276233	2041972	765739	218236	983975	आरटी-III एवं ईटी-V
2	पटना पश्चिमी	मेसर्स वेस्ट इंडिया इलेक्ट्रीकल्स/ 10140187068	2011-12	252323	403718	151395	70398	221793	आरटी-III एवं ईटी-V
			2012-13	313767	502027	188260	53654	241914	आरटी-III एवं ईटी-V
		मेसर्स दीप इलेक्ट्रीकल्स/ 10140221018	2012-13	281278	450045	168767	45567	214334	आरटी-III एवं ईटी-V
		मेसर्स गोपाल इलेक्ट्रीक स्टोर/ 10140078040	2010-11	327957	655913	327956	209072	537028	आरटी-III एवं ईटी-V
			2011-12	76694	122711	46017	21053	67070	आरटी-III एवं ईटी-V
			2012-13	211891	339025	127134	35280	162414	आरटी-III एवं ईटी-V
कुल				2740143	4515411	1775268	653260	2428528	

परिशिष्ट-XXIV
(संदर्भ कंडिका: 2.14)
स्वीकृत प्रवेश कर का कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	अवधि	सामग्री	आयात मूल्य	आरोप्य प्रवेश कर	प्रवेश कर भुगतान किया हुआ	कम भुगतान
1	पाटलीपुत्र	भारती एयरटेल / इटी-10050212293 वैट-10050212002	2012-13	टेलकॉम सामग्री एवं अन्य	3814820025	169547664	155263966	14283698
		यूनितेक वायरलेस तमिलनाडु प्रा० लि० / इटी -10050662227	2012-13	टेलकॉम सामग्री, विद्युत सामग्री एवं सिम कार्ड	275184802	13122393	6599050	6523343
		डिजिनेट वायरलेस लि० / 10050333058	2012-13	टेलकॉम सामग्री	187797853	8157842	7895761	262081
कुल					4277802680	190827899	169758777	21069122

परिशिष्ट-XXV
(संदर्भ कंडिका: 2.15)
प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	वर्ष	सामग्री	दर आरोप्य/आरोपण किया गया (प्रतिशत में)	आयात मूल्य	कर भुगतान का अंतर
1	पटना पश्चिमी	इस्ट इंडिया ट्रेडिंग का०/ 10145151075	2011-12	विद्युत सामग्री	8/5	11963733	358912
2	पाटलीपुत्र	भारत संचार निगम लि० (अनीसाबाद)/ 10050277089	2012-13	टेलकॉम सामग्री	5/4	44391668	443917
		दी फ्रेयस्सीनेट प्रेस्ट्रेसेड कंक्रीट का० लि०/ 10050652220	2012-13	स्टील, पीवीसी पाईप्स	5/4	30145296	301453
		इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कारपो. लि०/ 10050163211	2012-13	एचडीपीई (हाई डेंसिटी पॉलिइथिलिन), लेबल्स, अन्य	5/4	39417967	394180
3	तेघड़ा	देशरतन डा० राजेन्द्र प्र० डी.यू. एस. एस. लि०/ 10431412267	2012-13	पैकिंग मटेरियल	5/4	14183421	141834
कुल						140102085	1640296

परिशिष्ट-XXVI
(संदर्भ कंडिका: 2.16)

निबंधन नहीं कराये जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	अवधि	सामग्री/प्रवेश कर का दर (प्रतिशत में)	सामग्री का मूल्य	भुगतय प्रवेश कर	प्रवेश कर का मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध समायोजन	आरोप्य प्रवेश कर	अर्थदण्ड	कुल
1	बेतिया	एस.के.टी.-एन.एन.(जे. वी)/ 10262987054	2012-13	बिटुमेन / 4 / 5	9109556	364382	364382	शून्य	364382	364382
2	पटना उत्तरी	फाउन्डेशन इंजीनियरिंग / 10100778005	2012-13	आयरन एवं स्टील / 4 / 5	8694936	360573	360573	शून्य	360573	360573
3	रक्सौल	गायत्री कन्ट्रेक्टर्स एंड इंजीनियरिंग्स प्रा0 लि0 / 10322684065	2011-12	विद्युत सामग्री / 8 / 4	12181315	974505	487253	487252	974505	1461757
		डन्कन हारस्पिटल / 10320468067	2011-12	विद्युत एवं सेनिटेरी सामग्री / 8 / 4	3587405	286992	208668 (प्रवेश कर भुगतान किया हुआ)	78324	286992	365316
			2012-13	स्टोन चिप्स, पेपर बोर्ड / 4 / 5	1842481	73699	0	73699	73699	147398
				ट्रांसफर्मर / 8 / 5	2078963	166317	0	166317	166317	332634
		रिपुराज एग्रो प्रा0 लि0 / 10322149030	2011-12	एमएस पाईप / 4	210000	8400	0	8400	8400	16800
				विद्युत सामग्री, ट्रांसफर्मर एवं पेन्ट्स / 8	1310251	104820	0	104820	104820	209640
4	सारण	जे.एस.आर. कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 / 10334665084	2011-12	बिटुमेन / 4 / 5	22173911	886956	886956	शून्य	886956	886956
			2012-13		1867257	74690	74690	शून्य	74690	74690
कुल					63056075	3301334	2382522	918812	3301334	4220146

परिशिष्ट-XXVII
(संदर्भ कंडिका: 2.18)
विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना

अंचल का नाम	व्यवसायी	वर्ष	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दर्शाया गया क्रय (किलोवाट में)	ऊर्जा का लागू दर* (प्रति किलोवाट) (राशि ₹ में)	ऊर्जा का मूल्य (₹ लाख में)	छः प्रतिशत की दर पर शुल्क की राशि (₹ लाख में)
मुजफ्फरपुर पश्चिमी	कान्ती बिजली उत्पादन निगम लि० (यूनिट आफ एन.टी.पी.सी.)	2007-08	20710000	2.05	424.56	25.47
		2008-09	189710000	2.34	4439.21	266.35
		2009-10	395820000	2.85	11280.87	676.85
		2010-11	273230000	3.14	8579.42	514.77
		2011-12	176110000	3.14 [♥]	5529.85	331.79
कुल			1055580000		30253.91	1815.23

* संबंधित अवधि के दौरान एन.टी.पी.सी. द्वारा किये गये ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय थोक बिक्री के औसत दर के आधार पर, जैसाकि उनके द्वारा विवरण दिया गया था।

♥ वर्ष 2011-12 की अवधि के लिये ऊर्जा का दर नहीं रहने के कारण पिछले वर्ष का दर लिया गया।

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षर	विवरण
ए.एम.सी.	एनुअल मेन्टेनेंस क्लाउज (वार्षिक रखरखाव)
ब्रेन	बिहार रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन्टरनेट
बी.एस.ई.डी.सी.	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन
बीस्वान	बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क
डी.सी.बी. रजिस्टर	डिमांड, कलेक्सन बैलेंस रजिस्टर (माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी)
डी.सी.	डाटा सेन्टर
डी.आर.सी.	डिजास्टर रिकवरी केन्द्र
डी.बी.ए.	डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर
आई.टी.	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (सूचना प्रौद्योगिकी)
एम.एम.पी.सी.टी.	वाणिज्य-कर विभाग के लिए मिशन मोड परियोजना
एन.आई.सी.	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर
एन.ई.जी.पी.	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना)
पैन	परमानेंट एकाउन्ट नम्बर (स्थायी लेखा संख्या)
सुविधा	सिम्पलिफाईड यूजेज ऑफ वेहिकल्स इनफॉर्मेशन हार्मोनाईज्ड एप्लीकेशन (कम्प्यूटरीकृत चेकपोस्ट प्रबंधन मॉड्यूल)
एस.डी.ए.	स्टेट डेजिग्नेटेड एजेन्सी
एस.एल.ए.	सर्विस लेवल एग्रीमेंट
एस.डी.डी.	सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट
एस.आर.एस.	सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन
टी.सी.एस.	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस
टीन	टैक्सपेयर आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (करदाता पहचान संख्या)
यू.आर.एस.	यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन
वैटमीस	वाणिज्य-कर विभाग में मूल्यवर्द्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in